खण्ड-295, अंक-5
बुधवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1894
(29 मार्च, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	365–369
प्रश्नोत्तर	369–389
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	389
लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	389–390
पंचम उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	391
उद्योग राज्य मंत्री श्री देवकीनन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	392
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुर:स्थापित किया गया)	392
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 (पुर:स्थापित किया गया)	392
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुर:स्थापित किया गया)	393
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुर:स्थापित किया गया)	393
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	393–397
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	397
राज्य सभा निर्वाचन में सदस्यों को रुपये से प्रभावित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	398
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	399–441
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	441–444
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	444–447
नत्थियां	448–463

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 29 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—375

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीतप्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुसदिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवराम, (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभाण कान्त 'सिंह जुदेव,' श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, श्री 'कृष्ण'
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायणबन, श्री
दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्त, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री

बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल उमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल दहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द्र, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलान चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरतसिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितु राज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
विक्रम सिंह, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्द शहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
सचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, चौधरी श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीश्चन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली, खां नवाब
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुमसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 29 मार्च, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

परगनाधीश मड़ियाहूं, जिला जौनपुर तत्कालीन तहसीलदार फूलपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच

**1—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली) अनुपस्थित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में वर्तमान परगनाधीश मड़ियाहू जो इसके पूर्व फूलपुर तहसील, जिला इलाहाबाद में तहसीलदार थे, उस समय उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जांच हो रही थी, उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी हां, जब ये जिला इलाहाबाद में तहसीलदार थे, उस समय उनके विरुद्ध आरोपों की जांच कराई गई थी। जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतएव किसी अन्य कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई ।

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या श्री नित्यानन्द स्वामी तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछा गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी और इस जांच के अन्दर जो शिकायतें थीं वह क्या थीं?

राजस्व मंत्री(श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, यह जांच परगना अधिकारी के जरिये से करायी गयी। शिकायत यह थी कुछ घूसखोरी की शिकायतें थीं और कुछ उनके व्यवहार की शिकायतें थीं।

श्री शिवानन्द नौटियाल(जिला गढ़वाल)—

माननीय मंत्री बतायेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या प्रोमोशन वाले और जिनको पनिशमेंट दी जाती है वही भेजे जाते हैं, क्या इसके अलावा और भी लोग भेजे जायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार की ऐसी नीति है कि जिस अधिकारी को सजा देनी होती है उसको पहाड़ भेज दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी नीति कैसे हो सकती है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या यह सही है कि इन तहसीलदार महोदय को पहाड़ी जिले में शिकायत होने पर तैनात कर दिया गया और क्या सरकार की ऐसी नीति है कि जिनको सजा देना हो उनको पहाड़ में भेज दिया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे यह तो मालूम नहीं कि इनको पहाड़ भेजा गया या नहीं भेजा गया लेकिन उत्तर में यह बतला चुका हूं कि इनके खिलाफ जो चार्जेज थे वे साबित नहीं हुए, इसलिये सजा देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

किस तिथि को यह तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए और किस तिथि को यह जांच निपटी कि वे निर्दोष थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

28 दिसम्बर, 1970 को जांच समाप्त हुई लेकिन इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि किस तिथि को वह डिप्टी कलेक्टर हुए ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सही है कि इस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत रूपनाथ सिंह यादव ने की थी जब वह मंत्री थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरी सूचना के अनुसार शिकायत रूप नाथ सिंह यादव ने नहीं की थी बल्कि राधे श्याम सरपंच ने की थी और उस पर हुक्म रामवचन यादव, राजस्व मंत्री ने किया था।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जिस तहसीलदार के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये हैं जब वह डिप्टी कलेक्टर हो गया तब किसी तहसीलदार से उनके विरुद्ध जांच कराई गयी थी लिहाजा उस तहसीलदार के लिये उनको निर्दोष साबित करना जरूरी हो गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसा नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब एक वरिष्ठ मंत्री ने शिकायत का अनुमोदन किया था तो क्या इस पर किसी उच्चाधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें उच्चधिकारी से आगे जांच की गुन्जायश नहीं मालूम होती है । जो जांच हुई उसमें श्री राधेश्याम शर्मा किसी तरह का साक्ष्य उपस्थित नहीं कर सके, अभद्र व्यवहार एवं उद्दंडता सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में वह कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं कर सके और घूसखोरी की बात उन्होंने रखी नहीं ।

बंगला देश विस्थापित शरणार्थियों के सहायतार्थ लगाये गये कर की समाप्ति

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार उन करों को समाप्त करने जा रही है जो राज्य में बंगला देश के विस्थापित शरणार्थियों के सहायतार्थ लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि ऐसे विस्थापित वापस जा चुके हैं ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी नहीं । यद्यपि अधिकांश शरणार्थी बंगला देश वापस जा चुके हैं । तथापि उनके पुनर्वासन के निमित्त वर्ष 1972-73 में भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता बनी रहेगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन शरणार्थियों का पुनर्वासन बंगाल में होगा या उत्तर प्रदेश में होगा ? यदि बंगला देश में होगा तो फिर उत्तर प्रदेश को उसके लिये रुपया इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गयी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य भलीभांति जानते हैं कि वे बंगला देश के नागरिक थे और विशेष परिस्थितियों में शरण पाने के लिये हमारे देश में आये थे। उत्तर प्रदेश म उनके पुनर्वासन का कोई प्रश्न नहीं था। बंगला देश में उनको अब वापस भेजा जा रहा है। वहां पर उनका जो पुनर्वासन आदि हो रहा है उसमें भारत सरकार सहायता कर रही है, इसलिये इस व्यय की अभी आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब से यह कर लगाया गया है, तब से उत्तर प्रदेश में अब तक कितना कर वसूल हुआ है और अगले साल में कितना कर वसूल करने की सरकार की योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपने नया प्रश्न कर दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी सिद्धान्तरुप से इस बात को मानते हैं कि बंगला देश के विस्थापितों के नाम से इस कर को वसूल किया जाना उचित नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अगर यह सिद्धान्त की बात है तो मुझे दुःख है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता कर भार से इतना अधिक दबी हुई है कि इस कर को और उठाना उसके लिये सम्भव नहीं है, इसलिये निकट भविष्य में यानी 2–3 माह में इसको समाप्त करने की घोषणा करेंग ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह कर लगाया गया था तो भारत सरकार का एक पत्र आया था तो क्या अब भी इसके बारे में उनका कोई परिपत्र आया है कि इसको और जारी रखा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

नया नहीं आया तो पुराने के अनुसार काम होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि बंगला देश में पुनर्वासन के लिये यह कर लगाया जा रहा है तो क्या ऐसी कोई घोषणा हुई थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, घोषणा तो हुई थी और वह सर्वविदित है कि बंगला देश के शरणार्थी जो वापस गये हैं उनके पुनर्वास के लिये भारत सरकार सहायता दे रही है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं कि यह कर लगे थे विस्थापितों के पुनर्वासन के लिये, वह लोग डिसप्लेस हुये थे और उनका पुनर्वासन अपने देश में होना था। अब जब वह चले गये तो उनका पुनर्वासन उनके अपने देश में होना है, यह तो बात समझ में आती है कि बंगला देश की सहायता के लिये कर लगा दिये जायं लेकिन उनके जाने के बाद अब पुनर्वास का प्रश्न उठाना कर के सम्बन्ध में उचित नहीं है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित नेता बी० के० डी० ने जो प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में इस कर के जो उद्देश्य और कारण दिये गये थे वे बंगला देश के विस्थापितों के पुनर्वास और सहायता से सम्बन्धित थ, उसका अभिप्राय संकुचित नहीं था कि शरणार्थियों के पुनर्वास से ही उसका सम्बन्ध हो। अभी सब वापस नहीं गये हैं कुछ शरणार्थी हमारे देश में भी ह और उन पर व्यय होता है और उनको बंगला दश भेजने में भी व्यय होता है। लेकिन अगर कोई कानूनी कठिनाई वह बतायेंगे तो उसका निराकरण कर लिया जायगा।

श्री चरण सिंह—

माननीय वित्त मंत्री जी चाहें जो कहें लेकिन कर लगाने का जो आधार था कि उन बंगला विस्थापितों को पुनर्वासित करना है वह आधार तो अब रहा नहीं, वह लोग अपने देश वापस चले गये तो उनके पुनर्वास का सवाल नहीं उठता, जब वह चले गये तो यहां के निवासी कब तक कर देते रहेंगे ? 95 लाख के करीब वापस चले गये 2.4 लाख रह गये होंगे तब भी इस कर के कोई माने नहीं हैं, अगर यह कर वसूल करके बंगला देश की सरकार को देने की बात है तो बात दूसरी है। अगर ऐसा है तो वह बतायें ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

पुनर्वास तो उसका होता है जो उन्मीलित हुआ हो। जहां से उन्मीलित हुये थे उसी देश में उनका पुनर्वास होगा। इस देश में उनके पुनर्वास की बात कभी नहीं थी। नीति हमारी यही थी कि उनको वापस भेजा जाय और बंगला देश में ही उनका पुनर्वास हो और भारत सरकार की नीति है कि इनके बंगला देश में पुनर्वासन में मदद की जाय। लिहाजा उनका कहना है कि हर तरह की सहायता उनके पुनर्वास में की जायगी, भारत सरकार से पत्र आया है और सूचना मिली है कि इस साल भी यह कर चालू रहेगा जब तक कि यह काम होना है।

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला परिषद्, प्रतापगढ़ का डीहा पुल के निमांण सम्बन्धी पत्र

**3—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सितम्बर, सन् 1970 की अतिवृष्टि व बाढ़ के फलस्वरूप डीहा पुल दुअर नदी भदरी-सगेतीघाट सड़क, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ टूट कर यातायात के लिये बिल्कुल बेकार हो गयी है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने दिनांक 29 जनवरी, 1971 एवं 1 जून, 1971 को उक्त पुल के निर्माण हेतु शासन को पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उनके सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी हां। जिलाधिकारी के पत्र भी प्राप्त हुये थे लेकिन प्रसंगगत पुल चूंकि जिला परिषद् का है इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का उसे निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयराम यादव—

क्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने 29 जनवरी, 1971 व 1 जून, 1971 को डीहा पुल के निर्माण के निर्माण के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन को लिखा था और उसकी क्या-क्या मुख्य बातें हैं क्मा मंत्री जी सदन में उनको पढ़ कर सुनायेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

पहला पत्र 29 जनवरी, सन् 1971 का था और 1 जून, सन् 1971 का दूसरा पत्र था उसमें लिखा था कि डीहा पुल निर्माण के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये "निवेदन करना है कि कुंडा तहसील में भदरी सगेठी घाट सड़क पर डीहा ग्राम में सैकड़ों वर्ष पुराना एक पुल है। पुल डुअर नाले पर विभिन्न नापों में 10 स्पेन का जिनका टोटल वाटर वे लगभग 73 फीट है, ईंट के पिलर्स पर रेल रखकर सिलीपर रखकर बनाया गया था। पुराने हो जाने के कारण सिलीपर्स सड़ गये हैं और अधिक बाढ़ के कारण सभी पिलर्स क्षतिग्रस्त हो गये हैं। पुल की दशा ऐसी नहीं है कि उसकी मरम्मत की जा सके। इस पुल के बेकार हो जाने से कुंडा तहसील का पूरा दक्षिणी भाग का सम्बन्ध तहसील हेड क्वार्टर तथा जिला हेड क्वार्टर से कट गया है। बलीपुर बन्ध को इलाहाबाद उन्नाव सड़क से मिलान वाली सड़क पर स्थिति

होने के कारण इस पुल के अविलम्ब निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि बलीपुर बंधा गंगा नदी के बायें किनारे पर बनाया गया है जिसमें कोई क्षति होने से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो सकती हैं और सैकड़ों गांव बह सकते हैं। बांध में कोई अप्रिय घटना होने पर इस पुल के अभाव में बांध की मरम्मत का कोई उपाय सम्भव नहीं है। जिले के बाबूगंज तथा भोपियामऊ जैसे विराट पशु मेलों के लिए भी इस पुल का बड़ा महत्व है।

अस्तु अनुरोध है कि उक्त पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्रतिशीघ्र कराने की कृपा की जाये।"

इसकी पुष्टि में दूसरा पत्र दिनांक 2 जून, 1971 को लिखा।

श्री जयराम यादव—

इस पुल के टूट जाने से कुंडा तहसील का पूरा दक्षिणी भाग का संबंध तहसील हेड क्वार्टर से टूट गया है तथा जिला हेड क्वार्टर से कट गया है और बलीपुर बंधे की मरम्मत बाढ़ के समय में नहीं हो सकती है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिला परिषद् इस पुल के निर्माण की क्षमता नहीं रखता है, इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण करायेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को इस पुल के निर्माण के बारे में अपनी राय देने को लिखा गया था क्योंकि यह पुल जिला परिषद् का है और इस पर कच्ची सड़क है। मुख्य अभियन्ता ने बताया है कि यह पुल महत्वपूर्ण है परन्तु आर्थिक कमी के कारण इस समय नहीं बनाया जा सकता है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इस बात को देखते हुए कि तहसील हेड क्वार्टर पर पहुंचने के लिए 30–40 मील होकर आना पड़ता है तो राज्य सरकार को कौन सी कठिनाई है कि इस सड़क को सार्वजनिक घोषित करके सा० नि० विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण अविलम्ब करवा दें ?

श्री राज बिहारी सिंह—

चौथी पंचवर्षीय योजना में पुलों और सड़कों के निर्माण में जरा ढिलें हो रही है।

श्रीओम दत्त शर्मा, मुख्य अभियन्ता, गन्डक के विरुद्ध श्री राम करन सिंह विधायक का शिकायती-पत्र

**4—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामकरन सिंह विधायक द्वारा एक गम्भीर शिकायत मुख्य अभियन्ता गण्डक श्री ओम दत्त शर्मा के विरुद्ध भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री बलवीर सिंह को दी थी और भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जी ने आदेश दिया था कि इस शिकायत की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जाय ? क्या सिंचाई मंत्री जी इस शिकायत को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

जी हां, किन्तु शिकायती पत्र को सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा। सतर्कता विभाग द्वारा जांच इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि मुख्य अभियन्ता को इन्हीं शिकायतों की जांच का करने के आदेश श्री राम करन सिंह के दूसरे पत्रों पर पहले ही जारी किये जा चुके थे।

अतः यह उचित समझा गया कि मुख्य अभियन्ता की जांच रिपोर्ट को पहले देख लिया जाय। मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री इन्द्रलाल—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*2—श्री मलिखान सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

*3—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*6—7—श्री कल्याण सिंह—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

हरैया, जिला बस्ती में पत्थर की ठोकर लगाने का विचार

*8—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकयण सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के हरैया तहसील के ग्राम रानीपुर विक्रमजोत पकड़ी सग्राम दुधोरा पूरे कुमार अशोकपुर माझा, सांड़पुर तथा दुबौलिया बाजार तक पत्थर का ठोकर लगाने के लिये भू० पू० सिंचाई मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा ने स्वयं निरीक्षण किया था उस क्षेत्र की जनता तथा विधायक पत्थर की ठोकर लगाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री को दे चुके हैं? यदि हां, तो उपरोक्त स्थान पर अब तक पत्थर की ठोकर लगाने के लिये सरकार कौन-सी कार्यवाही सोच रही है?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां, बस्ती जिले के हरैया तहसील में विक्रमजोत के पास घाघरा नदी के कटाव का निरीक्षण भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा ने सितम्बर, 1970 में किया था तथा यह सत्य है कि जनता तथा विधायक द्वारा घाघरा नदी का कटाव रोकने के लिये कई प्रार्थना-पत्र आये थे। कटाव रोकने हेतु ठोकर बनाने की उपयुक्तता का प्रश्न प्रदेशीय एवं केन्द्रीय सरकारों के विचाराधीन है। अभी यह समस्या अनुसंधानशाला, रुड़की में माडल अध्ययन के लिये भेजी जायगी और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री रामकरन सिंह—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट यहां पर केन्द्र को भेजी गयी थी उस सम्बन्ध में सेन्टर से भी कोई पत्र प्राप्त हुआ था या नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यहां से कोई रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजी गयी थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वे शिकायतें मिलीं तो उसी समय रुड़की अनुसंधान को जांच के लिए कहा गया था वे अब भेज रहे हैं ? यदि उसी समय नहीं भेजी गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिस समय शिकायत मिली उसी समय विभाग को जांच के लिए भेज दी गयी । इसमें करोड़ों रुपये का सवाल था।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, घाघरा न कटाके रोकने के संबंध में कुल कितने रुपये की योजना बनाई गई है ?

श्री रामलखन—

अभी तो इसका सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता के खिलाफ कौन कौन सी शिकायतें थीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम लखन सिंह—

जिन-जिन गांवों के बारे में प्रश्न किया गया है उन-उन गांवों में ठोकर लग जाने की वजह से बस्ती जिल और गोरखपुर जिले की जनता को घाटा होगा। इसको दखते हुए क्या सरकार शीघ्र ही ठोकर लगान की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन—

उसका सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण के माडेल टेस्ट होने के बाद ही तय किया जायेगा कि क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, इस घाघरा का कटाव, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा गोरखपुर और आजमगढ़ में भी प्रारम्भ हो रहा है। इसको देखते हुए इन सभी जिलों के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण सरकार कराने की कृपा करेगी जिससे कटाव की समस्या सामूहिक रूप से हल हो जाय ?

श्री रामलखन—

जितनी भी बड़ी-बड़ी नदियां जहां कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है उन सभी नदियों का सर्वेक्षण कराने का विचार है और यह देखा जा रहा है कि उनसे कटाव को कैसे बचाया जा सकता है ।

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*10—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[6ठें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11—श्री इन्द्रलाल—

[2रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में टोंस नदी का पुल

*12—श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा निजामाबाद में टोंस नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री गुलाब सिंह—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की इस समय धनाभाव के कारण कोई योजना नहीं है।

श्री राम वचन—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस नदी के दोनों तरफ पचास-पचास मील लम्बी सड़क सन् 67 में बन चुकी है और उसके बाद कई गौण योजनाओं के ऊपर रुपये खर्च किये गये हैं ? 67 से आज तक क्या धनाभाव रहा है ? क्या उसी क्षेत्र के लिये यह धनाभाव रहा है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं उसका कारण तो नहीं बता सकता लेकिन इस समय धनाभाव के कारण नहीं बन रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके निर्माण में कितना धन लगने का अनुमान है और इसको अगले वर्ष की योजना में सहानुभूतिपूर्वक लेने का विचार सरकार करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अगले वर्ष पुलों के सम्बन्ध में एक पुल निगम बनाया जा रहा है। पुल का सर्वेक्षण जो कार्य किया था उसके अनुसार पच्चीस लाख रुपये खर्च होंगे।

श्री रामवचन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे पहले प्रश्न का उत्तर या तो आप समझ नहीं पाये या उसका उत्तर आप देना नहीं चाहते हैं। मैंने यह कहा कि पचासों मील लम्बी सड़क इस तरफ और पचास मील उस तरफ बन गई है और 67 से आज तक उस पुल की उपेक्षा की गई है। प्रश्न पूछने पर यह कहा जाता है कि धनाभाव के कारण नहीं बना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह धनाभाव कब तक रहेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सड़क पर जरूर तृतीय पंचवर्षीय योजना में पटेल आयोग की संस्तुति है। चार करोड़ रुपया सड़कों के बनाने में खर्च किया गया है। चार पांच जिलों में। उसमें आजमगढ़ जिला भी शामिल था। टोंस नदी के पुल पर भी दस लाख रुपये की संस्तुति की गई थी। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद केन्द्रीय सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया, इसलिये हमारे प्लान में पैसा नहीं रहा।

बिन्दमगंज, जिला मिर्जापुर की सड़क का एलाइनमेंट

*13—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दमगंज कौन (मिर्जापुर) सड़क का एलाइनमेंट ग्राम रोखा व पांडु नदी के पूरब से किया गया था तथा व्यय का मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया गया था ? यदि हां, तो उसका निर्माण अब पश्चिम से क्यों कराया जा रहा है ?

श्री गुलाब सिंह—

प्रश्न गत मार्ग के संरेखणों के दोनों विकल्पों पर विचार किया गया था और दोनों के तुलनात्मक व्यय और उपयोगिता को आंकने के पश्चात् यह उपयुक्त समझा गया कि पांडु नदी के पश्चिम वाला संरेखण ठीक रहेगा क्योंकि इसमें व्यय भी कम है और अधिक आबादी को लाभ पहुंचेगा।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उसके पूरब की तरफ कितनी आबादी पड़ती है और पश्चिम में कितनी आबादी पड़ती है, पृथक-पृथक बतायें ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जिस तरफ यह सड़क बन रही है उसके एक तरफ 6,500 आबादी है और दूसरी तरफ 6,305 है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, मेरी इस सूचना को सही मानते हुये कि अधिकतम आबादी पूरब की तरफ पड़ती है और पश्चिम की तरफ एक-चौथाई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस आधार पर काम को रुकवाकर सर्वेक्षण कराकर निर्माण कार्य करायेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इस सड़क को रोकने के आदेश मैं नहीं दे सकता। 1956 से यह सड़क झगड़े में पड़ी थी। रह गई आबादी की बात तो मैं दिखवा सकता हूं कि इतना फर्क कैसे हो सकता है।

*14—श्री मोहनलाल कपूर—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

*15—श्री सर्वसुख सिंह, तथा श्री महावीर सिंह चौहान—

[4थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना

*16—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यातायात निगम का गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और इस निगम से जनहित के कौन-कौन कार्य करने होंगे और इसके गठन का आधार और सदस्यों की योग्यता की अर्हतायें क्या-क्या होंगी ?

परिवहन उपमंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हां। शासन एक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना करने जा रही है। भारत सरकार तथा भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की संस्तुतियों पर तथा राष्ट्रीयकृत परिवहन के विस्तार एवं जनता को अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निणय लिया गया। निगम बन जाने पर भारत सरकार से भी पूंजी मिलेगी तथा यह सम्भव हो सकेगा कि जनता के लिये अच्छी बसें तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें। निगम का गठन रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 5 के प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जायेगा। इस समय निगम के गठन तथा सदस्यों के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर मैं तीन प्रश्न एक साथ किये दे रहा हूं---

(1) क्या सरकार यह बतायेगी कि भारत सरकार की किन-किन कमेटियों ने क्या-क्या रिपोर्ट दी जिसके आधार पर यह निगम गठित किया जा रहा है ?

(2) रोडवेज़ के जितने कर्मचारी हैं वे निगम बन जाने के बाद भी सरकारी कर्चचारी रहेंगे ?

(3) जैसा कल कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को 54 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है तो सरकार ने यात्रियों को और सुविधा क्यों नहीं प्रदान की ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ शिपिंग एण्ड ट्रान्सपोर्ट ने अक्तूबर 30,1971 को राज्य सरकार को यह लिखा था कि उत्तार प्रदेश में स्टेट टान्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाय। इसके अतिरिक्त अपने प्रदेश की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाया जाय। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्टडी ग्रुप आन ट्रान्सपोर्ट एण्ड फाइनेंसिग ने भी इस बात को स्वीकार किया और राज्य सरकार से इस बात का आग्रह किया है कि स्टेट में ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाय।

मान्यवर, इम्पलाईज़ के बारे में जो प्रश्न किया गया उसके बारे में यह है कि जो कारपोरेशन बन जायगा तो उसके इम्पलाईज भी कारपोरेशन के हो जायेंगे, सरकार के नहीं रहेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द (ज़िला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब कारपोरेशन बन जायगा तब उस पर इन्कम टैक्स भी लगने लगेगा जब कि अभी वह नहीं लगता है।

श्री बलराम सिंह यादव---

इस पर अभी तक कोई सेन्ट्रल टक्स नहीं लगता है लेकिन जब वह कारपोरेशन हो जायेगा तब इस पर इन्कम टक्स लगना आरम्भ हो जायगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं))

क्या सरकार ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की इस संस्तुति को भी स्वीकार करेगी कि जब कोई कारपोरेशन बनाया जाय तो उसका अध्यक्ष चेयरमन गैर-सरकारी व्यक्ति हो ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है परन्तु इस पर अभी अन्तिम फैसला नहीं लिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आज इस पर इन्कम टक्स नहीं लगता है और कारपोरेशन क बन जाने के बाद इन्कम टैक्स लगना आरम्भ हो जायगा। इस प्रकार से रोडवेज की इन्कम घट जायेगी। ऐसी स्थिति में कारपोरेशन का क्या लाभ हो सकता है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

हमारे सामने मुख्य प्रश्न जनता की सुविधाएं बढ़ाना है और बहुत तेजी के साथ हम नेशनलाइजशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसको देखत हुय केवल इन्कम टक्स के कारण इसको छोड़ देना उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

हमारी यह जानकारी है कि जब निगम बन जायगा तो केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही निगम में जायेंगे और जो उच्च अधिकारी या गजटेड आफिसर्स हैं वे सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव—

उसके सभी कर्मचारी निगम के मातहत हो जायगे। जो कर्मचारी निगम के डेपुटेशन लेकर सरकार में रहना चाहेंगे वे ही स्टेट गवर्नमेंट में रह सकेंगे ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि यह देखा गया है कि हर आटोनोमस बाडी जो बनती है उसमें अधिकतर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स आ जाते हैं जब कि निगम आदि में अधिकतर टेकनिकल आदमियों की आवश्यकता होती है। क्या वह इस पर विचार करेंगे कि उसमें ऐसा न हो और वहां टेकिनकल लोग ही रखे जायं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इन सारी बातों पर विचार हो रहा है। कबिनेट की एक सब-कमेटी इस पर विचार कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस निगम के बनने से इस समय जो कर्मचारियों को वेतन-क्रम दिया जा रहा है वह कुछ कम हो जायगा ? कर्मचारियों में इस कारण से रोष है और वे इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो वेतन-क्रम मौजूदा उनको मिल रहा है निगम के बनने के बाद भी वही मिलेगा उसमें कोई कमी नहीं होगी।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

निगम बनने के बाद उसके अध्यक्ष गैर सरकारी आदमी ही होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

रोडवज की संयुक्त परिषद् जो एक मान्यता प्राप्त संस्था है उसके अध्यक्ष और मंत्री ने मिल कर यह नोटिस दी है कि उनकी बिना राय लिये हुये यदि निगम बनाया गया तो वे लोग 7 तारीख से हड़ताल पर चले जायेंगे। मंत्री जी इस पर क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

पी० ए० सी० हाउस की कमेटी है उसमें यह गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

निगम की रूपरेखा इस सदन के सामने कब पेश कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर कारपोरेशन बन जाने के बाद जो रूल्स होंगे वह कारपोरेशन बनायेगी। जहां तक इसके सदस्यों का सवाल है यह तय हो गया है कि 6 स्टट गवनमेंट क होंग और 3 सेन्ट्रल गवर्नमट के होंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो निगम गठित किया जा रहा है वह कितने रुपये की पूंजी से किया जा रहा हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर 30 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट रोडवेज में है।

नलकूप प्रखण्ड फैजाबाद, की टैक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच

*17—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1967-68 में नलकूप प्रखण्ड, फैजाबाद का निरीक्षण टेकनीकल आडिट सेल द्वारा करने पर विभाग की गम्भीर अनियमितताओं के तथ्य प्रकाश में आये जिसके आधार पर टेकनीकल आडिट सेल ने एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस विस्तृत रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी और सदन को यह भी अवगत करायेगी कि इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? और यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1967-68 में नलकूप प्रखण्ड फैजाबाद का कोई निरीक्षण टेक्नीकल आडिट सेल द्वारा नहीं किया गया अस्तु रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखने और उसके आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी 1960 से 70 तक की जानकारी करायेंगे कि इस पर कोई आडिट हुआ है ?

श्री रामलखन—

इसके लिये आप अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे देंगे।

*18—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*19—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

परिवहन विभाग के आर० टी० ओ०, बरेली के विरुद्ध शिकायतें

*20—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सन् 1971 से आर0 टी0 ओ0, बरेली के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को मिली है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

दिनांक 13-6-70 से दिनांक 27-7-71 तक बरेली संभाग में श्री बी0 एन0 टण्डन संभागीय परिवहन अधिकारी थे। इसके बाद से श्री जे0 पी0 चन्द्रा, आर0 टी0 ओ0, बरेली के पद पर कार्य कर रहे हैं।

सन् 1971 में श्री बी0 एन0 टण्डन के विरुद्ध शासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनके बारे में विभागीय जांच कराई गई। जांच शिकायतों में कोई आधार नहीं पाया गया। दूसरे अधिकारी क विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें मुख्य-मुख्य शिकायतें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, 5, 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एक प्रकाशित गुमनाम पैम्फलेट था जिसमें आरोप लगाया गया था कि टण्डन का मासिक वेतन 700 रुपये है। इनका एक लड़का देहरादून में पढ़ता है और एक लड़की लखनऊ में पढ़ती है, जिन पर 400 रुपये व्यय आता है। बाकी 300 रुपये में यह कैसे निर्वाह करते हैं। यह भी कहा गया था कि इनका एक मकान महानगर लखनऊ में है और एक देहरादून में बन रहा है। एक 4 एकड़ का फार्म भी है। यह भी था कि सतर्कता विभाग में इन्होंने पत्रावली दबवा दी है। एक शिकायत बदायूं की यह थी कि श्री टण्डन कार्यालय में नहीं बैठते हैं और मोटर मालिकों से घूस लेते हैं। एक शिकायत वेद प्रकाश, निवासी रामपुर की 7-7-71 की थी कि टण्डन का स्थानान्तरण बरेली से हो गया है और परमिटों में उन्होंने घूस ली है।

श्री राम करन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो आरोप लगाये गये हैं, वे निराधार पाये गये हैं, तो कृपया यह बतायें कि किस अधिकारी ने जांच की थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, श्री वाटल, द्वारा जांच हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी इस मामले की जांच विजीलेंस कमीशन द्वारा भी करायेंगे और ट्रांसपोर्ट अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस जांच के बारे में यह पाया गया कि यह गम्भीर नहीं है और इस तरह की जांच विजीलेंस द्वारा नहीं करायी जाती है। अप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट का जी० ओ० भी है। अगर स्पेसेफिक कोई कम्प्लेंट अपने नाम से कर दें तब विजीलेंस से जांच होती है। अगर माननीय सदस्य कुछ स्पेसेफिक बातें दें तो जांच करा ली जावेगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं थी, इसलिये सतर्कता विभाग को मामला नहीं दिया गया। किन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि रामपुर से श्री काला साहब ने शिकायत की थी तो क्या यह व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी और फिर सतर्कता विभाग को क्यों नहीं भेजी गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, हल्फनामा दिया है न कोई शिकायत है और न कोई दरख्वास्त दी है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एलींगेशन्स जो हैं, वे निश्चित शिकायत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें निश्चित शिकायत है। उन्होंने मकान बनवा लिये जो करप्शन दफा 3 के अन्दर है। उन्होंने रिश्वत लिया है, यह एक निश्चित शिकायत है। अतः मेरा निवेदन है कि इसकी जांच विजिलेंस के किसी अधिकारी द्वारा करायी जाय।

श्री बलराम सिंह यादव---

माननीय विजीलेंस से ऐसे मामलों में जांच करायी जानी चाहिये जिसमें विभागीय जांच में कुछ आधार साबित हुआ हो। मेरे ख्याल से विजीलेंस से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो किसी दूसरे अधिकारी से उसकी पूरी तरह से करा सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि संबंधित अधिकारी ने दो मकान अपने सेवाकाल में बनवा लिये, उसके पास कई एकड़ फार्म है और सम्पत्ति है। इन सभी बातों को देखते हुये क्या मंत्री जी इसकी जांच विजीलेंस से कराने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव---

ये जो आरोप हैं, निराधार पाये गये। न आर0 टी0 ओ0 के पास देहरादून में और न लखनऊ में मकान है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 25 परमिट दिये गये हैं, वह एक निश्चित शिकायत है और इस सम्बन्ध में सरकार के ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को आदेश है उनका उल्लंघन किया गया है। यह स्पष्ट शिकायत है तो क्या इसकी किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव---

ये परमिट आर0 टी0 ओ0 द्वारा नहीं दिये गये बल्कि एस0 टी0 ओ0 या आर0 टी0 ए0 द्वारा दिये गये हैं। इसमें यह कहा जाय कि रिश्वत लिया गया, उचित नहीं है। वैसे अगर माननीय सदस्य इस एन्क्वायरी से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे अधिकारी से जांच करा दी जावेगी।

रामगंगा परियोजना का निर्माण

*21---श्री वीरेन्द वर्मा---

क्या सिचाई मंत्री बतायेंगे कि रामगंगा परियोजना का निर्माण अन्तिम रूप से कब तक पूरा हो जायेगा? और तब तक कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

रामगंगा परियोजना का सब कार्य 1975 तक पूरा हो जाने की आशा है। अक्तूबर, 1974 से जलाशय में एकत्र जल के उपयोग होने की आशा है।

परियोजना के पूर्ण होने तक इस पर लगभग 128 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस परियोजना में जो 9 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी खर्च में हो गयी है इसका क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मजदूरी की दरें बढ़ गईं, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ गयीं तथा लोहे व हर चीज की कीमत बढ़ जाने के कारण यह इस्टीमेट बढ़ गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इस परियोजना के पूरी होने के बाद इसमें लगे हुये जो कर्मचारी बेकार हो जायेंगे क्या सरकार उनको दूसरी जगह कहीं रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामलखन---

यथा सम्भव प्रयास किया जायगा कि कोई बेकार न होने पाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह योजना 30 जून, 73 तक पूरी होने वाली थी। क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से यह अवधि दो वर्ष और बढ़ा दी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इस परियोजना के लिये बड़ी-बड़ी मशीनें तथा स्पेयर पार्ट्स आदि समय से नहीं आ सके तथा लोहे की भी कमी पड़ गयी तथा अन्य कारणों से जिसके कारण यह अवधि बढ़ानी पड़ी।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

यह योजना कुल कितने करोड़ की थी, कितना उस पर अब तक खर्च हो गया और जब यह पूरी होगी तो कुल कितने करोड़ की होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह बताया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद जो कर्मचारी बेकार हो जायेंगे उन्हें निकाला नहीं जायेगा और उनको दूसरी किसी परियोजना में रखा जायेगा?

श्री रामलखन---

जो कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं, यह काम पूरा होने के बाद, उनको अलग नहीं किया जायेगा, बल्कि दूसरे कामों में लगाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन से पुर्जे आदि थे जिनके न आने के कारण इस परियोजना के पूरा होने की अवधि को बढ़ाना पड़ा और क्या वे देश में ही उपलब्ध नहीं थे ?

श्री रामलखन---

इस परियोजना में जितनी मशीनें लगी हैं वे सभी इम्पोर्टेड हैं। सभी सामान बाहर से मंगाना पड़ता ह जिसके आने में देरी हुई।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

हर परियोजना के बारे में जब भी प्रश्न किया जाता है इसी तरह का जवाब दे दिया जाता ह। तो क्या वे कोई कमेटी इसकी जांच के लिये बिठायेंग जो यह देख कि जो कारण देरी के बताये गये हैं वे सही हैं या नहीं ?

श्री रामलखन---

रामगंगा कंट्रोल बोर्ड तथा एक अन्य टैक्नीकल बोर्ड पहले से ही बना है जिसकी सिफारिशों पर कार्य होता है। दूसरी कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कालागढ़ में अभियन्त्रण सेवायें

*22—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि 29 जून, 1971 को कालागढ़ में अभियंत्रण सेवाओं में सहायक अभियन्ता के स्थायी पदों पर सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिये कोई शासनादेश निकला है ? अगर नहीं, तो कब तक निकलेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसेन—

यह देखते हुए कि इन समस्याओं के समाधान के लिए 26-7-71 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और स्वयं सिंचाई मंत्री सम्मिलित थे और उसमें सारी कठिनाइयों को हल करने के लिए एक प्रोग्राम बना था, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें क्या कठिनाई आ रही है और उन्हें कितनी जल्दी दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामलखन—

इस पर निर्णय ले लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन से इस पर सहमति मांगी गई है. उससे सहमति मिलने पर इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

श्री महीलाल—

यह निर्णय शासन ने जून में लिया था तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तब से अब तक कब-कब कमीशन को चिट्ठी लिखी गई और क्या उसका उत्तर आया ? और यदि नहीं आया, तो क्या उसका कोई रिमाइन्डर भेजा गया ?

श्री रामलखन—

पब्लिक सर्विस कमीशन को बराबर याद दिलाया जा रहा है और आशा है जल्दी ही उससे उत्तर प्राप्त हो जाएगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस मीटिंग में सहायक अभियन्ताओं के बारे में भी चर्चा हुई थी, तो कितने सहायक अभियन्ता इस समय अस्थायी हैं और उनको स्थायी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामलखन—

स्थायी करने का निर्णय ले लिया गया है और उसके अनुसार बराबर कार्यवाही की जा रही है।

बरेली खण्ड में बसों की परमिट

*23—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खंड बरेली में अगस्त, 1970 से लेकर जून, 1971 तक कुल कितने बसों के परमिट आर0 टी0 ओ0 की कमेटी द्वारा जारी किये गये और किन-किन लोगों को मिले ? उन परमिट होल्डरों में से कितने लोग राजनीतिक पीड़ित या ऐसी बेवायें थीं जिनके पति देश की रक्षा में मारे गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में 104 परमिट जारी किये गये। जिन लोगों को परमिट दिये गये उनकी सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

राजनीतिक पीड़ित होने या देश की रक्षा में मारे गये सैनिकों की विधवा होने के आधार पर परमिट स्वीकृत होने का प्राविधान नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा पहले निवेदन यह है कि हमें 104 परमिटों की सूची नहीं मिली है, हालांकि यह आपकी मेज पर लगा दी गई है। यह मामला भी आर० टी० ओ० बरेली, श्री टंडन जिनका जिक्र अभी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए आ चुका है, से सम्बंधित है। इसलिए हमें पहले सारी सूची मिले तब मैं सप्लीमेंटरी क्वैश्चन्स करने में सक्षम हूंगा, तब तक इसे आप स्थगित रखें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रदेश की सरकार शहीदों की विधवाओं को अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान करने पर विचार कर रही है, तो क्या उसी प्रकार परिवहन मंत्री जी अपने विभाग में शहीदों की विधवाओं को बसों के परमिट सहानुभूति पूर्वक देने पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह एक सेन्ट्रल ऐक्ट है और जो इससे सम्बन्धित नियम है उसमें कोई ऐसा प्राविजन नहीं है।

इसलिए राज्य सरकार इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित करने में सक्षम नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चूंकि सेन्ट्रल ऐक्ट होते हुए यह संशोधन कर दिया गया है कि जो व्यक्ति भी अप्लाई करेगा, उसे मिल जाएगा, तो इसमें इस चीज को करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जब यह संशोधन लागू हो जाएगा तब तो इसकी कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दरख्वास्त देने वालों में कुछ दरख्वास्तें बेवाओं और राजनीतिक पीड़ितों की थीं, या नहीं ? यदि थीं, तो वे कौन से कारण हैं कि उनको परमिट नहीं दिए गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसका कोई प्राविजन नहीं है, न इस आधार पर उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट ही की जा सकती हैं, न मंजूर ही की जा सकती हैं कि विधवाएं हैं या राजनीतिक पीड़ित हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए इसका ध्यान रखेंगे कि चूंकि गाड़िया खरीदने की सामर्थ्य बड़े-बड़े अमीर लोगों में है, जिनके पास परमिट हैं या वह गाड़ियां लाकर खड़ी करेंगे, जिन लोगों के पास परमिट हैं उनको परमिट बिल्कुल नहीं दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस बात का पूरा ध्यान रखा ही जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सेंट्रल ऐक्ट है, इसलिए शहीदों की बेवाओं को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना कठिन है, क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि जो हिदायतें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ स परमिट देने के सम्बन्ध में दी हुई हैं उनका क्या आधार है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस तरह की जानकारी कोई मुझे नहीं है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रूट नेशनलाइज्ड नहीं हैं और जिन पर अब बस डालने की छूट है क्या इस तरह के आदेश सम्बन्धित आर०टी० एज० को भेज दिये गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रश्न का जो दिया गया है, उससे सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री जी यह देखते हुए कि सेंट्रल ऐक्ट है इस किस्म की कोई सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे कि जो बेवाएं, फौजियों की हैं उनको और राजनीतिक पीड़ितों को परमिट्स देने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जब स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि बसेज के परमिट ट्रक की तरह कर दिये जायेंगे और जल्दी ही इसका प्राविधान किया जा रहा है तो अब इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जाय। इसलिए कि फिर चाहें विधवा हों या किसी भी कैटेगरी का आदमी हो जो चाहेगा परमिट मिल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार से एक ही प्रति हमारे पास आयी थी। माननीय रियासत हुसैन इसको देख सकते हैं। दूसरी प्रति उपलब्ध नहीं थी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जो श्री कालरा ने 25 परमिटों के बारे में शिकायती दरख्वास्त दी थी वह भी इन्हीं 104 का पार्ट है, चूंकि श्री कालरा को परमिट नहीं दिया गया था, सब मालूमात तक के, बाद में मैनिपुलेट करके श्री कालरा को परमिट दिया गया ताकि वह अपना बयान दे दें कि उन्होंने शिकायत नहीं की है, इन चीजों को ध्यान में रखकर, 104 परमिटों के सम्बन्ध में विजिलेंस से इनक्वायरी कराएंगे कि इन का आधार क्या था और किन भ्रष्ट तरीकों से परमिट दिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अगर माननीय सदस्य इन सारी बातों को लिख कर देंगे तो अवश्य इसकी इनक्वायरी करा दी जायगी।

*24—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

*25—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

उन्नाव जिले में सरकारी नलकूप

*26—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में कितने सरकारी नलकूप उन्नाव जिले में लगाये जाने हैं ?

श्री रामलखन---

वित्तीय वर्ष 1972-73 में बनने वाले राजकीय नलकूपों का आवंटन अभी नहीं हुआ है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त वर्ष में उन्नाव जिले में कितने राजकीय नलकूप लगाये जायगे।

मैनपुरी जिले में नवीन राजकीय नलकूप

*27—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित), श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की विभिन्न तहसीलों में वर्ष 1972-73 में विभिन्न तहसीलों में पृथक-पृथक किन-किन स्थानों पर नवीन राजकीय नलकूप लगाने का सरकार का विचार है?

श्री राम लखन---

वित्तीय वर्ष 1972-73 में बनने वाले राजकीय नलकूपों का आवंटन अभी नहीं हुआ है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त वर्ष में मैनपुरी जिल की विभिन्न तहसीलों में कितने नलकूप लगाये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री नित्यानन्द स्वामी--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

2—श्री श्यामलाल कनौजिया, तथा श्री मुंशीलाल चमार--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

3—श्री श्यामलाल कनौजिया, तथा श्री मुंशीलाल चमार---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

4-5—श्री हरिवंश सहाय---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

प्रान्त के मण्डलीय क्षेत्रों में रीजनल ट्रासपोर्ट मैजिस्ट्रेट की अदालतें

6—श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के हर मंडलीय क्षेत्र में जो रीजनल ट्रांसपोर्ट मैजिस्ट्रेट मोटर व्हीकल्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्य करते हैं उनकी अदालतों में 1 अप्रैल, सन् 1968, 1 अप्रैल, 1969, 1 अप्रैल, सन् 1970, 1 अप्रैल, सन् 1971 को कितने मुकदमें मोटर ऐक्ट के अन्तर्गत पैसेंजर टैक्स के अन्तर्गत गुड्स टैक्स के अन्तर्गत बाकी थे?

श्री बलराम सिंह यादव---

सूचना निम्नवत् है --

तिथि	अनिर्णित मुकदमों की संख्या
1 अप्रैल, 1968	20,389
1 अप्रेल, 1969	28,106
1 अप्रैल, 1970	26,537
1 अप्रैल, 1971	28,258

चूंकि मोटर वहिकिल्स ऐक्ट, पसेन्जर टैक्स ऐक्ट तथा गुड्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें अदालतों में एक साथ एक ही रजिस्टर में दर्ज किए जाते ह अतः तीनों अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णीत मुकदमों की सम्मिलित संख्या दी जा रही है ।

तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर की नानामऊ–रसूलाबाद सड़क

7––श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर में नामामऊ से रसूलाबाद वाया ककवन की पक्की सड़क बनाने की अन्तिम सरकारी स्वीकृति कब हुई थी और इस सड़क को पक्की बनवाने के लिये सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने तक किन-किन लोगों के प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये ?

श्री महमूद अली खां––

जिला कानपुर में नानामऊ–बिल्हौर–ककवन–रसूलाबाद मार्ग का निर्माण शासन ने अन्तिम रूप से 25–11–1971 को स्वीकृत किया था। इस तिथि क पहले इस मार्ग को निर्माण करने हेतु अनेक व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से कुछ विशष लोगों के नाम इस प्रकार है ––

1––श्री सुन्दर लाल कुरील,
2 ––श्रीमती सुशीला रोहतगी,
3––श्री मुरलीधर कुरील,
4––श्री मोतीलाल देहलवी
5––श्री राम दुलारे
6––श्री सोमेश्वर दयाल
7––श्री राम गोपाल सण्ड
8––ग्राम निवासी, ककवन ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)––

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सूची के अन्दर लिखा हुआ है कि प्रश्न स्थगित कर दिये गये। आप देखेंगे कि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिनमें सरकार कार्नर होती है वह स्थगित हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। आप इन प्रश्नों को जल्दी लगवा बें ।

श्री उपाध्यक्ष––

नियमानुसार जो समय मिलना चाहिये वह उनको दिया जाता है। आज प्रश्नों की कमी भी थी। स्थगित होने का प्रतिशत लिया जाय तो लगभग एक सा ही पड़ेगा।

लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष––

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । माननीय सभापति, लोक लेखा समिति....

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन जो प्रदेश के माध्यमिक तकनीकी विद्यालय तथा महिला तकनीकी संस्थान, लखनऊ के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

[श्री मेहरबान सिंह]

(2) माध्यमिक तकनीकी विद्यालय तथा महिला तकनीकी संस्थान, लखनऊ का सम्बन्ध प्राविधिक शिक्षा विभाग से है तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 1970 के अनुच्छेद 43 व 44 में इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है ।

(3) समिति ने इन मदों पर 24 नवम्बर व 14 दिसम्बर, 1971 की बैठकों में विचार किया तथा विभागीय अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया ।

(4) समिति ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 1972 की बैठक में इस विशेष प्रतिवेदन पर विचार करके इसे स्वीकार किया ।

श्रीमन्, समिति यह महसूस करती है कि विभाग की अदूरदर्शिता के कारण इन संस्थानों में पूर्ण व्यवधारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं । छुट्टियों के दिनों तथा ओवर टाइम में अतिरिक्त क्लास लेकर कोर्स को पूरा किया जाना समिति के मतानुसार अव्यवहारिक तथा अनुचित था ।

(22) समिति को यह जानकर दुख है कि एजूकेशन कमीशन की यह सिफारिश के रहते हुए कि छात्रों को तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाय, तथा इन विद्यालयों में और श्रम विभाग द्वारा संचालित आई0 टी0 आई0 में कोई प्रतिच्छादन (ओवर लैपिंग) के न रहते हुए भी शासन द्वारा इन विद्यालयों को बन्द करने का निश्चय किया गया है, जब कि इस योजना के अन्तर्गत भवन और साज-सज्जा पर 90 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है । यदि भारत सरकार के अप्रेन्टिसशिप ऐक्ट, 1962 के अन्तर्गत इन विद्यालयों को मान्यता नहीं प्राप्त हो रही थी तो यह उचित होता कि इन विद्यालयों को जो कि 1964–65 व 1965–66 में खोले गये, खोले ही न जाते जिससे उक्त व्यय भी न होता और छात्रों का जीवन भी बरबाद न होता । समिति यह भी समझने में असमर्थ है कि जब ऐसे विद्यालयों को समान पाठ्य क्रम रहते हुए केन्द्रीय सरकार ने तथा अन्य प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान-की गई है तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन विद्यालयों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी । वास्तविकता तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जानकारी में यह तथ्य लाए ही नहीं गये अन्यथा प्रदेशों की भांति इस प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी गई होती। इस योजना के प्रति शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता व अविवेकपूर्ण नीति की समिति घोर निन्दा करती है । समिति यह आग्रह करती है कि इन विद्यालयों को बन्द न किया जाय और माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इन्हें मान्यता दिलायी जाए और यदि इस हेतु इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो उस पर भी विचार किया जाय ।

(2) प्रशासनिक विभाग का मुख्य आधार इन संस्थाओं को बन्द करने का यही रहा कि केन्द्रीय शासन ने एप्रेन्टिसशिप ऐक्ट के अन्तर्गत इन संस्थाओं को मान्यता नहीं प्रदान की है । यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ने एप्रेन्टिसशिप ऐक्ट के अन्तर्गत इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करत का निर्णय कर लिया है । ऐसी दशा में इन संस्थाओं को बन्द करने का आधार ही नष्ट हो गया, अतः इन संस्थाओं को बन्द नहीं होना चाहिये और इस योजना को जिस पर लाखों रुपय व्यय हो चुके हैं, बन्द न किया जाय और इसे चालू रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

पंचम उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचम उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिनिहित विधायन समिति ने यह आपत्ति की है कि प्रशासनिक नियमों का मूल प्रारूपण हिन्दी में न करके अंग्रेजी में किया गया है और बाद को उसका हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है, उसके फलस्वरूप नियमों की भाषा दुर्बुध, जटिल और कृत्रिम बन गयी है ।

समिति ने इस प्रतिवेदन में इस सिफारिश को पुनः दोहराया है कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग नियमों का मूल प्रारूपण हिन्दी में ही करे ।

दूसरे, शासन ने समिति की इस सिफारिश को कि नियमों के पार्श्व में सम्बन्धित अधिनियम का उल्लेख भी दिया जाय, 1958 में स्वीकार कर लिया गया था । प्रशासनिक नियमों में इस सिफारिश का भी उल्लंघन किया गया है । नियमों के पार्श्व में सम्बन्धित अधिनियम की धाराओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

इन नियमों के निर्माण में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ने 9 महीने का समय लिया है । समिति की स्पष्ट सिफारिश यह है कि किसी भी दशा में इस प्रकार के नियमों के निर्माण में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग 6 महीने से अधिक समय न ले । यदि इससे अधिक समय की आवश्यकता पड़े तो कारणों सहित समिति को 6 महीने पूरे होने से पूर्व ही सूचित करदें ।

इन नियमों की जांच करते समय समिति का ध्यान प्रेस एन्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट, 1867 की ओर भी गया जिसके नियमों का निर्माण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग 105 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी नहीं कर पाया है । सम्बन्धित विभाग ने समिति को सूचित किया है कि उपरोक्त अधिनियम से सम्बन्धित नियमों की निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही इस वर्ष प्रारम्भ की है । इसका मूल कारण यह है कि प्रतिनिहित विधायन कार्य को सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व न विधायिका विभाग पर है और न न्याय विभाग पर । यह कार्य पूर्णतया सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों पर छोड़ दिया गया है । समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि विधान सभा द्वारा प्रतिनिहित अधीनस्थ विधायन न्याय विभाग नया विधायिका विभाग या किसी अन्य सेल को सौंप दिया जाय जो इस बात की छान-बीन करती रहे और देख-रेख करती रहे कि सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अधीनस्थ विधायन के उत्तरदायित्व को दक्षता से, समय से, सुचारु रूप से पूरा कर रहे हैं या नहीं ।

प्रश्नगत नियमों में मुद्रण की त्रुटियों का बाहुल्य है जो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की अदक्षता और लापरवाही का द्योतक है ।

प्रश्नगत नियमों में कुछ नियम, जैसे नियम 6, मूल अधिनियम में संशोधन हो जाने के पश्चात् अवैध हो गये हैं । सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को मूल अधिनियम में संशोधन हो जाने के पश्चात् नियमों को भी रिवाइज करना चाहिए अन्यथा जो नियम मूल अधिनियम की धाराओं से सुसंगत होते हैं, मूल अधिनियम की धाराओं के संशोधन होने के पश्चात् उनके अवैध हो जाने की सम्भावना रहती है । अतः समिति ने इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि जब कभी मूल अधिनियम में संशोधन किये जाएं तभी सम्बन्धित अधीनस्थ विधायन में भी आवश्यक परिवर्तन कर दिये जाने चाहिए ।

---

†छापा नहीं गया ।

उद्योग राज्य मंत्री, श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जब 22 तारीख को बुनकरों के बारे में चर्चा चल रही थी तो उद्योग मंत्री, माननीय विभव जी ने कहा था कि जिला सहकारी बैंक उनको ऋण दे रहे हैं। उस पर मैंने आपत्ति की थी। उसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की, यह बिलकुल गलत है और कल मैंने दिया था, उसका तो निर्णय बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका जो प्रश्न है वह अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी को निर्दिष्ट कर दिया है। उनका उत्तर आए तभी उसमें कुछ किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 448–449 पर)

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मोटर वैहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वैहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 450–453 पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972 पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 454–456 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापलिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुर:-स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 157–463 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

बोनस की मांग को लेकर 13 हजार सूती मिल मजदूरों की हड़ताल, यह माननीय नित्यानन्द स्वामी की सूचना है । उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

दूसरी सूचना माननीय सुरेन्द्र विक्रम और राम बिलास पांडेय जी की, शाहजहांपुर के परगना-खेड़ा बझेड़ा में रामगंगा नदी के कटने से गांव में बरबादी के विषय में है। इसको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

तीसरी माननीय मनोहर लाल, त्रिलोक चन्द और सच्चिदानन्द गुप्त की सूचना है, कानपुर की स्वदेशी तथा जे० के० काटन मिल्स को मालिकों द्वारा बन्द कर देने से हजारों श्रमिकों के बेकार होने की सूचना है । इसको पहले प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है । इसको भी स्वीकार किया गया है ।

[श्री उपाध्यक्ष---]

माननीय कल्पनाथ सिंह की कानपुर में स्वदेशी एवं जे० के० का० मिल्स के मजदूरों द्वारा बोनस की मांग लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल के संबंध में सूचना है । यह भी स्वीकार की गई है । इसको एक में जोड़ दिया जायगा ।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और सूबेदार प्रसाद की सूचना जिला उरई, ग्राम मछ-कच्छ में ग्राम पंचायत के चुनाव को प्रभावित करने के लिये डाकुओं द्वारा अपहरण एवं आतंक के सम्बंध में सूचना है । इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं पहले कह दूं कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कह दीजिये । लेकिन जो लिखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि...

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पहले आप हमारी बात सुन लें । ग्राम पंचायत के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण इसलिये है कि सदन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शासक दल इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है । लेकिन आज इसका ढंग दूसरे रूप में हमारे सामने आ रहा है कि डाकुओं की सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिये । मध्य प्रदेश में डाकुओं ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने प्रभाव से शासक दल द्वारा चुनवा लिया । इसका प्रभाव राजनीकि क्षेत्र में यहां पर भी पड़ रहा है । राजनीतिक क्षेत्र में यहां पर हस्तक्षेप करना शुरू किया है । अभी एम० एल० एज० के चुनाव में हुआ है और जो पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं उनमें भी इनका रवैया उसके पक्ष में है बल्कि राजनीतिक कारण उसके पीछे है कि पांच गड़रियों का उन्होंने अपहरण किया । ये पांच गड़रिये प्रभावशाली थे उस इलाके में इसीलिये उनका अपहरण किया कि वहां का नक्शा पलट जाय सारे पंचायत राज का । तो क्या लोकतंत्र इसी तरह से चलेगा कि डाकुओं का उपयोग किया जायगा ? जब लोकतंत्र आज यों ही गड़बड़ा रहा है ऐसी परिस्थिति में, इससे बड़े महत्व का प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता । आज जन-जीवन तो त्रस्त है ही अब इसका प्रवेश राजनीतिक जीवन में भी हो गया है । ग्राम पंचायत जो आगे आने वाली है, वह नहीं, वह तो एक मामला लेकर राजनीतिक जीवन को विषाक्त किया जा रहा है, यह मैंने लिखा है । इसलिये आप इस को हल्का न बनाएं । यह कल्पना मात्र ही कि डाकुओं का प्रवेश राजनीतिक जीवन में हो रहा है और राजनीतिज्ञ डाकुओं का उपयोग कर रहे हैं शक्ति प्राप्त करने के लिये क्या यह लोकतंत्र के लिये हितकर है ?

श्री उपाध्यक्ष---

डाकुओं द्वारा अपहरण और आतंक, इस पर तो वक्तव्य हो सकता है लेकिन मोटिव...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मोटिव तो इसलिये कहा कि प्रभावशाली लोगों को सीन से रिमूव करने के लिये उनका अपहरण किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

इससे मैं सहमत हूं । लेकिन जो यह सोचा गया कि नीति प्रभावित करने के लिये हुआ तो मैंने उसको नहीं लिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने सही सोचा लेकिन आखिर इसको भी सोचें कि अगर उदाहरण न देता तो इमीडियेट काज और एफेक्ट कैसे बताता। यह तो प्रथम चरण है। इसको सारे संदर्भ में देखें। इसलिये मेहरबानी कर के इसको मंजूर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, नियम 51 में आप दे दें कल, स्वीकार कर लूंगा। लेकिन उसके पीछे जो शब्दावली हो, जैसा आप कह रहे हैं, उसी के अनुरूप हो।

माननीय शम्भूनाथ चौधरी और माननीय चन्द्रभान शर्मा ने राज्य विधान सभा क्षेत्र से राज्य सभा की सीटों के लिये उद्योगपतियों द्वारा वोट खरीदने का प्रयास के सम्बन्ध में दिया है। यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है और यह सरकार क्या करेगी ?

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

निष्पक्ष चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो यह प्रस्ताव आपके सामने आया है जिस पर आपने व्यवस्था दी क्या यह उचित है कि अगर किसी दल के कुछ विधायक उस चीज के पीड़ित हों या ऐसा उनको खतरा हो कि कोई पूंजीपति उनको खरीदने की बात करता हो तो उस चीज को सदन के अन्दर रख कर सारे सदस्यों को बेइज्जत किया जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं एक चीज की तारीफ सरकार की करता हूं कि ऐसी स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी कि डाक्टर जेड० ए० अहमद और श्री बी० आर० मोहन एक घाट पानी पी रहे हैं। लकिन सचमुच जैसा मैंने पहले स्वयं आपके सामने रखा यह उसकी एक कड़ी है। यह प्रजातंत्र रह नहीं जायगा। आज प्रजातंत्र खतरे में इसलिये पड़ गया कि खरीद फरोख्त बुरी तरह से जारी है। अब तो किसी को शर्म हया है ही नहीं। अब तो—क्षमा करेंगे—जो पत्रकार बन्धु हैं, जो और लोग हैं वह ऐसी झपसठ में पड़ गये हैं कि बड़ा कठिन हो गया है विरोध पक्ष का काज सामने रखना। अब तो केवल यह कुर्सी बच रही है कि आप हमारी रक्षा करें और आपकी रक्षा से भी निराश हुए तब इस लोकतंत्र का क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों पर इस प्रकार का अभियोग लगाना कि कोई उनको खरीद रहा है या वह बिक रहा है, यह सदन के सदस्यों के सम्मान में उचित नहीं है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

बी० आर० मोहन को आपने कैसे खड़ा कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर इस तरह से आप नहीं बोलने देंगे तो आपके नेता भी फिर बोल न पायेंगे। मैं जानता हूं कि आप देवरिया के रहने वाले हैं।

श्री बांके लाल—

मुझे भी याद है कि आप भी देवरिया के हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यही तो मैं याद दिला रहा था कि हम दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं। फिर आपस में यह प्रक्रिया न चले तो अच्छा हो।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

हम तो समझते थे कि आप काशी के हैं, आप देवरिया के कैसे हो गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरे पुरखे तो देवरिया के थे, पता नहीं उनके हैं या नहीं। तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह के अभियोग लगाना और सदन के सदस्यों पर इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि विधायकों को रुपया दिया गया है तो उसका आप नाम मेरे सामने प्रस्तुत कर दें। उससे सभी का मार्गदर्शन हो जायगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिये। लेकिन इस प्रकार से जनरल सवाल उठाना उचित नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप उसका नाम सबके सामने बताएं, आप मुझे गुप्त रूप से बता दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, आप इसके लिये सक्षम हैं। आप स्वयं ईमानदारी की परिभाषा कर लीजिये। ऐसा न हो कि जो बात हमको सूट करे वह तो ईमानदारी और जो बात सूट न करे वह ईमानदारी नहीं है। एक आदमी तो एक को धोखा देता है लेकिन जो एक लाख आदिमियों को धोखा देता हो वह क्या होगा ? एक आदमी एक लाख आदमियों के द्वारा चुन कर आता है और फिर दल बदल जाता है यह क्या है। इसलिये आपको ईमानदारी की परिभाषा करनी होगी।

श्री बांकेलाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही वह बिलकुल सत्य है कि क्या सदस्यों की यही नैतिकता रह गयी है कि वह रुपये-पैसे पर बिका करें, दल बदला करें। अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो माननीय सदस्यों को अपने को स्थिर रखना चाहिये कि वह न बिकें, रुपया के लालच में न आएं। अगर कोई बिक जाता है तो वह अपनी नैतिकता को स्वयं ही गिरा देता है। इसमें किसी दूसरे का कसूर नहीं है। लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूंजीपति, श्री बी० आर० मोहन को क्यों खड़ा कर दिया गया है। इसमें कौन-सा समाजवाद है। पूंजीवादी वर्ग के लोगों को उन्हें खड़ा नहीं करना चाहिये था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, अगर आप प्रस्ताव को देखें तो उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उसमें तो यह लिखा हुआ है—"राज्य सभा की सीटों के लिये खड़े उद्योगपतियों द्वारा वोट खरीदने का प्रयास" इसमें तो पूंजीपतियों के बारे में कहा गया है कि जो लोगों को भांति-भांति के प्रलोभन दे रहे हैं। किसी विधायक के बारे में इसमें कुछ भी कहा गया नहीं है। मैं भाई रियासत हुसेन साहब से कह देना चाहता हूं कि यह मैं ही यहां: नहीं कह रहा हूं, सारे अखबारों में यही चर्चा है हम तो चाहते हैं कि सब की इज्जत बचे और पूंजीपति जो ऐसे कारनामे कर रहे हैं उनको पकड़ा जाय और उनको दंड दिया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी इस कार्य में सहायक हों और ऐसा कार्य न होने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कुछ कह रहे हैं और जिस अभीष्ट सिद्धि की बात चाहते हैं वह हमारे क्षेत्राधिकार क बाहर की बात है और वह चीज चुनाव आयोग से संबंधित है। यदि ऐसा

हुआ है या आशंकित स्थिति है । तो चुनाव के बाद जो उपचार आप के पास, ईमानदार लोगों के पास हैं उसका उपयोग खुलकर किया जाय और ऐसी आपत्तिजनक और साक्ष्य-सम्मत चीजें आयोग के सामने रखें और चुनाव आयोग उसपर कार्यवाही करे । क्या आप चाहेंगे कि एक और बड़ी गलती की जाय कि चुनाव के बारे में जो भ्रष्टाचार और अनियमितता हैं उसके लिये सरकार जवाबदेह हो, वह स्थिति में समझता हूं कि हमारे चुनाव आयोग की जो गरिमा और स्थान है उसके अनुरूप न होगी ।

अब श्री हरिवंश सहाय का यह हक है...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अभी कह रहा हूं । आप बाद में कहें । पूर्वी जिलों में बाढ़ सहायता का न बांटा जाना यह श्री हरिवंश सहाय ने दिया है कि पूर्वी जिलों में बाढ़ से बचने की सहायता को पूरा नहीं बांटा गया । इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था आप उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लिये 8 लाख रुपया दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र में 16 जिले हैं देवरिया जिले में....

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने जो प्रश्न किया है उस में देवरिया के बारे में नहीं कहा है....

श्री हरिवंश सहाय---

5 हजार रुपया गोरखपुर को और 5 हजार बस्ती को...

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न करें, उत्तर दिला दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए २ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड (अब गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय) के लिये 2 सदस्यों के निर्वाचनार्थ माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया है:---

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय-सोमवार, 3 अप्रैल, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक ।

(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय-मंगलवार 4 अप्रैल, 1972 को 5 बजे से (सचिव, विधान सभा के कमरे में) ।

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय-मंगलवार 11 अप्रैल, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक ।

(4) मतदान आदि यदि आवश्यक हुआ तो गुरुवार 13 अप्रैल, 1972 के दिनांक 12 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा ।

अब श्री रामधारी शास्त्री ··

राज्य सभा निर्वाचन में सदस्यों को रुपये से प्रभावित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, एक प्रश्न मैंने उठाया था···

श्री उपाध्यक्ष---

पहले श्री कल्पनाथ सिंह जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे वह क्या कहना चाहते हैं, कहें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)

श्रीमन्, मैं आपके सम्मुख एक ऐसा प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं जो मेरे लिये थोड़ी दिमागी परेशानी का कारण बन गया है । अभी अभी आपने एक व्यवस्था भी राज्य सभा के चुनाव के संबंध में दी कि अगर माननीय सदस्यों को कोई शिकायत हो किसी बात के लिये तो वह सारा विषय चुनाव आयोग से संबंधित है । लेकिन यहां के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं और उन्हें बहुत हद तक बहुत से मामलों में आप से नियमानुसार संरक्षण भी प्राप्त होता है और उनके विशेषाधिकार से उन को संरक्षण प्राप्त होता है ।

श्रीमन्, सदस्यों का यह एक कर्त्तव्य है कि वे निर्वाचन नियमावली में जो राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करती है, कि सदस्य ही किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं । वे ही उसके वोटर है । मैं किसी सदस्य पर या किसी व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाता हुं । जहां तक सवाल है कि उनके नोटिस में आया, उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, उसमें मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन अगर वातावरण दूषित होता है और कोई गैर सदस्य कहता तो बात दूसरी है, स्वयं मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही वह किसी गैर सदस्य ने नहीं कही । हम भी सदस्य हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी भी सदस्य हैं । मेरा निवेदन है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री को यह बात मालूम होती और उन्होंने आपके ऊपर बात छोड़ी तो सरकार के अधिकार का सवाल नहीं । एक बात पर स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी सहमत हैं ··

श्री उपाध्यक्ष---

अगर किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न है तो उसको हम देख सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

विशेषाधिकार का सवाल तो तभी होगा जब कोई बात होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप भी इससे सहमत होंगे कि इस सदन के गौरव और गरिमा में आंच पहुंचाने का प्रयास नादानी से और सच्ची नेकनियती से किसी तरह से भी हो, उसको भी रोका जाना चाहिये । तो इस तरह का प्रश्न नहीं आना चाहिये । मैंने जो निर्णय किया वह वहां तक सीमित है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप अवसर ढूंढ़िए । आप तो संसदीय मामलों में दक्ष व्यक्ति हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । पूर्व इसके कि मैं इस पर चर्चा करूं, मैं प्रस्तावक महोदय को विशेष धन्यबाद देना चाहता हूं । जहां तक मुझे स्मरण है 1969 के निर्वाचन के बाद यह चौथी बार राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा और हर बार ऐसे ही सदस्य को धन्यबाद का प्रस्ताव रखने का अवसर दिया जाता है कि जिस पीढ़ी से माननीय रियासत हुसैन साहब आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पीढी शब्द आप बदलिये ?

श्री रामधारी शास्त्री—

एक सदस्य मेरे जिले के थे जो इस समय सदस्य नहीं हैं । अब बड़ी चर्चा दलबदल की हुयी है । कहीं हमारे मित्र को यह अवसर इसी वजह से तो नहीं मिला है । अपने धन्यबाद के प्रस्ताव में सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह सरकार अप्रैल को बनी और उसके पहले जो सरकार थी, श्री टी0 एन0 सिंह उसके मुख्य मंत्री थे । उन्होंने क्या किया, इसकी चर्चा उन्होंने की । इसे सौभाग्य कहा जाय या दुर्भाग्य, यह सरकार 1 अप्रैल को नहीं बनी, बल्कि 4 अप्रैल को बनी । इसके पहले जो मुख्य मुख्य मंत्री थे, श्री टी0एन0सिंह, उनका सौजन्य, उनकी ईमानदारी पर या उनके कार्यकलापों के बारे में अगर कोई शिकायत होगी तो हमारी चुनौती होगी । शायद आप कहेंगे कि वे अपने ढंग के अनूठे आदमी थे, इसलिये उनके बारे में यह चर्चा नहीं आनी चाहिये ।

श्रीमन्, इसी के सिलसिले में जो दूसरे सदस्य हमारे लायक दोस्त, पंडित राजमंगल पांडेय बोले उन्होंने बड़े दावे से कहा कि जनता ने दो-दो बार फैसला कर दिया है । लोक सभा के चुनावों के बारे में आप कहने के अधिकारी नहीं हैं । उनकी टोन से ऐसा लगता था कि हम कहने के अधिकारी नहीं हैं । मैं इसे स्वीकार करता हूं कि अगर दोनों निर्वाचनों में जनता का मन्डेट है तो फैसला आपके हक में है और वह आपकी सर्वप्रियता को बतलाता है । मान्यवर, जिनके पास यह चातुरी है कि पूंजीपतियों का वोट और गरीबों का वोट एक साथ लेते हैं, हम इसके लिये भी उनको दाद देना चाहते हैं । आप जितनी कुशलता के साथ टाटा बिरला को खरीद लेते हैं उतनी ही चातुरी से आप घुरहू और बुढ़ऊ का वोट भी हासिल कर लेते हैं । मैं इसमें अपनी पराजय स्वीकार करता हूं । मैं समझता हूं कि प्रत्येक सम्मानित सदस्य इसको स्वीकार करता हूं । लोक सभा के चुनाव में बाद डिसीजन अर्ली हो गया । तीन प्वाइन्टस हैं । लोकतंत्र के तीन आधार हैं लोक तंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और इन्हीं के आधार पर जनता का निर्णय होना चाहिये । मैं चाहूंगा कि जिन तीन नारों के बल पर आप चुनाव में जीते और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम ये करते हैं तो क्या आप उनका अनुपालन करते हैं ? लोक सभा के जब चुनाव समाप्त हुये तो लोकतांत्रिक जो कदम उठाया गया मलिकाये-हिन्द की ओर से उनकी चर्चा करना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनावों के बाद आपने जो लोक तंत्र की रक्षा की वह यह है कि मैसूर में राष्ट्रपति शासन की स्थापना हुई । आप वहां पर ऐसी स्थिति में थे कि आप वहां शासन कर सकते थे । इसी तरह गुजरात में भी राष्ट्रपति शासन की स्थापना की गई । आपने पंजाब में भी जिस ढंग से राष्ट्रपति शासन की स्थापना की वह भी एक शर्मनाक ढंग ही है और पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन की स्थापना की गई । बंगाल तो

---

†28 मार्च 1972 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामधारी शास्त्री]

पहले से ही चपेट में था । आप तब इस स्थिति में थे कि केवल बंगाल को छोड़कर आप समस्त अन्य राज्यों में अपना राज्य स्थापित कर सकते थे लेकिन लोक निष्ठा ऐसी है कि आप बंगाल के अतिरिक्त सब में चलने देते ।

पवित्रता या शुचिता लोकतंत्र का महान अंग है । उसके बिना कोई लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह आपके लिये मृत्यु की घंटी है । जब आपके दल के और जिस पर आपने गौर नहीं किया, संशोधन पर संशोधन किये । कांग्रेसी तभी हो सकता है क्या जब कोई शराब पीये और खद्दर न पहले ? उस दिन माननीय सदस्य को नहीं समझ सका कि शराब न पीने की जो बन्दिश है उसको हटाना तथा खद्दर के अलावा जो वस्त्र पहिने हैं उसके माने क्या हैं । हम तो भोगेंगे लेकिन आप उससे बरी नहीं रह सकते । इन सबका फल आपको भोगना पड़ेगा । जब सारे हिन्दुस्तान में उप निर्वाचन हो रहा था तो लोकतंत्र का सब से आखिरी नमूना दिल्ली से आया और आप अपने माननीय नेता का नाम लेते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी का, वह उनकी ओर से हुआ । क्या हुआ ? आप पूरी तरह से शासन में थे । एक महीने के अन्दर चुनाव होने वाले हैं लेकिन लोक तंत्र की रक्षा के लिये आपने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को बरखास्त करके दूसरे मुख्य मंत्री को वहां बैठाना उचित समझा इसी तरह से आसाम के मुख्य मंत्री को हटाकर के आपने उनके स्थान पर दूसरे ही मुख्य मंत्री को बैठाना उचित समझा । इसी तरह से राजस्थान के मुख्य मंत्री को बरख्वास्त करके आपने उसके स्थान पर दूसरे मुख्य मंत्री को बिठाया, आपका पटर्न क्या था ? विधान सभा के चुनाव हुए लेकिन लोगों में, नहीं, जहां आपका बहुमत है । लोग दिल्ली से इम्पोर्ट होते रहे या खेदे जाते रहे । और इसके लिये आपको मैन्डेट मिलता है तो वह मैन्डेट जनता का आपके लिये ही मुबारिक हो । वह हमको नहीं चाहिये । आपने चुनावों में किया क्या । क्या यह सही नहीं है कि कौन इंकार कर सकता है कि बंगाल के पंद्रह हजार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जेल में भेज दिया गया और तब चुनाव हुए ? क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे । पचास हजार रिजर्व पुलिस और मिलिटरी के जवान वहां पर गये । तमाम लोगों को पीटा गया । आपको बड़ा नागवार था कि नक्सलवादी तत्व बढ़ रहा है । मैं तो समझता हूं कि नक्सलवादियों के चाचा तो आप साबित हुये हैं । पंद्रह हजार लोगों को आपने जेल में स्वयं ही बन्द कर दिया और आप कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं । पता नहीं यह कहने में थोड़ी हिचक होती है कि नहीं ।

मान्यवर, ये चुनाव कैसे हुये मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हमें वह लोकतांत्रिक आदमी को थोड़ी शर्म महसूस करनी चाहिये जो किलोकतंत्र की मर्यादा में यकीन रखते हैं । एक-एक कांग्रेस कैन्डीडेट पर दो-दो लाख रुपये खर्च हुये और यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र, श्री लोकपति त्रिपाठी के निर्वाचन के लिये तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जब कि विधान सभा बैठने वाली थी । उनके इलेक्शन में 25 लाख रुपया खर्च हुआ । कौन मंत्री वहां नहीं गया, जहां-जहां चुनाव हुये मुख्य मंत्री जी ने हवाई जहाज से दौरा किया । पता नहीं आपने राजनीति को क्या बना रखा है। क्या यह सही नहीं है कि आपने फिल्म तारिकाओं का उपयोग किया, आपने सिनेमा में नाचने गाने वालों का इस्तेमाल किया ? क्या नैतिकता है ? जब आप राजकपूर का इस्तेमाल करेंगे और सुरैया जैसी नर्तकी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या यही लोकतंत्र है ? और अगर है तो भगवान बचाये । आपको सोचना पड़ेगा और हजार बार सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह से लोकतंत्र स्थायी रह सकता है ?

इस सिलसिले में मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं कि समाजवादी नेता, जार्ज फर्डनीज ने खुलकर कहा कि 24 करोड़ रुपया चीनी मिल-मालिकों से वसूल किया गया

है और इसीलिये गन्ने के दाम कम किये गये और चीनी के बढते हुये दामों को छूट दे दी। उनकी इस चुनौती को गलत करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई और न ही किसी की तरफ से यह कहा गया कि यह इल्जाम गलत है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल लोक सभा के चुनाव में और इसके बाद के चुनाव में टाटा से 7 करोड़ रुपया लिया गया और उसके बदले में उनको दामों को बढ़ाने के लिये छूट दे दी गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के समय लोहे की छड़ का दाम, जो घरों को बनाने के काम आती है, 100 और 102 रु0 प्रति क्विंटल था। मगर चुनाव के बाद अब वही छड़ 215 रु0 प्रति क्विंटल के दाम पर भी नहीं मिल रही है। इसकी क्या वजह है, क्या किसी ने जानने की कोशिश की? मान्यवर, आपने चुनाव में निष्पक्षता बरतने को कहा गया। आपने लीवर ब्रदर्स से भारी पूंजी ली और डालडा को छोड़ दिया कि चाहे जितने दाम बढ़े। आज साबुन 75 पैसे 85 पैसे हो गया, आज चीनी के दामों की क्या हालत है। जिन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की बात थी वह क्या हुई? और आज 4 रु0 प्रति किलो के हिसाब से चाहे जितनी चीनी मार्केट से ले लीजिये यह है आपका लोकतंत्र। गन्ने के दाम कम करके 10 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया लेकिन चीनी के भाव ठीक रखने के लिये पूंजीपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

मान्यवर, इसी सिलसिले में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि आप कितने समाजवादी हैं और कितने लोकतांत्रिक हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई कांग्रेसमैन इस बात से इंकार नहीं करेगा कि श्री वी0आर0मोहन शराब का सबसे पड़ा निर्माता और पूंजीपति है। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि जब श्री वी0आर0मोहन और श्री हरिभजन सिंह जैसे कांग्रेस के नामिनी और समर्थक होंगे तो यह कैसा समाजवाद है। मैं किसी विधायक पर लांछन नहीं लगाता और न ही मुझे जानकारी है, लेकिन मैं रोज देखता हूं कि खुले आम ये पूंजीपत यहां घूमते हैं और बिक्री हो रही है। उसको इसलिये कांग्रेस का नामिनी रखा कि वह खरीद ले और सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण हार जायं। श्री यशपाल कपूर जिन्हें सरकार बदलने की कला मालूम है एक रोज श्री सी0बी0 गुप्ता के पास गये और श्री राजनारायण को छोड़ कर किसी को भी जितवा देने की बात कही। हमारी प्रधान मंत्री जिसको चाहें उसको जितवा दें और जिसको चाहें हरवा दें। राजनारायण को अलग कर दिया। आप अपनी पार्टी में तानाशाही लाइये लेकिन आपको दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस तंत्र तानाशाही की ओर जा रहा है। कांग्रेसी कान खोल कर सुन लें कि यह लोक-तंत्र नहीं है कि विदेश नीति निर्धारण समिति के सदस्य कौन हैं? वह एक आई0ए0एस0 आफिसर, श्री डी0पी0धर हैं। अब अर्जुन अरोड़ा की हैसियत नहीं है कि वह राज्य सभा के सदस्य हो सकें। अब कौन होगा? श्री वी0आर0मोहन होंगे, यशपाल कपूर होंगे। यह आप ही का जनतंत्र है। के0एन0मुल्ला होंगे। पहले आप अपनी तस्वीर तो देखिये तब मालूम होगा कि कैसी है।

आपके प्रदेश में पंचायतों के चुनाव 1961 में हुये। 12 वर्ष व्यतीत हो गये। जिला परिषद् के चुनाव 13 वर्षों के बाद होंगे। आपने लोकतंत्र की रक्षा की और बिजली बोर्ड बनाया उसमें जनप्रिय चेयरमैन होता लेकिन आपने उसका अध्यक्ष एक उच्च अधिकारी को बना दिया। लन्ड मैनेजमेंट जांच समिति बनाई जिसमें भी एक सरकारी आफिसर को बैठा दिया, सहकारी बैंकों के चेयरमैन का नामिनेशन सरकार करेगी। इसमें भी आप किसी सरकारी अधिकारी को बैठा देंगे। क्या ये बातें सिद्ध नहीं करती हैं कि आपका लोक तंत्र किस दिशा को जा रहा है? आपने एक सिंचाई कमीशन बठा दिया और जब श्री चतुर्भुज शर्मा जी को मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला तो आपने उसका चेयरमैन उनको बना दिया। श्री जगन प्रसाद रावत जब पंचायत मंत्री थे तब तो वे कुछ कर नहीं सके लेकिन अब आपने पंचायती राज समिति का उनको अध्यक्ष बना दिया और अब वह सब काम उसका कर लगे।

[श्री रामधारी शास्त्री]

एक कमेटी आपने बैठा दी कि गरीबों को जमीन कायदे के अनुसार नहीं मिली है उसके अध्यक्ष श्री मंगल देव विशारद होंगे । इससे पता चलता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं । किसी की हिम्मत नहीं है कि यह कह सके कि यह उम्मेदवार अच्छा नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा । इस प्रकार के कार्य तानाशाही के द्योतक हैं ।

इनकी श्रम नीति को भी देखिये । प्रधान मंत्री ने फतवा दिया है कि तीन वर्ष के लिये कोई हकदार नहीं है । जिस प्रकार से हिटलर ने किया था उसी तरह से आप कर रहे हैं । सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में एक कारखाने में एक यूनियन होगी । अब यह तय हो गया था कि कई यूनियन्स हो सकती हैं । आपने फिर वही तानाशाही का नमूना यहां पर भी पेश किया है । इस प्रकार के लोकतंत्र का मूल्य क्या है । कल प्रश्नों के घंटे में यह बताया गया कि परिवार नियोजन में 11 मौतें हो गई । फी आदमी को 1000 रु० दिया गया । जिस देश में इंसान का मूल्य 1 हजार रुपया हो जाय वह देश किस प्रकार चल सकता है ? शर्म से माथा झुक जाता है । यह हमारे डाक्टरों की लापरवाही से हुआ 11 मौतें हो गई । उस क्षेत्र के सारे अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि परिवार नियोजन के कारण उन लोगों की भी जमानतें की गई हैं जिनकी नहीं होनी चाहिये थीं । यह शर्मनाक तरीका अपनाया जा रहा है।

मान्यवर, दूसरा इनका उदाहरण था समाजवाद का । यह कैसे लाते हैं, इसका एक तरीका है । इन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिये घोषणा की । उसमें छोटे कर्मचारियों की कम बढ़ोत्तरी हुई और बड़े कर्मचारियों की अधिक हुई । यह कैसा समाजवाद है ? समाजवाद में तो छोटी और बड़ी तनख्वाह में 1 और 10से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये । लेकिन यहां तो बड़ी तनख्वाह वाले की ज्यादा बढ़ोत्तरी होती है और छोटी तनख्वाह वाले की कम बढ़ोत्तरी होती है । यह लेनिन या कार्लमार्क्स का समाजवाद नहीं है, यह तो इन्दिरा गांधी का समाजवाद है। दूसरी बात समता लाने के बारे में कही गई। आज प्रदेश के चौकीदार की तनख्वाह 10 रुपये है और सबसे बड़े नौकर, राज्यपाल की तनख्वाह 5000 रुपये है । चौकीदार को कोई सुविधा नहीं है लेकिन राज्यपाल पर कोठी के अलावा एक लाख रुपया और खर्च किया जाता है। यह इंदिरा गांधी का समाजवाद है जिसमें कम तनख्वाह वाले को कोई सुविधा नहीं है लेकिन ज्यादा तनख्वाह वाले को हर प्रकार की सुविधायें हैं । मुझे तीन मिनट समय और दे दिया जाय । इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति पर 1 लाख 25 हजार रुपये महीना खर्च किया जाता है और देश को समाजवाद की मशाल जलाने वाली माननीया इंदिरा गांधी पर 30 हजार रुपये रोज का खर्चा आता है । तीन तीन चार चार हेलीकाप्टर उनके साथ चलते हैं । उन पर एक घंटे में साढ़े बारह हजार रुपये का खर्चा आता है ।

मैं आपके माध्यम से एक दूसरे समाजवाद के बारे में बतलाना चाहता हूं । पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरो थे । उनका क्या कसूर था कि उनको हटाया गया? उनका कसूर यही था कि उनके बेटे ने पिता का नाम सम्मिलित करके सिनेमा का लायसेंस लिया था । उसकी जांच हुयी और यह कहा गया कि पद का दुरुपयोग किया गया है । आज नैतिकता की यह हालत है कि जिस कमेटी की चेयरमैन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी हैं, उसमें उनके बेटे को लायसेंस 4 करोड़ का छोटी कार का कारखाना लगाने के लिये दिया जाता है । आज यही समाजवाद है जिसके लिये जनता ने वोट दिया है । एक यहां हरिजन सहायक विभाग है । उसके मंत्री राजा अजित प्रताप सिंह ह और दूसरे मंत्री बेगम हबीबुल्लाह हैं । तो आज इन हरिजनों का रक्षक एक राजा है और दूसरी रानी है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । बंगला देश की दुहाई यहां बहुत दी गई । एक बार भी राज्यपाल के भाषण में या वित्त मंत्री जी के भाषण में यह नहीं कहा गया कि विरोधी दल का उसमें सहयोग था । पार्लियामेंट के सदस्यों ने चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो एक स्वर से कहा था कि यह मुल्क की रक्षा का सवाल है । बंगला देश के शरणार्थी चले गये हैं लेकिन फिर भी 400 करोड़ का अधिभार लगा हुआ है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका समाजवाद केवल छल मात्र है । इन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद सब मिलाकर 16 सौ करोड़ रु0 के कर बढ़ाये । इसका प्रत्येक बूढ़े और जवान पर 16 रुपये का अधिभार पड़ा है । शायद रावण भी इतना कर अपनी जनता से न लेता रहा हो । 8/9 महीनों के अन्दर 16 रुपये का कर दुनिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है । और उसके बाद आप नारा लगाते हैं समाजवाद का । राज्यपाल के अभिभाषण ने क्या किया ? 10 करोड़ रुपये का टैक्स गरीब किसानों पर लगाने जा रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जी किन्तु बिड़ला से 2 पैसे पर यूनिट की बिजली की दर को 30 पैसे नहीं किया जा सकता । यही इनका समाजवाद है । आप हरिजनों के बड़े हिमायती बनते हैं । किन्तु आज भी गांवों में जो गरीब लोग बसते हैं उनके लिये पीने के पानी के कुयें नहीं हैं । वे सारे समाज का जूठा खाते हैं । हलवाई की दूकान में जब आप मिठाई खाकर दोने को फेंकिये तो उस जूठे दाने को चाटने के लिये एक ओर कुत्ता दौड़ता है तो दूसरी ओर गरीब इंसान का बेटा । यह समाजवाद नहीं है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह एक छलना है । तो मैं इस राज्यपाल को धन्यबाद देने के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह उस प्रस्ताव को भारी बहुमत से ठुकराये ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रियासत हुसैन के राज्यपाल को धन्यबाद दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल से दुनिया भर की आलोचना हो रही है इस पर मैं सिर्फ एक शेर अर्ज करता हूं । हम गुनाहगार हैं, गुनागार भी लेकिन वह हमसे कोई पूछे जो गुनागार कम हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मजदूरों पर गोली चलाने वाले भी गूजरमलमोदी को पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित नहीं किया गया, संविद की सरकार में ? क्या (श्री एस0एन0 मोहन को संविद की सरकार ने श्री वी0आर0मोहन के पिता को) किसने पद्म श्री की उपाधि दिलाई ? आज कांग्रेस की नाना प्रकार की आलोचना की जा रही है लेकिन कोई नहीं देखता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है । कितना पिछड़ गया है । यदि हम प्रदेश के पिछड़ेपन पर जायं और मनन करें तो देखते हैं 1971 की सांख्यकीय डायरी के अनुसार सन् 1961 में जनगणना के अनुसार प्रदेश की आबादी 7,37,46,000 थी जिसमें काम करने वालों की संख्या 2,88,57,000 थी और न काम करने वालों की संख्या 4,48,95,000 थी । यदि आधे बच्चों को भी निकाल दिया जाय तो 2,24,47,500 आदमी ऐसे बचते हैं, यानी 4,48,95,000 हाथ जिनके पास कोई काम नहीं है । 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 8,83,00,000 आबादी जनसंख्या थी । इस अवधि में नाकाम करने वालों की संख्या 6 करोड़ के लगभग अवश्य पहुंच गयी हैं। इन्हें कैसे काम मिले और प्रदेश कैसे तरक्की करे, इसके विषय में हमें सोचना है। खाली घिसी पिटी आलोचना पुलिस राज चुनावों में मशीनरी का प्रयोग, भ्रष्टाचार व देश की प्रधानमंत्री की तानाशाही आदि कहने से प्रदेश की उन्नति नहीं होगी।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, पीठासीन हुए ।)

प्रदेश के पिछड़ेपन पर ही महामहिम राज्यपाल के 11 अप्रैल, 1971 के भाषण का उल्लेख कर रहा हूं जिसे उन्होंने इलाहाबाद में दिया था । उन्होंन प्रदेश के पिछड़पन पर चिन्ता

[श्री प्यारे लाल]

प्रकट करते हुये, ध्यान दिलाते हुये बताया कि मोटे तौर से अनुमान है कि 1960–61 के मूल्यों के अनुसार उक्त वर्ष होने वाली राज्य की राष्ट्रीय आय 1,799 करोड़ रु० से बढ़कर 1969–70 में 2,260 करोड़ रु० हो गयी । तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के बाद से राज्य की आय में वार्षिक वृद्धि की दर लगभग दो प्रतिशत रही, जो जन-संख्या में लगभग उतनी ही वृद्धि हो जाने से पूर्णतः निष्प्रभाव हो गयी । उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की विकास दर की अन्य राज्यों से तुलना करना काफी सूचना प्रद है । 1960–61 से 1967–68 की अवधि में उत्तर प्रदेश के 2.2 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की तुलना में हरियाणा की वार्षिक विकास दर 5 प्रतिशत थी । और 1965–66 से 1967–68 के बीच पंजाब की विकास दर 9.3 तक पहुंची ।

यदि हम राज्य के विभिन्न उत्पादन के श्रोतों की विकास दर पर विचार करें तो पायेंगे कि विभिन्न अवधियों में काफी अन्तर रहे हैं । कृषि में जो अब भी अधिकतर प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनियमित स्थिति दिखलाई पड़ती है । तृतीय आयोजनाकाल में कृषि की वार्षिक विकास दर 0.4 प्रतिशत थी, यद्यपि तृतीय आयोजना के अन्त और 1969–70 में चतुर्थ आयोजना के आरम्भ होने के बीच के तीन वर्षों में यह दर बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गयी । आठ वर्षों की अवधि में कृषि की विकास पर दर 1.3 प्रतिशत ठहरती है । औद्योगिक क्षेत्र में तृतीय आयोजना काल में विकास दर 5.3 प्रतिशत थी, जो कि तीन वार्षिक आयोजनाकाल में घटकर 1.4 रह गयी, जिसके फलस्वरूप पूरी अवधि में विकास की दर 3.8 प्रतिशत ही रही । इस अन्तर के लिये बड़े उद्योगों का क्षेत्र जिम्मेदार है ।

मान्यवर, यह प्रदेश कितना पिछड़ा है, इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किसी भी विरोधी दल के नेता या सदस्य ने कोई सुझाव नहीं दिये । सत्तारूढ़ दल को केवल बदनाम करने की नीयत से झूठे आंकड़े पेश किये जाते हैं कुर्सी प्राप्त हेतु तथ्यहीन आलोचना की जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चरणसिंह जी के जमाने में व श्री टी०एन०सिंह जब मुख्य मंत्री थे, तब क्या उनके चुनाव क्षेत्र में ज्यादतियां नहीं हुई ? टी०एन० सिंह के चुनाव क्षेत्र में कौन से मंत्री नहीं गये ? फिर मुख्य मंत्री के लड़के के चुनाव के बारे में ये सब आलोचना क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसका कोई लिखित सबूत है या किसी ने ज्यादतियां होने का कोई फोटो लिया है ? यह तो महज इन्द्रा गांधी का प्रभाव था कि जनता का पूर्ण समर्थन चुनाव में मिला सम्मानित इंद्रा गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव, कुशल नेतृत्व एवं उनकी जनप्रिय नीतियों से बौखला कर ही आलोचना करने पर उतारू हो गये हैं । खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे वाली कहावत ठीक आप पर लागू होती है ।

मान्यवर, प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोग बेकार हैं । इनको रोजगार दिलाने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यदि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव को सड़क और बिजली से जोड़ दिया जाय तो आधे लोगों को रोजगार स्वयं मिल जायेगा बिजली पहुंचने से वहां छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम होंगे, नलकूप व चक्की आदि लगेंगी और उससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा । आज तक किसी विरोधी पक्ष के सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया कि प्रदेश के हर गांव को सड़क और बिजली से जोड़ो । यह जो विरोध पक्ष में समाजवाद का नारा लगाने वाले सदस्य हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने संविद काल में क्या-क्या नहीं किया । श्री अनवार अहमद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मिलावट के केस में एक बड़ी कम्पनी, सनलाइट लखनऊ को पकड़ा और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया । जब समाजवादी नेता हेल्थ मिनिस्टर हुये तो उन्होंने उसका नाम ब्लैक लिस्ट से भी काट दिया । और उसके अलावा उसको 3 लाख का आर्डर जो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसिल किया था, को पुनः जारी कर दिया । यह सब इसलिये किया क्योंकि उस समय बाराबंकी में एम०पी० का चुनाव हो रहा

था उस कम्पनी वाले से 50 हजार रुपया लिया गया। यही नहीं संविद काल में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये एक कमेटी बनायी गयी थी तीन सदस्यों की जिसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी मगर क्या हुआ ? उसी समय चीनी मिलों से सवा करोड़ रुपया ले लिया गया । और वह रिपोर्ट हमेशा के लिये दबा दी गई, कहां गया वह सवा करोड़ रुपया ? यह उस समय के मुख्य मंत्री की जेब में रुपया गया या फिर उनके परममित्र, पी०एन०सेठ की जेब में वह रुपया गया, यह वही जानते होंगे भली प्रकार से। तो मैं निवेदन करूंगा कि केवल पाक दामन वाले ही दूसरों पर आरोप लगाते तो ज्यादा अच्छा होता । प्रदेश की प्रगति के लिये अच्छे अच्छे सुझाव दिये जायें, तो प्रदेश की बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है और समाजवाद आ सकता है । लेकिन आप अपना दिल कभी टटोलते ही नहीं और उल्टा दूसरों को नकटा नकटा कहते हैं और अपनी नाक देखते ही नहीं कि कितनी कटी हुई है ।

किसानों के अनाज का भाव गत वर्ष 72 रु० से 76 रु० प्रति कुंटल तक था, अब इस वर्ष घटा कर 66 से 72 तक कर दिया गया है । भाव यदि केंद्रीय सरकार ने तय किया है, ठीक है तो 4 रु0 से 8 रुपये प्रति कुंतल तक की जो कमी की गई है उस कमी को सबसिडी के द्वारा प्रदेश सरकार पूरा करे । किसानों के प्रयोग की जो वस्तुयें हैं वे भी उसे सस्ते मूल्य पर दिलाई जायें तब तो किसान की गरीबी मिटेगी। यदि अनाज का भाव गिरता चला गया, गन्ने का दाम गिरता चला गया, और किसान को जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे कपड़ा, सीमेंट, खाद और बीज आदि जो महंगी मिलती हैं उन्हें भी किसानों को सस्ते दर पर दिलाया जाय तब ही ग्रामों में रहने वाली 86 प्रतिशत जनसंख्या को राहत मिलेगी आपको सोचना पड़ेगा कि 86 फीसदी जनता जो गांवों में रहती है उसके दुख-दर्द दूर करने के लिये तब ही यह प्रदेश तरक्की कर पायेगा । दिन प्रति दिन किसान और कर्जदार होता चला जायेगा और समाजवाद स्वप्न मात्र रह जायेगा । इनकी तरफ किसी भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। आज तक किन्तु बेफजूल की और बेबुनियादी बातें, घिनौना प्रचार ही एक मात्र ध्येय लक्ष्य रह गया विरोधी पक्ष का और जोर-जोर से शोर किया जाता है इंदिरा जी के तानाशाही का । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लो अगर इंदिरा जी तानाशाह हैं तो क्या प्रदेश की उन्नति की बात ही सोचना बन्द कर देना चाहिये ? आपको तो यह एक मात्र सोचना कि अपने प्रदेश की उन्नति कैसे होगी तथा रचनात्मक सुझाव दे बिना किसी लोभ लालचके कुर्सी का स्वार्थ त्याग कर ।

इस प्रदेश में मजदूर को 70-80 रुपये मासिक मजदूरी मिलती है, उसमें से 30-40 रुपया तो उसका मकान के किराये म चला जाता है, तो आप बतायें शेष बची धनराशि में वह कैसे अपना गुजारा करे तथा कैसे अपने बच्चों का तथा उनका दवा, पढ़ाई का प्रबन्ध करें। सरकारीया निजी संस्थाओं में काम करने वाले, होटलों या दुकानों आदि में काम करने वाले, सभी श्रमिकों की तनख्वाह जब तक आजकल के जमाने में कम से कम 150 रु0 नहीं होगी, उसका गुजारा नहीं होगा । श्रमिक भूखा ही रहेगा और भूख इंसान को बागी बना देती है तब तक शांति संभव नहीं है । सरकार ऐसी कोशिश करे कि सभी मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और भूमि-हीनों के मकान की समस्या सदैव के लिये हल हो जाय । निजी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भी पेंशन की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिये, लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों की ओर कौन विरोधी दल का सदस्य ध्यान दिलाता है ? इसके लिये किसी को फुरसत नहीं है सब कुर्सी हथियाने हेतु कांटों की राजनीति नहीं, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं ।

मैं चाहूंगा वे सदन में महत्वपूर्ण समस्याओं को उठायें जैसे कि दो-तीन सुझाव मैं दे रहा हूं । मजदूरों की तनख्वाह 150 रुपया मासिक स कम न हो, उनको हायर-परचेज योजना पर सस्ती किस्तों पर मकान दिय जाय, उनके बच्चों को शिक्षा निशुल्क कक्षा दस तक हो तथा दवा; पढ़ाई की मुफत व्यवस्था हो तब ही प्रदेश प्रगति करगा ।

[श्री ठाकरेलाल]

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार और गरीबी रहेगी तब तक हमारा प्रदेश प्रगति नहीं करेगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिये यदि हर व्यक्ति के खर्चे की एक सीमा बांध दी जाय और सख्ती से अमल हो तो आधा भ्रष्टाचार उसी दिन समाप्त हो जायेगा। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार किसी हद तक बन्द हो सकेगा। और इसी के साथ यदि निर्माण के कामों के ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर, चाहे एग्जिक्यूटिव इंजीनियर हों, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हों या चीफ इंजीनियर हों, यदि इनके गोलमाल की जांच जब तक नहीं की जायगी तब तक भी भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा। निर्माण का आधा पैसा ठेकेदारों और इंजीनियरों की जेब में चला जाता है। 14–15 फीसदी ईमानदारी से ओवरसियर, इंजीनियर अकाउन्ट विभाग वाले ठेकेदार से लेते हैं। फिर ठेकेदार के साथ इंजीनियर, ओवरसियर और एकाउन्ट विभाग वाले ठेकेदार पीने की दावत खाते हैं। सुरा सुन्दरी की भी दावतें चलती हैं। फिर उच्च अधिकारियों की बीवियां शापिंग करने चलती हैं और जो सामान खरीदा जाता है उसका पैसा ठेकेदार ही देता है। फिर ठेकेदार को अपने खाने पीने के लिये चाहिये तथा उसका अपना घर एवं बच्चे भी होते हैं जिनका भार उसी पर होता है। इस तरह से 50 फीसदी ठेकेदार और इंजीनियरों की जेब में चला जाता है आसानी से। कोई हिसाब नहीं देखता, कोई चेकिंग नहीं होती है। गरीबों के खून पसीने की कमाई हराम में चली जाती है। आज तक गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो भी इंजीनियर, ओवरसियर गया उसने दो-दो, तीन-तीन कोठियां बनवा ली हैं। कोई उनका हिसाब लेने वाला नहीं है। इसी प्रकार आई० ए० एस०, पी० सी० एस० आफिसर और विभागाध्यक्ष जितने हैं, जबसे नौकरी में भरती हुए तबसे आज तक उनका हिसाब देखा जाय तो जमीन आसमान का अन्तर पड़ गया है उनकी हैसियत में। जब तक इन के हिसाबों की सख्ती से जांच नहीं होगी, इनकी और इनके रिश्तेदारों के बैंक बैलेंस एवं सम्पति की जांच जबतक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार निरन्तर पनपता ही रहेगा।

हमारा प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है, और प्रदेश तरक्की क्यों कर पाया है? हरियाणा कल प्रदेश बना और आज गांव गांव में सड़क और बिजली पहुंच गयी, पंजाब व केरल आदि भी उन्नति कर गये क्योंकि केन्द्रीय सरकार से उक्त प्रान्तों को जितना रुपया मिलता है सब खर्च करके नये रुपये की मांग कर देते हैं। और हमारे सूबे को जो रुपया केन्द्र से मिलता है, वह लैप्स हो जाता है खर्च ही नहीं हो पाता है। हमारे बजट में जो धनराशि निश्चित की जाती है अलग-अलग मदों में खर्च के लिये वह मार्च के महीने में ही दी जाती है और उसे खर्च 31 मार्च तक करना होता है। तो एक महीने में वह कैसे खर्च हो पायेगी? जिस दिन बजट पास हो उसी दिन रुपये दे दिया जाय तो फिर पूरे साल में खर्च हो सकता है। जब खर्चे के लिए एक महीने का समय ही मिलेगा तो फिर जाली वाउचर बनायेंगे, झूठे खर्चे दिखाये जायेंगे, झूठी रसीदें पेश की जायेंगी, झूठे व गलत निर्माण होंगे तो फिर इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट देखें तो प्रत्येक वर्ष 20 से 60 करोड़ तक का गोलमाल मिलेगा। क्योंकि पूरा समय खर्च करन के लिए नहीं मिलता है। फिर उनके ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं है जो डर हो। जैसा जी में आया है खर्च किया। इस तरह से जनधन का गलत इस्तमाल हो रहा है। यदि प्रदेश की 10 करोड़ गरीब जनता को ऊपर उठाना है तो फिर इन समस्याओं पर गम्भीरता से सोचना होगा।

इसके साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो साढ़े तीन करोड़ रुपय जो गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिये जाने की बात कही है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो मकान बनाता है उनके किराये 70—75 से लेकर सवा चार सौ रुपये तक हैं। गरीब मजदूर, छोटा दुकानदार, ठेले वाला, खोंचे वाला, उन मकानों को किराये पर नहीं ले सकता है इस प्रकार उस साढ़े तीन करोड़ से गरीबों को लाभ नहीं होगा न उनकी आवास समस्या सुलझेगी। यदि इम्प्रूवमट हटा कर हाउसिंग बोड लागू कर दिया जाय, गरीबों

को कर्जा मकान बनवाने के लिये हाउसिंग बोर्ड से मिल सकेगा और फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तो सफेद हाथी मात्र है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो जमीन एक्वायर कर रखी है वह रु० 1-20 पैसे वर्ग गज के हिसाब से थी उसी को वह 40 रुपये गज देती है। उसको गरीब नहीं ले सकता है। सरकार को चाहियें जहां भी हाउसिंग बोर्ड या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हों उनके लिए लाजिमी नियम बनें कि जो गरीब, श्रमिक, शोषित, पीड़ित हों, उन्हें जिस भाव से जमीन एक्वायर करें उसी भाव पर जमीन दे दें। उस पर डेवलपमेंट खर्चा सबसिडी के रूप में प्रदेश सरकार दे तो फिर गरीब मकान बना सकेगा। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को खुली छूट दी गयी और उस पर अंकुश नहीं रखा जैसे कन्ट्रोलिंग अथारिटी, हाई पावर कमेटी और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नियुक्त कर दी गयीं, उनमें सारे के सारे अफसरान हैं, जनता के नुमाइन्दे नहीं हैं जिसके कारण उनके जो मन में आता है वैसा ही वह करते हैं गरीबों की कतई नहीं सुनते। गाजियाबाद में भूमि विकास की कीमत साढ़े 11 रुपये से 18 रु० आती है जो घटा कर अमीरों की कालोनियों के लिये दो रुपये 40 पैसे प्रतिवर्ग गज कर दी गयी लेकिन जहां पर गरीबों के मकान बनने हैं वहां विकास की कीमत साढ़े 11 रु० से 18 रुपये गज ही ली जाती है, वहां पर उस विकास खर्च को दो रुपये 40 पैसे नहीं किया जाता है। अब तक अधिग्रहण का कानून जो था उसमें अभी तक यह नियम था कि 6 साल के अन्दर मुआविजा दे देना चाहिये। एक साल की मियाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सकती थी जिससे 7 साल हो जाती थी लेकिन नया गजट हुआ है जिसमें किसानों को 14 साल तक मुआविजा मिल पायेगा और वह बाजार भाव अथवा उससे कम भी हो सकता है ऐसे कानून व अध्यादेश को समाप्त किया जाय जिससे किसान की लूट समाप्त हो। यह इस तरह से लूट होती है। गरीब पिसता रहता है। उससे जमीन दो तीन रुपये गज में ले ली जाती है और हाउसिंग बोर्ड अथवा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उसको 40-50 रुपये गज के हिसाब से बेचता है तो गरीब कैसे तरक्की कर सकेगा ? समाजवाद तो तब ही आयेगा जब गरीब को उसकी जमीन का पूरा-पूरा मुआविजा मिले और अमीर को पूरा-पूरा मुआविजा देने के लिये मजबूर किया जाय। गरीब के काम एवं उसके द्वारा उत्पादित सामग्री का। इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ बातों का बड़े जोर शोर से जिक्र किया गया है जिनको कि सरकार द्वारा आज तक प्रतिपादित नहीं किया गया है। अभिभाषण पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सरकार से जो अपेक्षा हम करते थे वह केवल झूठे नारे पर आधारित रही, उसने लोगों को झूठे आश्वासन और विश्वास दिला कर भ्रमित करने का काम प्रारम्भ से ही किया है। इस सरकार के द्वारा समय-समय पर जो बातें कही जाती हैं उनसे जन-मानस उद्वेलित तो होता है, लोगों में आशा का संचार होता है लेकिन झूठी बातों के आधार पर यह कब तक विश्वास टिका रहेगा, जब तक कि आपकी बातों को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाता है। इससे निश्चित रूप से निराशा पैदा होगी, अशांति की भावना पैदा होगी और इससे इस प्रदेश में ही नहीं, देश में जनतन्त्र पर जनता का जो विश्वास तथा आस्था है, वह समाप्त हो जायगी।

मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। बड़े जोर शोर के साथ यह सरकार कहती है कि इस प्रदेश के कल्याण के लिये वह इस प्रदेश की गरीबी तथा बेकारी को दूर करना चाहती है और इस प्रदेश को वह ऊंचा उठाना चाहती है। जहां तक गरीबी मिटाने का सवाल है जो इस प्रदेश में गरीब हैं, असहाय हैं, पिछड़े व दलित वर्ग के मजदूर हैं उनके लिये यह सरकार क्या योजना चलाने जा रही है ? मैंने अभिभाषण को पढ़ा है, उसका अभाव है। उसके लिये एक त्वरित योजना इस प्रदेश में चालू की गयी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके माध्यम से कुछ मजदूरों को काम देने की बात

[श्री राम कुमार दीक्षित]

आप कहते हैं। लेकिन जो मजदूरी की दरें आपने तय की है। वह कम है। क्या गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति आज इसे स्वीकार करने से इंकार करेगा ? गांव के खेतिहर मज़दूर को जो पैसा गांव में रहकर मिलता है उससे आपकी यह दर बहुत कम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मज़दूरी की दर देने का आपने निर्णय लिया है उससे अधिक पैसा उस मज़दूर को अपने खेती के काम में मिल जाता है। यही कारण है कि बहुत से स्थानों में आपको मज़दूर नहीं मिल पाते, आपकी योजनायें सफल नहीं हो पा रही हैं और आपका काम बन्द हो जाता है, आपको इस बात को अन्तर्मुखी होकर सोचना पड़ेगा कि आखिर हमको क्यों मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं। जैसी भी हो, यह तो सरकारी योजना है, क्या ऐसा मज़दूर नहीं सोचता ? जब वह देखता है कि उससे उसको कम पैसे मिलते हैं और अपने खेती के काम में उससे ज्यादे पैसे वह पैदा कर लेता है। इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से आपकी योजनायें अविवेकपूर्ण होती हैं और आप अदूरदर्शिता से निर्णय लेते हैं जिसका परिणाम यह होता है, कि जो फैसला आप लेते हैं उससे सम्बन्धित वर्ग लाभ उठा नहीं पाते। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई ठोस कार्यक्रम अपने हाथ में लें।

यह कहने से कि अगले वर्ष हम दो हजार स्कूल खोलने जा रहे हैं और फलां फलां योजना लगाने जा रहे हैं, काम नहीं चलेगा और इससे इस प्रदेश की न तो गरीबी दूर होगी और न ही बेकारी की समस्या हल होगी। गरीबी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाकर ही दूर होगी। मुझे इस बात को सुनकर लज्जा आती है कि प्रदेश के किसानों की गरीबी दूर करने के लिये आप ठोस कार्यक्रम बना रहे हैं जैसा कि अभी एक बन्धु कह रहे थे कि पारसाल सरकार ने 86 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा था क्या इस समय वह 105 रुपये क्विंटल नहीं बिका ? किसानों के पास से जो गेहूं इस तरह से निकाला गया वह आज बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट के पास पहुंचकर इस भाव में बिका। क्यों आप ऐसा उपाय नहीं करते हैं जिससे बाजार भाव न बढ़े ? यदि उत्पादन को बढ़ाकर उसका उचित मूल्य किसानों के लिये नहीं दिला सकते हैं तो आप उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उत्पादन का जितना पैसा किसान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। उत्पादन पर व्यय दिन प्रति दिन अधिक बढ़ रहा है चाहे वह खाद के रूप में हो, चाहे लागत मजदूरी के रूप में हो, बिजली के रूप में हो, चाहे पानी और चाहे श्रम के रूप में हो, वह बराबर बढ़ता जाता है किन्तु उत्पादक को अपने उत्पादन का पूरा शुल्क नहीं मिल रहा है। हमें यह सुनकर दुख होता है कि सरकार यह फैसला करने जा रही है कि गेहूं का भाव कुछ कम किया जाय। क्या किसान की हमदर्द यह सरकार है। क्या आपकी कलम उस समय नहीं चल सकी थी जब 105 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बाजार में बिक रहा था ? उस समय आप क्यों चुप रहे ? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि आप इस प्रदेश की माली हालत को सुधारना नहीं चाहते ? आप सिर्फ किसान के हिमायती बनते हैं किन्तु उसकी भलाई का कोई काम नहीं करते हैं ? आपके कार्यों में अमीरों को लाभ मिलता है।

महामहिम राज्यपाल के भाषण में एक बात यह कही गई है कि बिजली के मिनिमम चार्जेज कम कर दिये। इससे आपने किसानों के साथ ऐसा धोखा किया है जो आज किसान की समझ में यह बात आई कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना धोखे की कोई और बात हो ही नहीं सकती और ऐसा कभी किसी भी सरकार ने नहीं किया है कि उनसे तो कहा कि मिनिमम गारन्टी माफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रति यूनिट खर्च 3 रुपये प्रति हार्स पावर बढ़ा दें। इस प्रकार मिनिमम गारन्टी से ज्यादे पैसे तो किसान को इसमें देने पड़ेंगे। मैं इस सरकार से कहता हूं कि जो आपने यह मिनिमम गारन्टी समाप्त करके दूसरी तरफ से अधिक चार्ज लेना शुरू कर दिया तो क्या आपकी यह योजना उनकी गरीबी दूर करने की द्योतक है ? किसान को आप सस्ती दर पर बिजली नहीं दे सकते और आप यह नहीं कर सकते कि

जितनी किसान बिजली उपयोग करेगा उसी के हिसाब से उसमे चार्ज लिया जाय, तो आप क्या भलाई उनके साथ कर रहे हैं? हिन्डालको और बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों से तो आप समझौता कर लेते हैं कि उनको सस्ती दर पर बिजली दी जायेगी कि-तु किसान को कम बिजली खर्च करने के बावजूद भी उससे अधिक चार्ज आप करते हैं और इन बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों को अधिक कन्ज्यूम करने पर भी सस्ती दर पर बिजली आप उन्हें देते हैं। यह कहां का न्याय है।

यह किस बात का प्रतीक है कि आप पूंजीपतियों का पोषण करना चाहते हैं और किसानों को दबाना चाहते हैं। यह ठीक है कि जबतक गरीबी नहीं रहेगी, असन्तोष नहीं रहेगा, तब तक आपकी नेतागीरी नहीं रहेगी। यदि गरीबी और असन्तोष सूबे में मिट गये तो नेतागीरी समाप्त हो जायगी। आपकी सारी लीडरी इस बात पर कायम है कि आप असन्तोष पैदा रखें, गरीबी रखें, भुखमरी, महंगाई को कायम रखें ताकि इस प्रदेश की जनता आपके झूठे आश्वासनों के चक्कर में फंसकर उस सही दिशा को न चल सके जिसके द्वारा वह अपने भविष्य को अच्छा बनाने का एक निर्णय ले सके।

इस राज्यपाल के अभिभाषण में गरीबी मिटाने की जो बात सब से मूल बात थी मेरी ऐसी धारणा है कि उसके लिये कोई ठोस कार्यक्रम और सुझाव इसमें नहीं है। एक सबसे बड़ी बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है कि बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण प्रदेश का वर्ष भर रहा। यों तो परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसके कारण महीने दो महीने प्रदेश का ही नहीं, इस सारे देश का ध्यान एक ओर केन्द्रित हो गया और वह बंगला देश की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी इसके बाद जो स्थिति प्रदेश की है उसमें सारे प्रदेश का विवरण न देकर केवल कानपुर के उद्योग और सूती मिल के उद्योग का विवरण दूंगा। क्योंकि महामहिम ने कहा है कि श्रम जगत में बड़ी शान्ति रही है, उद्योग संस्थानों में भी कानपुर में मेरा ऐसा विश्वास है कि सौ वर्ष में जितनी हड़तालें नहीं हुयीं होंगी उतनी 10 महीने में कार्यकाल में इस सरकार के समय में सूती मिलों में हुई हैं। श्रमिकों में क्यों असन्तोष है? हड़तालें क्यों होती हैं? क्या कारण है? क्या सरकार की नीति असफल है या सरकार के द्वारा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता?

मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अराजक तत्व हैं, ऐसी यूनियन्स हैं जिनको सरकार द्वारा क्षमा करेंगे सरकार के संचालकों के द्वारा और उस जिले के अधिकारियों के द्वारा प्रोत्साहन मिला है और उन्होंने श्रमिक अशांति पैदा करने का काम किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि सूती उद्योग के क्षेत्र में कानपुर में 52 यूनियन हैं जिनमें से 4 ऐसी हैं जिनकी ओर से स्ट्राइक की घोषणा कर दी जाती है एक ओर इंदिरा गांधी कहती हैं कि हड़तालों को समाप्त किया जायगा, हड़तालें नहीं होंगी, दूसरी ओर कानपुर की 48 ट्रेड यूनियन जिसका विरोध करती हैं, उनको आप उपेक्षित करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे अशांति कायम रहे तो आपका सारा सिस्टम इस बात पर निर्भर है कि अशांति बढ़े। यही कारण है कि जितनी अशांति शायद सौ वर्ष में श्रमिक जगत में नहीं हुई जितनी कि 10 महीने में आपके शासन काल में हुई है। अगर आप क्षमा करें तो कानपुर में ऐसा लगता है कि आपकी कांग्रेस में कुछ ऐसे असमाजवादी तत्व आ गये हैं जिनके प्रभाव में यह कांग्रेस है। उसका कारण आपके दल के एक वरिष्ठ व्यक्ति जिनसे सम्बन्धित कानपुर की लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन के संचालक श्री रामआसरे हैं य तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था विवाश होकर ले रहा हुं, जिनको लिफ्ट बराबर यहां से मिल रही है। आप सक्षम हैं जो चाहें करें। जिलाधीश से कहा गया तो कहते हैं कि मुझे तो ऊपर का हुक्म है कि कुछ न बोलो, वह कुछ भी करें। तो इस तरह से यह सरकार अशांति पैदा करने का काम करती है और दूसरी ओर कह देती है कि श्रमिक जगत में शांति रही, यह कहां तक उचित है? श्रम मन्त्री बड़ी घोषणा किया करते हैं और उन्होंने कई बार दोहराया भी है कि हम ऐसा विधेयक लाने वाले हैं कि एक ट्रेड की एक ही यूनियन होगी। वह विधेयक कहां चला गया? सरकार की किस टोकरी में चला गया?

[श्री राम कुमार दीक्षित]

कानपुर में सूती मिल मजदूर यूनियनें कितनी हैं इसका अन्दाज करके देख लें। मुझे ऐसा लगता है कि यह मुख्य मन्त्री जी भी श्रमिकों को धोखा दे रहे हैं जैसा कि सरकारें देती रहती हैं। इसी तरह की बात श्रम मन्त्री जी भी कर रही हैं। इससे निश्चित रूप से निराशा का वातवरण बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त इस देश की ऐसी स्थिति है कि महंगाई दिन व दिन बढ़ रही है और यदि आप उसको रोक नहीं सकते हैं तो अपने कर्मचारियों को इन्टेरिम रिलीफ देकर केन्द्रीय कर्मचारियों और प्रदेशीय कर्मचारियों को एक लेविल पर कर के कोई लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। एक और आप रिलीफ देते हैं और दूसरी ओर महंगाई बढ़ती है और आप महंगाई भत्ता देते हैं तो प्रदेश के रहने वालों के ऊपर कर का बोझ पड़ेगा। आपने घोषणा कर दी है कि आप दस करोड़ विकास कर लगाने वाले हैं। यह किस पर लगेगा? किसानों पर ही लगेगा। इस तरह से विकास कर को लगा कर आप गांव के लोगों को कर के बोझ से दबाना चाहते हैं किस लिये? आप कहते हैं कि केन्द्रीय कर्मचारी और प्रदेशीय कर्मचारियों को एक रेशियों पर लाना है। इसके बजाय तो अच्छा हो कि आप महंगाई को ही रोक दें तो निश्चय रूप से इस प्रदेश का कल्याण होगा।

रोज के उपयोग की वस्तुओं पर जिनके ऊपर आपका नियन्त्रण है। जैसे लोहा, शकर मिट्टी का तेल इत्यादि उनकी कीमतों का क्या हाल है। दिन ब दिन बढ़ रही है और आपकी नीति के कारण बढ़ रही हैं। इसका प्रभाव प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। यह आपकी इस बात के विपरीत आचरण होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं।

आप पंचायत राज की बात करते हैं और उसकी स्थापना करना चाहते हैं। यहां पर पंचायत मंत्री मौजूद हैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आप कैसे उनकी स्थापना करेंगे। उनकी हालत क्या है? क्या कोई भी पंचायत आज स्वावलम्बी है? कोई भी पंचायत इस लायक है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके? बड़े-बड़े आयोग बिठाये गये, उनकी सिफारिशें भी हुई लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी। जब तक पंचायतों को सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक आप उनको मालगुजारी में से कुछ अंश देकर समृद्धशाली नहीं करेंगे तब तक की अपने पैरों पर खड़ी होने योग्य नहीं हो सकतीं और आपको कल्पना रखी रह जायेगी।

मैं गलत और अनुचित बातें कहना नहीं चहता हूं। शासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो ज़िलों ज़िलों में विपक्षी दल के लोगों के कामों में अड़चन पैदा करते हैं, जो व्यवहार होता है, उसको में नहीं कहूंगा। वह शर्मनाक है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि ये लोग विरोधी दल के लोगों के कामों में अड़चन डालना चाहते हैं। हमारी योजनायें सेक्रेटरी के लेविल पर और कैबिनेट के लेविल पर ये लोग कटवा देते हैं। हमारा आपका व्यक्तिगत विरोध हो सकता है लेकिन प्रदेश की जनता से क्या विरोत्र हो सकता है। चिकित्सा की, सड़कों की सुविधायें तथा अन्य सारी सुविधायें सबको बराबर मिलनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक क्षेत्र में तो 50 ट्यूबवेल लगें और दूसरे क्षेत्र में एक भी न लगे। यह कहां का इन्साफ है? सरकार को इसको सोचना चाहिये और ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे प्रदेश का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ जो अभिभाषण में संशोधन का प्रस्ताव हुआ है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस अभि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण की सब से बड़ी विशेषता यह है कि आज से पूर्व प्रदेश में जिस प्रकार के आय-व्यय के बारे में सरकारी नियम और नीति का कार्य किया जाता था, इससे एसा इगित होता है कि प्रगतिशील वातावरण में प्रगतिशील, नवीन, प्रभावकारी और नई दिशा देने के लिये महामान्य राज्यपाल ने हमारे समक्ष कुछ विचार रखे हैं, जैसे प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, राज्य सीमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पुल निगम, वाटर ऐंड सिवेज बोर्ड, उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन, सिंचाई आयोग और इसी प्रकार से अन्य बहुत सी बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इससे प्रतीत होता है कि आजतक जिस प्रकार की विधि का प्रयोग इस प्रदेश में होता रहा है उसमें किसी प्रकार की कमी थी जिससे हम किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे और अब जो संस्थागत योजनायें बनाने के लिये एक नयी नीति सरकार द्वारा यहां पर रखी गयी है यह जरूर इस ध्येय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि क्या हम इनके द्वारा इस प्रदेश की दशा को सुधार सकते हैं? लेकिन इस सम्बन्ध में यह शंका की जा सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि ये संस्थागत योजनायें जो आज हमारे सामने नयी आशा की किरण बन कर आयी हैं इनमें पारस्परिक सम्बन्ध न हो। पिछले ऐसे उदाहरण हैं और यह मानना भी चाहिये कि अपनी आत्मा की आलोचना भी करनी चाहिये इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुये अगर देखें तो प्रदेश में कई योजनायें ऐसी बनी हैं जिनसे हमारी प्रगति धीमी पड़ी है।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में दो. एक योजनाओं का उदाहरण देना अपेक्षित होगा। कृषि विभाग के अन्तर्गत एक 500 एकड़ का बाग भरसार में बनाया गया लेकिन आज तक वहां सड़क नहीं बनी। एक विद्युत योजना पौढ़ी गढ़वाल में गेंछी खेड़ा में बनायी गयी। आज भी वहां सड़क नहीं बनायी गयी। इससे प्रदेश को कितना नुकसान हुआ? 500 एकड़ के बगीचे से केवल 22,000 रुपये के फल बिके हैं जबकि दूसरा बगीचा जहां सड़क है, वहां 5,63,000 रुपये के फल बिके हैं। यह अल्मोड़ा में चौबटिया का बाग है। दूसरा उदाहरण जो गेंछी खेड़ा का दिया वहां ट्रांसफार्मर ले जाने की व्यवस्था की गयी, लेकिन सड़क न होने की वजह से वह सारी मशीन पहाड़ से नीचे गिर गई पिछले वर्ष १२ अप्रैल को। तो जहां हमको इन संस्थागत योजनाओं से आशा है वहां यह शंका भी की जा सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि इनमें आपस में सम्पर्क न हो और प्रदेश की फिर नयी योजना बनाने पर विवश होना पड़े।

राज्यपाल के अभिभाषण में क्षेत्रीय असमानताओं का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 15 पूर्वी जिले, 8 पर्वतीय जिले और 4 बुन्देलखण्ड के जिले हैं जिन पर विशेषकर ध्यान देने की चेष्टा की गई है। हमारे पर्वतीय प्रदेश में एक पर्वतीय विकास परिषद् का गठन 2–3 साल से किया गया है। लेकिन उसकी वर्ष भर में केवल एक मीटिंग होती है। उसके द्वारा जो भी संस्तुतियां की जाती हैं वह कभी कार्य रूप में परिणत नहीं होतीं। जितनी भी योजनायें पर्वतीय प्रदेश में चलाई जाती हैं, कभी सफल नहीं हो पातीं। इसके द्वारा पर्वतीय प्रदेश का कोई भी लाभ हो नहीं रहा है। पर्वतीय प्रदेश के लोगों को खाली बहकाने के लिये एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है। इससे हमारे यहां की योजनाओं में रुकावट ही पड़ी है। जो कुछ काम हम लोग करना भी चाहते हैं वह भी नहीं हो पाता। अब पर्वतीय विकास निगम बनाया गया है। उसमें एक योजना पैकेट प्रोग्राम की बनायी गई है। दो ढाई लाख ढाई लाख रुपय की गाड़ियों की योजना बनाई गई लेकिन वह सब समाप्त हो गयी।

आज प्रश्नोत्तर के समय एक प्रश्न आया था। हमारे यहां एक नायब तहसीलदार हैं उनके बारे में वह प्रश्न था। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनको पहाड़ पर भेज दिया जाता है। पहाड़ों के माथे पर रोज-रोज यह कलंक लगा दिया जाता है। जिसका भी डिमोशन हो जाता है, जिस भी अधिकारी को सजा देनी होती है, उसको पहाड़ों में भेज दिया जाता है। वह कभी भी वहां दौरा नहीं करता है और पर्वतीय क्षेत्रों की योजनाओं को कार्यान्वित

[श्री शिवानन्द नौटियाल]
करने का प्रयत्न नहीं करता। इसका नतीजा यह होता है कि विकास के नाम पर वहां के लिये जो रुपया जाता है, साधन न जुटाये जाने के कारण वह खर्च नहीं हो पाता और योजना बेकार हो जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि शिक्षा की दिशा में वे क्षेत्र आगे बढ़े हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह सही है कि शिक्षा कि दृष्टि से हमारे यहां काफी सुधार हुआ है।

इसके अलावा और बहुत सी बातें विरोधी दल के सदस्यों ने अपने भाषण में कहीं। उन्होंने कहा कि गरीबी कैसे दूर होगी। सवा 5 एकड़ लगान माफी के विषय में बहुत हंगामा मचाया गया। मैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर कह देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि सवा छः एकड़ तक का लगान माफ कर दिया गया है लेकिन उससे ज्यादा पूंजी हमारे ऊपर कर के रूप में लगा दी गई है। एक तो विरोधी दल के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कर न लगाया जाय और दूसरी ओर कहते हैं गरीबी को दूर किया जाय। जब हमारे यहां लोकतन्त्र है तो जो सुधार किये जायेंगे, उन सुधारों का बोझ या खर्चा भी जनता को ही बरदाश्त करना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों की ओर से मैं कहने को तैयार हूं कि हमारे यहां अगर सड़कें बना दी जायं तो हम सवा एकड़ तक भी लगान देने को तैयार हैं। सड़कों के बिना हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। चीजें पहुंच नहीं पातीं। मिट्टी का तेल साढ़े तीन रुपया बोतल, चावल 7 रुपया किलो, गेहूं 6 रुपया किलो, और नमक 10 रु० मन है। कहीं-कहीं तो 52 रुपया मन तक ले जाने का खर्चा हो जाता है। अब भी इस प्रकार की उपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र की रही है, उसी के लिये ठोस योजना बनायी जाये। एक और विषय पर श्री राज्यपाल ने संकेत किया है कि...

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मैं उन से एक जानकारी चाहता हूं---

श्री शिवानन्द नौटियाल---

आपको जब समय मिले तो आप बोलिये, जानकारी आप सरकार से लीजिये।

हमारे यहां पहले 3 पर्वतीय जिले थे लेकिन अब उन जिलों को 2-2 में विभक्त किया गया है और कुछ भाग को सीमान्त जिला बनाया है और दूसरे भाग को अलग रखा गया है। हमारे 3 जिले पौढ़ी, टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। पौढ़ी को चमोली और पौढ़ी में और अल्मोड़ा को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में और टेहरी को टेहरी और उत्तरकाशी में विभक्त किया गया है लेकिन टेहरी में उत्तरकाशी को तो सीमान्त का जिला बनाया गया है और टेहरी को नहीं बनाया गया और सीमान्त होने के नाते एक जिले को तो तमाम सुविधायें मिल रही हैं और साथ में लगे दूसरे जिले को यह सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। इससे वहां की जनता में और सारे पर्वतीय भू भाग में एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि भेदभाव की नीति बरती जा रही है। एक किनारे पर तमाम सुविधायें सीमान्त जिले के नाम पर मिलती हैं और साथ में लगे दूसरे भाग में वह नहीं मिलतीं। इसी का यह प्रभाव है कि वहां पर अनेक प्रकार के पाखण्ड पनप रहे हैं। अमरीका के हिप्पी लोगों के गलत प्रचार का अड्डा यह क्षेत्र बन गया है। बाल योगेश्वर जो अपने को भगवान का अवतार बताते हैं वह अपने पाखण्ड के द्वारा वहां के लोगों का मनोबल गिराने के लिये अनेक प्रकार का गलत प्रचार करते हैं। श्रीनगर में एक नया आन्दोलन चल रहा है और वहां पर यहां तक सड़कों पर लिखा गया है कि दिल्ली दूर है और पीकिंग करीब है। इस तरह की भावनायें वहां फलायी जा रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि वहां के आठों जिलों को सीमान्त जिला बनाने की योजना बनायी जाय।

खनिज कर्म विभाग की ओर जितना ध्यान जाना चाहिये था उतना ध्यान हमारे पर्वतीय प्रदेश में नहीं दिया गया है। हमारे यहां बहुत खनिज पदार्थ छिपे पड़े हैं और काफी

चीजें भूमि के भीतर से निकाली जा सकती हैं। नाम मात्र को पर्वतीय क्षेत्र में कार्य हुआ है। हमारे यहां अल्मोड़ा, पौड़ी और टेहरी में तांबा, अबरक और मैगनेसाइट के भंडार हैं और उनके खनन से सारे भूभाग की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। इसके लिये कोई ठोस योजना बनाकर खनन का कार्य किया जाय।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की सरकार ने प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों तक की शिक्षा को अपने हाथ में लेने का कार्य आरम्भ किया है। मेरी तो यह राय है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा का भी प्रान्तीयकरण कर दिया जाय ताकि जो अनियमितताये मैनेजर द्वारा वहां हो रही हैं उनसे छुटकारा मिल सके। इस तरह से प्रदेश शिक्षा के विषय में काफी उन्नति कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त मैं इतना और कहूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर फौज के लोग रहते हैं और वह सिपाहियों का क्षेत्र है। वहां के 75 प्रतिशत लोग सेना में हैं और अकेले 18 बेटेलियन गढ़वाल के हैं और 17 कुमायूं के हैं। किसी भी परिवार में 5–7 व्यक्ति से कम सेना में नहीं हैं। यह भी बताया गया है कि वहां के सेनानियों और शहीदी के परिवारों के लिये घरों की व्यवस्था की जायगी। हम चाहते हैं कि उनके घरों की व्यवस्था नगरों में न करके उनके पर्वतीय क्षेत्र में या उनके गांवों में ही की जाय क्योंकि वह लोग सीमान्त पर ही जूझ रहे हैं। पहाड़ के लिये विशेषरूप से घरों की एक योजना बनायी जाय नगरों में उन के लिये बनाये जाने वाले भवनों में रहने के लिये कोई तैयार नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया और श्री रियासत हुसैन के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं भाई कल्याण सिंह जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने श्री राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, यह पहला बजट है जिसमें किसानों के ऊपर विकास कर के नाम से सरकार की ओर से कर लगाने के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मैं, आपके माध्यम से, अपने वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि वे बताने का कष्ट करें कि जो विकास कर की कल्पना उन्होंने की है, उसका क्या मापदंड है ? उन्होंने किसानों की आमदनी को किस तरह से आंका है? साधारण सी बात है कि जब पहले 10 रुपये मन का गेहूं था और आज 25 रुपये मन का औसतन बाजार का भाव है। उस समय एक एकड़ में 100 रुपये की लागत आती थी और 20–25 मन के बीच पैदावार होती थी तो किसान को 100 रुपये बच जाते थे। जहां तक किसान की जरूरतों की चीजों की कीमत है वह औसतन 4–5 गुनी हो गयी है। आज 40 मन पैदा होता है और एक एकड़ में 1000 या 1200 रुपये के करीब की आमदनी होती है जबकि 7 आठ सौ का खर्चा हो जाता है तो इस प्रकार से 2 या 2 1/2 सौ रुपये की बचत होती है। तो किस मापदंड से किसान की आमदनी को लगाया गया है जिससे उसके ऊपर विकास कर की योजना बनायी गयी है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार का पहला बजट है जो किसानों के रक्त का शोषण करेगा और अगर यह पास हो गया तो यह पहला अवसर होगा जो किसानों का गला घोटा बजट कहलायेगा।

दूसरी बात माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही कि तुम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो, सिंचाई के साधन हम बढ़ा रहे हैं। जरा सोचें कि किसानों को क्या धोखा दिया जा रहा है। 2–4 जिले की मुझे जानकारी है। हमारे जिले आगरा, अलीगढ़ और मथुरा में जितनी बड़ी नहर बनी हुयी हैं, वे सब रबी की चैनल हैं बावजूद जिला परिषदों की मांग के वह खरीफ चैनल नहीं बनी। जिससे हम खरीफ की धान आदि की सुविधा

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

नहीं ले सके। अब जो रबी में नयी वैरायटी के बीज किसानों को मिले हैं उनके लिए रबी की फसल को 6–7 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन न तो पानी की मिकदार ही बढ़ी है और न नहरों को बड़ा ही किया गया है। पहले जो किसान अपने जमीन के 100 बीघे में 40 बीघे रबी की फसल बोता था वह आज गर्की के कारण 60 से 80 प्रतिशत रबी की फसलें बोता है लेकिन पानी उसे उतना ही मिल रहा है जितना पहले 40 फीसदी मिला करता था। साधन सम्पन्न व्यक्ति तो अपने ट्यूबवेल्स से पानी ले लेता है लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं अगर वे ट्यूबवेल से पानी लेते हैं तो उन्हें नहरों के पानी और ट्यूबवेल के पानी, दोनों के दाम देने पड़ते हैं। और ट्यूब वेल उत्पादन बढ़ाने के लिए लगे हैं नहरों के गूल में से लाते हैं तो उत्पादन बढ़ाने के लिये जब ट्यूबवेल के पानी को नहरों की आबपाशी उन किसानों को देनी पड़ती हैं। हर हालत में छोटा किसान ही दोहरी मार से मारा जाता है। वारा गूल योजना में छोटे किसान की हालत कितनी खराब है। वह ट्यूब वेल की और नहर दोनों की आबपाशी देता है। उसको नहर का पानी नहीं मिला फिर भी वह आबपाशी दे रहा है। इस तरह से छोटे किसान को राहत नहीं मिली है।

दूसरी तरफ सीलिंग की बात आ रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शहरी सम्पत्ति और बेहाती सम्पत्ति दोनों चीजों का जिक्र आया है। सीलिंग के बाद में जो यह कर लगगा यह किस पर लगगा। सीलिंग हो जायेगी तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। सीलिंग कर रहे हैं तो विकास कर लगान की क्यों सोच रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुझे यह देखने का मौका मिला कि आज से साल भर पहले एक एग्रो कार्यालय आरम्भ हुआ था। वह आफिस जो झोपड़ियों में खुला था और जो झोपड़ी वालों के लिये खुला था उन किसानों के पैसे से वही आज उन्हीं की चांद पर लदा हुआ है। ग्यारह परसेंट ट्रैक्टर की खरीद पर लगाया है। सेल्स टैक्स में भी प्राइस बढ़ा दी है और भारत सरकार से जो माल खरीदा है उसका बीमा बचाकर उसी माल का प्राइवेट पार्टी से बीमा कराया है और किसानों से दुहरा वसूल किया गया है। उस पैसे से नावों और रेलगाड़ी के डिब्बों को सजाकर मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है। एग्रो कार्यालय में मरिन ड्राइव स्ट्रीट बना रहे हैं। उस किसान की हालत देखिये। इस एग्रो द्वारा किसानों को किस्तों में जो माल देने की सुविधा थी वह भी खत्म कर दी गई है। हालांकि वह राज्यपाल के शासन काल में खत्म हुई थी लेकिन इस सरकार को उस सुविधा को फिर से शुरू करना था जो अब तक नहीं हुई है। एक तरफ वह बैंकों से रुपया लेने के लिये जाता है दूसरी तरफ एग्रो में भी किसान लुट रहा है। किसानों के बल पर ही हम चुनकर यहां आते हैं। एग्रो के कारण जो किसानों को सही मानों में सुविधा थी वह उससे छीन ली गई है एक ओर एग्रो बैंकों से कर्ज लेता है। दूसरी तरफ किसानों के पोस्टल आर्डर छः-छः महीने पड़े रहते हैं। अगर उन्हें समय से दाखिल कर दिये जायें तो कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। एक नेशनल टैनज क्लब की स्थापना की है जिसके मेम्बरों को रातो रात ट्रैक्टर का परमिट मिल जाता है। उसमें न जाने कितने अधिकारी, कलेक्टर, रजिस्ट्रार और एम0एल0ए0 ऐसे हैं जिनकी रातों रात उस ट्रैक्टर की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। बेचारे किसानों की एप्लीकेशन्स छः-छः साल से पड़ी हुई है और उनका नम्बर नहीं आता है। यह कहां का न्याय है।

यहां भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई एक निगमों की स्थापना के विषय में उल्लेख किया गया है। यदि एक भ्रष्टाचार निगम भी बना दिया जाय तो एक निगम और हो जायेगा। यह कितना अन्याय होता है उन किसानों के प्रति जो छः-छः साल से ट्रैक्टर के लिये घूम रहे हैं फिर भी उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन जो 25 रुपये देकर मेम्बर बन गये हैं उनको रातों रात ट्रैक्टर की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो मन चाहेगा आदमी इनका होता है उसको ट्रैक्टर मिलने में कोई देर नहीं लगती है। इसे तो कम से कम सरकार रोके। एग्रो में न जाने

कितने मन चहेते अधिकारियों की भरती कर ली है। जिन पर अपनी निजी कार तक नहीं हैं लेकिन कार एलाउन्स प्राप्त कर रहे हैं। वही इसके डायरेक्टर हैं जिनके रिश्तेदारों के खिलाफ एग्रो के लाखों रुपये के गबन का मामला विचाराधीन है। इसकी जांच सरकार तुरन्त करायेगी ऐसी आशा है। किसानों के खून पसीने की कमाई जिसका गलत इस्तेमाल एग्रो के माध्यम से हो रहा है वह बर्दाश्त से बाहर है। 16000 के करीब पुरानी दरख्वास्तें होने पर भी अगस्त, 1970 से नई दरख्वास्त लेकर सैकड़ों ट्रैक्टर दे दिये गये। इस घपले के विरुद्ध प्रेस कांफ्रेंस में सवाल उठाये जो दबा दिये गये। यह अन्याय कब तक चलता रहेगा। अगर इसका हल न हुआ तो सरकार का ही अन्त हो जायगा।

सिंचाई के लिये बिजली के साधनों की बात कही गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि लघु सिंचाई योजना से किसानों को प्रेरणा मिली है और डीजल पम्पों की गाजियाबाद म इन्डस्ट्री खुल गई और लग किसानों को लूटन। वह पम्प बहुत रद्दी--5 हजार रुपये के माल में उसको दो हजार रूपये का माल मिला। और जब वह घर पहुंचा तो रोजाना कुछ न कुछ खराब होने लगा। नतीजा यह हुआ वे बेकार पड़े हुये है। बिजली मिलती नहीं। आप किसी भी जिले में चले जाइये और आप एक हाई पावर्ड कमेटी भेजिये, तो मालूम होगा कि कई वर्षों से हजारों एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं है और अगर उसने किसी तरह से उन कर्मचारियों या अधिकारियों को खुश कर लिया तो बिजली बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर सुविधा मिलनी है तो छोटे किसानों को मिले और जो असिंचित क्षेत्र हैं, जहां पानी की बेहद मांग है और अगर यह पानी की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाय तो एक बड़े भू-भाग को सींच कर काफी मात्रा में अन्न पैदा किया जा सकता है। इसलिये बिजली और पानी की सुविधा उदारतापूर्वक किसानों को मिलनी चाहिये तभी यह माना जा सकता है कि यह सरकार कितनी किसानों की सुविधा के लिये प्रयत्न कर रही है।

पेय जल योजना के सम्बन्ध में एक बात मैं यह कह देना चाहता हूंकि आज भी हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग इससे वंचित हैं। प्लानिंग से ब्लाक समितियों को कुछ पैसा जाता था, पता नहीं उस पैसे को क्यों रोक दिया है। हर जगह टाउन एरियाज अपने-अपने टैक्स बढ़ा रही है एक होड़ सी लगी है न जाने किस-किस तरह के टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। क्या सरकार इनकी जांच करायेगी खासतौर से सादाबाद की। लेकिन टैक्स लगाने के बाद भी ब्लाक का बजट और ग्राम पंचायतों के बजट में पेय-जल के लिये कोई पैसा नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि पेय-जल योजना के लिये सरकार ने ऐसी कितनी सुविधा प्रदान कर दी है जिसके लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम पेयजल योजना के लिये बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सब बेकार है और धोखा है। खास कर हरिजन और पिछड़ी जाति को भुलावे में डाला गया है।

मजदूरों की समस्या के बारे में कहा गया है कि शान्ति है। मान्यवर, आपने कानपुर की अशान्ति देखी होगी। कानपुर के बाद हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा नम्बर है। वहां मजदूरों की हालत और भी ज्यादा बदतर है। वहां के मिलमालिकों ने शासक दल के लोगों से मिल कर सांठ-गांठ कर रखी है और वे मिल पर मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह उनके और उनके बच्चों की रोजी और रोटी का प्रश्न है। अगर मिल मालिकों की गलती है तो उसके लिये भी आप जिम्मेदार हैं और यदि आपकी गलती से बन्द तो भी आप जिम्मेदार हैं। आपको मजदूरों की राहत के लिये काम करना चाहिये। आशा है कि मिल शीघ्र चालू होकर 10,000 मजदूरों के परिवारों को राहत दिलाने में न चूकेंगे।

एक बात बिना पढ़े-लिखे लोगों के लिये योजना बनाने की कही गई है। आज आप देखेंगे कि जो सड़कें बन रही हैं उनके लिय जो मजदूर लगे हुये हैं वे 5--5 रु० पर भी नहीं मिलते। अब हालत यह हो गई ह कि सारी योजनाओं के मजदूर एक जगह खपा दिये जायं तो भी ग्रामों में मजदूर नहीं ह। आप बिना पढ़-लिखे लोगों की योजना बना रह है, लकिन पढ़ लिख लोगों

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

को रोजी देने के लिये कोई योजना नहीं है। आज ओवरसीयर इन्जीनियर, डाक्टर न जाने कितने ट्रेन्ड अध्यापक पड़े हुये हैं। मथुरा जिले में ही सन 1968 से ट्रेन्ड अध्यापक पड़े हैं उनके लिये कोई योजना नहीं है। पढ़े लिखे युवकों की प्रति वर्ष संख्या बढ़ती जा रही है यदि इनको किसी कार्य में न खपाया जाय तो यह राष्ट्र के लिये कलंक तो है ही लेकिन भीषण क्रांसी का रूप भी ले सकता है। यही कारण है कि आज ग्रेजुएट लोग भी डकैती में शामिल हो जाते हैं। इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। पढ़े लिखे लड़कों के लिये तो कुछ है नहीं और बिना पढ़े लिखे लोगों के लिये त्वरित योजना लागू की गई है। अगर वाकई में कुछ करना है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिये कुछ करना चाहिये, उद्योगों को बढ़ावा दीजिये। इसके लिये कहा गया है कि इन्डस्ट्रियल स्टेटस कायम कर रहे हैं। आगरा की इन्डस्ट्रियल स्टेट की कल्पना को मैं माने लेता हूं परन्तु मथुरा को भी जो उससे मिला है शामिल किया जाना चाहिये। 9, 10 लाख की आबादी है और 12 करोड़ का कर्ज है। उसको पिछड़े जिलों में क्यों नहीं शामिल किया गया। उसको उसमें शामिल करना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ जो हमारे भाई श्री कल्याण सिंह ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस मथुरा जिले को भी पिछड़े जिलों में शामिल कर लें।

*श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर दिया। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारा देश अनेकों प्रकार के संकटों से गुजरा है। एक तो पाकिस्तान के साथ बड़ी लड़ाई हुई, करोड़ों शरणार्थी यहां आये, अभूतपूर्व बाढ़ आई जो शायद सैकड़ों सालों में भी नहीं आई थी परन्तु हमारी सरकार ने अपने सन्तुलन को नहीं खोया और अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह से पालन किया। गांव के लोगों को इसका पता ही नहीं चलता यदि वे रेडियो से इन बातों के बार में न सुनते। हमारा काम सुचारु रुप से चलता रहा। अगर लखनऊ शहर में ब्लैक आउट न होता तो यहां के लोगों को भी भीषण लड़ाई का पता भी नहीं चल पाता। उस समय भी हमारी सड़कें बन रही थीं, बाढ़ पीड़ितों को तकावी बांटी जा रही थी किसी भी काम में कोई शिथिलता नहीं आ पाई। हमारे विरोधी दल के लोगों को भी इसका अहसास ह और वे इसको मंजूर करते हैं। परन्तु उनका गुस्सा तो यह है कि पिछले एलेक्शन में उनकी बहुत करारी हार हुई है। इसी कारण बे बिना कोई ठोस सुझाव दिये हुये अपने दिल की भंड़ास को निकालते हैं।

पिछले सेशन में यह इल्जाम लगाया गया कि रूस से एक ऐसी स्याही आई है जिसको लगाते ही वह इन्दिरा गांधी की तरफ हो जाता है। हार की झेप को मिटाने के लिये कोई न कोई कारण रख दिया जाता है चाहे वह फिट पड़े अथवा नहीं। मान्यवर, बंगाल ऐसे सूबे में कलकता के रहने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि जब वह सबेरे घर से जायेंगे तो रात में सही सलामत जिन्दा घर वापस आ भी पायेंगे अथवा नहीं। बंगाल, बिहार और गुजरात में हमारी जीत हुई। इसका क्या कारण था ? जनता वहां की जागरूक थी और जानती थी कि किसको वोट दें। अब विरोधी पक्ष के लोग अपने दिल की भंड़ास निकालना चाहते है तो ठीक है। यह सही और इमानदारी की बात है कि इस साल देश के अन्दर हमारी सरकार ने इतने अल्पकाल में ही इतना अधिक काम कर दिखाया है जैसा कि पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया चाहे वह संविद की सरकार हो अथवा अन्य कोई भी सरकार हो। नारा लगाते हुए लोग आते हैं और सन्तुष्ट होकर चले जाते हैं जबकि पहले जब कोई इस प्रकार का प्रदर्शन करता था, नारा लगाता था तो उसको डंडा, लाठी और जेल की हवा खानी पड़ती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि होम्योपैथिक के लड़के त्रिपाठी जी के विरुद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नारा लगाते हुये आये, सालिग्राम जी का घिराव किया और जब पंडित जी की बातें सुनी तो चरण रज लेकर वापस गये। 20 साल से पंचायत सेक्रेटरी को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता था। वह लोग इसके लिये आन्दोलन कर रहे थे। हमने उनको राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया। हमारे भाई इस तरह से बिगड़े हुये हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण म बतलाया गया है कि कितने निगम कायम हो रहे हैं, और कितनी सहायता हम हरिजनों की करने जा रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूर्वी जिलों के उसत्थान का इंतजाम किया जा रहा हैं।

एक बात मुझे कहनी है और वह यह है कि जनता तो इन्दिरा गांधी का आदेश मानने को तैयार हो गई है, हम भी तैयार हो गये हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी जो सरकारी कर्मचारी हैं इसके लिये तैयार नहीं हुये हैं और यही कारण हैं कि हमारी बहुत सी योजनायें और सुविधायें जो हम जनता को देना चाहते हैं वह इन लोगों के मोटर के चक्कों में चिपक जाती है। एक उदाहरण दूं। पिछली जो अप्रत्याशित बाढ़ आई थी उसमें काफी राहत बांटी गई थी। इतना पैसा बांटा गया था कि कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। वह पैसा यहां से गया, किसी तरह से भी गया हो, लेकिन किसानों के साथ साथ उसका एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों की जेब में गया है। मेरा स्वयं का यह अनुभव है। मेरे गांव के पास के एक गांव में तकावी बंट रही थी। मैंने उसमें देखा कि एक हरिजन को 50 रुपया स्वीकृत हुए थे। उसमें से 20 रुपये लेखपाल ने रख लिये थे और उसको 30 रुपये ही दिये गये थे इसी तरह एक नोनिया को 70 रुपये स्वीकार हुये लेकिन उसको 40 रुपये ही दिये गये थे और 30 रुपये काट लिये गये थे। लेखपाल ने चार ऐसे आदमियों के नाम 70, 70 रुपये लिखे थे, जो उस गांव में थे ही नहीं। इस तरह से उसने 330 रुपये लिखे और किसानो को 70 रुपये ही मिले। जब मैंने एतराज उठाया तो वह लेखपाल रात को मेरे यहां आया। उसने मुझ से कहा कि उसे दो हजार रुपया लेकर छोड़ दिया जाय। मैंने उससे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने इस बीच पता लगाया तो मालूम हुआ कि चार आदमियों को 70, 70 रुपये जो दिये हैं, वह उस गांव में उस नाम के आदमी ही नहीं हैं। बहरहाल वह आदमी ससपेन्डेड है। तो इस तरह से जो सुविधायें हम जनता को देते हैं। वह उन तक पहुंचती नहीं हैं। कर्मचारियों में राष्ट्रीयता या देश भावना नहीं है। गरीबों के प्रति भावना भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जो सुधार करना चाहते हैं उसके लिय जरूरी है कि ओवरहालिंग करें। भ्रट अधिकारियों को हटावें।

आज सुबह एक सवाल आया था कि एक इन्जीनियर ने पैसा ले लिया। उसके एस0डी0 ओ0 ने जांच की और उसको निराधार पाया। लेकिन मान्यवर यह तय है कि अगर कांन्सटेबुल की घूस की दरोगा जांच करेगा, या दरोगा की एस0 पी0 करेगा तो असलियत नहीं मालूम हो सकती है। जो ठेकेदार है वह 5 रुपया सैकड़ा ओवरसियर को देता है और ओवरसियर इंजीनियर को देता है और इंजीनियर चीफ इंजीनियर को देता है। तो अगर ओवरसियर को पकड़ा गया है तो उससे बड़े अधिकारी की जांच में असलियत का पता नहीं लग सकेगा। मान्यवर मैं सही किस्सा बताता हूं। मैं एम0 एल0 ए0 होने के पहले ब्लाक प्रमुख था। मेरी एक ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई०) से बात हुई। बेचारा पहले पी0 डब्लू0 डी0 में ओवर सियर था। उसने बताया कि जब वह ओवरसियर था तब इन्जीनियर साहब की बीबी उससे सामान मंगाया करती थीं। उन्होंने कुछ सामान लाने का नुस्खा दिया। वह सामान वह खरीद लाया। उसके बाद फिर नुस्खा आया। और कई नुस्खे आये। बेचारे की तनख्वाह, पांच प्रतिशत कमीशन और जो घर से लाया था, वह भी खर्च हो गया। अंत में जब इंजीनियर साहब की बीबी का नुस्खा साड़ी के लिये आया तो उस बेचारे को कहना पड़ा कि वह असमर्थ है और उसके पास पैसे नहीं है। इंजीनियर साहब ने तो कुछ नहीं उससे कहा किन्तु असिस्टेंट इंजीनियर से पूछा कि क्या कोई नया ओवरसियर आया है। तो उन्होंने बताया कि

[श्री शिव कुमार पान्डेय]

कि आया है। अन्त में वे ओसवरसियर बुलाये गये और असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा कि इंजीनियर साहब की बीबी के पास से जो पर्चे आया करें उनको इकट्ठा करते रहो और जब जब महीने में ठेकेदारों का पेमेंट हो तो वे पर्चे हाजिर कर दो। तब वह ठेकेदारों में बंट जायेगा और ओवरसियर का पांच प्रतिशत सुरक्षित रहेगा। इसी तरह से वह ठेकेदारों द्वारा बंटता रहेगा। तो यदि वह ओवसियर के खिलाफ जांच उन इंजीनियर महोदय द्वारा होगी तो क्या नतीजा होगा। जिनकी बीबी की साड़ी ओवरसियर मंगाता है वह कभी उस ओवरसियर के खिलाफ नहीं जायेंगे और हमारे पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर कह देंगे कि इंजीनियर की रिपोर्ट को देखते हुये ओवरसियर दोषी नहीं है। तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे।

मैं एक दूसरी घटना का उदाहरण देता हूं। एक एडवोकेट गिरफ्तार होता है। 25 एडवोकेट जमानत की दरख्वास्त देते हैं मैजिस्ट्रेट के यहां। मैजिस्ट्रेट कहता ह कि मैं इस दरख्वास्त को छुऊंगा नहीं। मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता हूं, उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। 25 वकील जमानत लेने गये लेकिन वापस चले आये।मान्यवर, यह इसी 22 तारीख का वाकया है। 23 को सुल्तानपुर में जज और एस0 ओ0 सी0 आदि की कचेहरियों में हड़ताल रही और वकील नहीं गये। तो जिस देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी हैं, जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलापति त्रिपाठी हैं और जहां का न्याय मंत्री, लल्लन सिंह जैसा एक नवजवान आदमी है, वहां एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट 25 वकील की टिकट लगी दरख्वास्त को कह दे कि मैं उसे छुऊंगा नहीं। मान्यवर मैं एक दूसरी घटना बताऊं। श्री हरि चरण गुप्ता मार्क्सवादी एक कम्युनिस्ट लीडर हैं। उनके साथ सुल्तानपुर का एक गरीब आदमी आ रहा था। वह नाऊ था जाति का। कुछ गुण्डों ने सोचा कि उसको रोक लें ताकि वह मुकदमे की कार्रवाई में हाजिर न हो सके। उन गुण्डों ने एक कांस्टेबुल की मदद से उस नाऊ को मारा और उसकी सायकिल छीन ली। गुप्ता जी को यह बर्दास्त नहीं हुआ और उन्होंने उस कांस्टेबुल की कालर पकड़ ली और कहा कि मैं तुमको कप्तान साहब के यहां ले चलूंगा। तब इसकी खबर थाने को चल गयी। नतीजा यह हुआ कि गुप्ता जी को उन लोगों ने मार-मार कर घायल कर दिया। मुख्य मंत्री जी ने इसमे मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी भी की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारी और अधिकारी वर्ग में न समाजवाद आया है और न आने की उम्मीद है। अंत में मैं यही कहूंगा कि राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण समाजवादी रास्ते का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद का के प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर माननीय कल्याण सिंह जी ने जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं सुलतानपुर के माननीय सदस्य की इस बात का समर्थन करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मौजूदा कर्मचारिवों, पंचायत सेक्रेटरीज तथा अन्य कर्मचारियों के विषय में उल्लेख किया है, लेकिन उसमें अछूत और पिछड़े वर्ग के लिये कोई विशेष बात नहीं कही गयी है। 25 वर्ष के शासन काल में उनके लिये जो 18 प्रतिशत का कोटा सर्विसेज में सुरक्षित रखा गया था वह आज तक पूरा नहीं किया गया, यह बड़े दुख की बात है। पिछड़े वर्ग को तो सरकार ने कोई सुविधायें दी ही नहीं। माननीय कल्याण सिंह जी ने उनके बारे में कई बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। सरकार को उन सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

मैं कुछ निवेदन समाज कल्याण विभाग के विषय में भी करना चाहता हूं। हमारे शास्त्री जी ने अभी हाल ही में कहा था कि प्रदश के अन्दर राजा और रानी राज्य करते हैं। इस हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जो वजीफा हरिजन छात्रों को बांटा जाता ह उसमें बड़ी

बेइमानी होती है। पिछले वर्ष के बजट में जो अनुदान इनके लिये रखा गया था कि उसको बाटने के लिये मेरे यहां जिला हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी ने 19 जनवरी को मीटिंग रखी । 19 जनवरी को यहां विधान सभा का अधिवेशन भी था। अतः मैंने हरिजन कल्याण अधिकारी को लिखा कि वह मीटिंग किसी दूसरी तारीख को रखी जाय। किन्तु वह मीटिंग उसी दिन की गयी और मन चाहे ढंग से सारी ग्रान्ट बाट दी गयी। जिसको वजीफे की रकम मिलनी चाहिये थी उसको नहीं मिली, जिसको नहीं मिलनी चाहिये थी उसको वह बांट दी गयी।

इस अभिभाषण में एक बात और कही गयी है किसानों पर टैक्स लगाने की। किसानों की दशा बड़ी शोचनीय ह। अगर किसानों पर कोई कर लगाया गया तो उनकी दशा और भी शोचनीय हो जायेगी। उनको तो सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उनपर एक तरफ तो दैवी प्रकोप होता है, दूसरे सरकारी मशीनरी का भी प्रकोप उन पर छाया रहता है। अगर प्रदेश का किसान दुर्बल होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, वह भी दुर्बल होता जायेगा।

एक निवेदन मैं प्रदेश के ग्रामोद्योग एवं खादी बोर्ड के बारे में करूंगा। उसकी क्या उपयोगिता है? उससे इस प्रदेश का क्या कल्याण होता है? इस पर लाखों रुपया खर्च होता है जब कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। किसान जो देश की इकाई है, उन पर यह पैसा खर्च होना चाहिये।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को जो सहायता दी जाती है उसी प्रकार से किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? बिजली की दरें बढ़ी हैं। मिनिमम गारेन्टी की जो कमी की गई उसके बाद सर चार्ज बढ़ाया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जब यह दोनों बातें रखीं हैं तो किसानों को क्या फायदा हुआ है। उसका तो नुकसान ही हुआ है। खाद की कीमतें बढ़ी हैं और गल्ले की कीमतें घटाई जा रही हैं। यह इस सरकार का किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि इस प्रदेश की अधिकांश जनता खेती और खेती से संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है।

1971 के चुनाव क बाद सरकार द्वारा एक गरीबी मिटाओ अभियान चालू किया गया था। जिसमें कैश-प्रोग्राम के नाम से जिले में एक स्कीम शुरू की गई। उस पर मैं अपने जिले के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं, उस संबंध में जिले में एक मीटिंग हुई थी । उसमें सभी विधायक—कांग्रेस के विधायक भी आमन्त्रित किये गये थे, किन्तु सभी एम० एल० एज० आये केवल सत्तारूढ़ पार्टी के एम० एल० एज० नहीं आए। उस मीटिंग में स्कीम पर विचार हुआ, सभी कार्य क्षेत्रों में कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लेकिन पार्टी पालटिक्स के आधार पर उस मीटिंग के प्रस्ताव बदल दिये गये और प्रोग्राम कुछ से कुछ बनाकर शासन को भेज दिया गया। हमारे क्षेत्र के दोनों ब्लाकों का कोई काम नहीं लिया गया। कासगंज में न किसी को कोई काम मिला है और न कोई निर्माण-कार्य हुआ है। केवल एक मीटर सड़क नहीं बनाई गई है। इस प्रोग्राम के बारे में शिकायत सातों विधायकों ने शासन को किया है। किन्तु मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में न किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी की गई और न हमको किसी प्रकार का जवाब मिला। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे दो विकास क्षेत्रों में जहां पर कोई भी स्कीम नहीं है, न किसी व्यक्ति को रोजी मिली है, आप इस मामले की पूरी-पूरी जांच कराने की कृपा करें कि प्रस्ताव कुछ हुए और काम और कुछ किया गया है।

मैं एटा जिले का रहने वाला हूं। वैसे यह एक पिछड़े हुए जिलों में से है, पश्चिम में अवश्य है। इस जिले में सड़कें नहीं है और जो हैं व बिलकुल टूटी-फूटी यानी न क बराबर हैं। राज्यपाल महोदय ने इन सड़कों के बारे में कोई भी बात अपन अभिभाषण में नहीं कही है। मेरे जिले में जिन सड़कों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है उनक नाम इस सरकार के सामने

[श्री नेतराम सिंह]

गिनाना चाहता हूं कि यह सरकार ध्यान देकर उनका निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराए। ये सड़कें इस प्रकार हैं—ढोलना से दांदों, ढोलना से गढ़ी, कासगंज से अमापुर, कासगंज से सहावर, कासगंज से बरौदा, वजीरपुर से वाशुपुर, गोलाकुआं से सिंगतरा-मुबारक, मोहनपुरा से कुंजनपुर, अथया से नरायनी ।

अब मैं जिलाधिकारियों के संबंध में इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं जो मुझ से सम्बन्धित है। 20-12-71 को मुझे एक पत्र मिला था जिसमें मुझे धमकी देते हुए लिखा गया था कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आपके घर में आग लगा दी जायेगी, आपका वंश मिटा दिया जायेगा। यह पत्र मेरे इलाके के गुन्डों और बदमाशों ने लिखा था। बाद में मुझे उनका पता भी चल गया था। वहां के पोस्ट मास्टर के एक लड़के ने यह लिखा था। मैं उस चिट्ठी को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। मैंने जाकर सुरक्षा की मांग की। लेकिन दुख की बात है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह कहा कि सभी एम० एल० एज० को मैं गार्ड नहीं दे सकता हूं। आप कृपा करके थाने में रहिए। जो चुना हुआ नुमाइन्दा हो, उस को गुन्डे बदमाश मारने की धमकी दें और जिले का पुलिस अधीक्षक उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करके यह कहे कि जाकर थाने में रहो। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को भी एक प्रार्थना-पत्र भेज दिया था। उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। यह दुख की बात है। क्या हो रहा है यह न आप लोगों से छिपा है और न हम लोगों से छिपा है। हमारे एस० पी० महोदय एसे भेजे गये हैं जो दरोगा या डी० एस० पी० थे। उनकी ईमानदारी की माननीय कमलापति त्रिपाठी के सामने बड़ी छाप लगी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15-15, 20-20 रुपये पर सिपाहियों के ट्रांसफर करते हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)

आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन अधीक्षक महोदय का नाम क्या है ?

श्री नेतराम सिंह—

मिस्टर पांडेय कहते हैं उनको। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरा दो एक बार मुकाबला हुआ। बाद में कभी मैं नहीं गया।

एक बात और प्रस्तुत करना चाहता हूं। मार्च के प्रथम सप्ताह में थाना कोतवाली कासगंज में आठ आदमियों का एक गैंग पकड़ा गया, जिसमें बाबूराम, अली जान, भूपाल, नेत्रपाल, कालीचरन, अच्छन, भूदेव और अलीनबी, आठ आदमी पकड़े गये। ये सभी बदमाश थे। सभी के पास असलहा निकले। बाबूराम, अलीजान, भूपाल और नेत्रपाल को तो बन्द कर दिया लकिन कालीचरन, अच्छन, भूदेव और अलीनवी को छोड़ दिया। मालूम हुआ कि पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को टेलीफोन करके कहा कि इन को छुड़वा दो। एक और गांव की घटना बताता हूं जो मेरे सामने की है। रियाज अहमद नाम का एक लड़का ढोलता ग्राम में साढ़े नौ बजे रात को पकड़ा गया। उस ग्राम का एम० एल० ए० होने के नाते उसको पकड़ कर गांव वाले मेरे सामने लाये। मैंने आदेश दिया कि इसको थाने ले जाओ। थाने में जब लड़का जाता है तो एस० पी० के टेलीफोन के आधार पर मय बन्दूक के उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। गैंग बन्दूक सहित पकड़े जाते हैं लेकिन सबके सब छोड़ दिये जाते हैं। जिले के अन्दर चोरी, डकैती, रहजनी, कत्ल, अपहरण, का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब ऐसी दशा जिले में हो तो वहां जन-जीवन की क्या दशा हो सकती है यह सोचा जा सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदमियों को जिनके खिलाफ मैंने आरोप लगाये हैं, उन आरोपों की जांच की जाय और उनके खिलाफ विधिवत् कार्यवाही की जाय। अन्त में मैंने माननीय कल्याण सिंह द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है, उसका समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रामनगीना मिश्र (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने का अवसर दिया। मान्यवर, आज इस देश को इस बात का गर्व है कि भारत की प्रधान मंत्री के नेतृत्व में विश्व में हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। आज भारतवर्ष की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का जहां विश्व में इतना सम्मान हुआ है उतना ही देश का मस्तक ऊंचा हुआ है, वहीं पर अपने देश में गरीबी और अमीरी की असमानता कैसे दूर हो, इस पर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में काफी संकेत किया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन बातों की ओर संकेत किया है कि खाद्य निगम की स्थापना की जायगी, सिंचाई आयोग गठित किया जायगा, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना होगी, पिछड़े इलाकों में उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जायगी, सड़क पर यातायात की ठीक व्यवस्था हो इसके लिये अलग से कमेटी बनेगी, शिक्षा में अधिक उन्नति हो इसके लिये प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, प्रदेश में स्वास्थ्य की विशेष देख रेख के लिये अलग से आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय, दंत चिकित्सालय तथा बच्चों के अस्पताल खोले जायंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को 5 हजार रुपये तक कर्ज देने की व्यवस्था की जायगी, शहरी सम्पत्ति की सीमा निश्चित की जायगी, खेती की हदबन्दी की जायगी, इत्यादि इत्यादि चीजों की व्यवस्था की गयी है। इससे मालूम होता है कि सर्वांगीण विकास की ओर राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। इससे प्रतीत होता है कि अपने प्रदेश में जो गरीबी और अमीरी की असमानता है वह बहुत हद तक कम हो सकती है।

इसके साथ ही जहां समूचे प्रदेश में सर्वांगीण विकास होने जा रहा है वहां मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो प्रदेश का पूर्वी छोर है और बिहार से सटा हुआ है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वह इलाका ऐसा है जहां नारायणी और बांसी नदी अपनी प्रलयंकारी बाढ़ से उसे तबाह किये रहती हैं और उसके कारण वहां यातायात के साधन समाप्त हो जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिये मार्ग नहीं रह जाता और बाढ़ आने पर सरकारी अधिकारियों को सूचना तक नहीं मिल पाती है और न वहां कोई पहुंच पाता है। वहां पर जहां एक ओर राजा महाराजाओं की अट्टालिकायें बनी हुए हैं वहीं पर निरीह किसानों के रहने की व्यवस्था तक नहीं है और न ही खाने के लिये अन्न है। वहां पर चीनी मिलों के ऊपर किसानों का करोड़ों रुपया डेफर्ड पेमेंट का बाकी है। यह प्रदेश चीनी मिलों का बाहुल्य रखता है और यहां पर 72-73 चीनी मिलें है और 22 लाख किसान परिवार उनको गन्ना सप्लाई करते हैं। उनमें 119 सहकारी समितियां काम करती हैं। बहुत दिनों से यह चर्चा चली आ रही है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा क्योंकि चीनी मिलों के माध्यम से पूंजीपति किसानों का शोषण करते चले आ रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि जहां तक हो सकेगा सरकार जल्दी से जल्दी इस काम को करेगी क्योंकि इसके पूर्व हमारे मुख्य मंत्री जी ने वायदा भी किया था कि वह चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। इससे इस प्रदेश के 22 लाख किसानों और लाखों मजदूरों का भला हो सकेगा। जहां सर्वांगीण विकास इस प्रदेश में हो रहा है वहां कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि गन्ना सहकारी समितियों में जहां लाखों आदमी काम करते हैं उनको जो वेतन मिलता है वह किसी और साधारण विभाग में मिलने वाले एक चपरासी को मिलता है जितना कि इस केन यूनियन के महकमे में काम करने वाले बाबू को मिलता है। सबसे आश्चर्य और दुःख की बात तो यह है कि वहां पर चार-चार और पांच-पांच महीने तक 80-90 रुपये में एक ग्रेजुएट काम करता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये लाखों आदमी जो इस विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिये कोई ठोस नियम बनाये जायं जिससे उनकी गुजर-बसर ठीक से हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नगीना मिश्र]

जहां समुचे प्रदेश में बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल बनने जा रहे हैं, अनेक योजनायें बनने जा रहीं हैं, वहां पर देवरिया जिले की नारायणी नदी, जिसको कि यदि देवरिया जिले का शोक कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं कही जायेंगी, उस पर, प्रलयंकारी बाढ़ आने से आये दिन लाखों और करोड़ों की तादाद में क्षति होती है। मान्यवर, पारसाल इस नदी की बाढ़ से लाखों आदमी बेघरबार हो गये, कितने ही बह गये और कितने ही लाखों रुपये की क्षति हुई। करोड़ों रुपया इसको ठीक करने में लगा किन्तु फिर भी इसका प्रबन्ध ठीक तरह से न हो सका। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके लिये वह ठोस कदम उठाये जिससे इस नदी की प्रलयंकारी बाढ़ से देवरिया जिले की बरबादी न हो सके। मान्यवर, वह क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि 9 4 मिलें इस जनपद में हैं। वहीं पर सबसे अधिक गरीबी भी विराजमान है। वहां पर कोई दूसरा उद्योग नहीं है। यह बहुत ही अच्छा होता यदि वहां पर एक कागज की फैक्टरी बना दी जाय। वहां, जहां पर कि इतने कारखानों की स्थापना हो रही है, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में एक कागज की फैक्टरी खोली जाय जिससे वहां के गरीबों को कुछ राहत मिल सके। छोटे-छोटे उद्योगों की यदि उस क्षेत्र में स्थापना की जाय तो वहां के बेकारों की किसी सीमा तक समस्या हल हो जाय।

मान्यवर, मैं एक नया सदस्य निर्वाचित होकर आया हूं। मैंने अपने पुराने दोस्त माननीय कल्पनाथ सिंह जी के भाषण को गौर से सुना। मैं उसके सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं किन्तु इतना केवल निवेदन कर देना चाहता हूं कि चुनाव के सम्बन्ध में जो उनका ऐतराज था वह बिलकुल तथ्यहीन था। समूचे देश में गरीब जनता की अब आंखें खुल चुकी हैं और वह देख चुकी है कि विरोधी दल यहां पर क्या पार्ट अदा करता है। और आये दिन गरीबों की भलाई करने का ढोंग रचता रहता है और लोक सभा में राजा-महाराजाओं की तरफ हाथ उठाता है। यही कारण है कि आज विरोधी दल जिन्दगी की अंतिम सांस ले रहा है। आज लोक सभा में प्रधान मंत्री ने प्रिवीपर्स बिल लाकर के यह दिखा दिया है कि नैतिकता का क्या तकाजा है। समूचे देश के लोग हैं गरीबों के भी बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वे इतने बुद्धू नहीं हैं कि वे इतना न समझ पायें कि विरोधी पक्ष के लोग ये लोग ढोंग रच कर गरीबों के रहनुमा बनना चाहते हैं किन्तु इन्दिरा के तौर-तरीकों और नीतियों से उसकी जय-जय कार पूरे देश में हुई और उनकी पार्टी की जीत हुई। चुनाव के समय हमने देखा कि हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपने दोस्तों के गांव-गांव में घूमते थे। जहां पर धर्मनिर्पेक्षता की बात वह कहते हैं वहां पर जातिवाद का नंगा नाच नाचा जा रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ है? वहां के किसानों ने ठुकराया और हमारे मित्र के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गयी। इस चुनाव के समर में जखमी होने पर पोलिटिकल टेम्परेचर हमारे मित्र को हो गया और मालूम होता है कि 105 डिग्री हो गया था। जिस समय वह बोलने के लिए खड़े हुए तो अपोजीशन की तरफ से कोई ऐसा सजेशन आना चाहिये था जिससे प्रदेश का कल्याण हो सके। तो सजेशन नहीं आया, किन्तु जब वह कुछ कहते थे तो हमेशा यही शेर याद आता था कि "हाय चुनाव, हाय चुनाव! और चुनाव के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वह 105 डिग्री टेम्परेचर में कहा। वह सब बिलकुल तथ्यहीन है।

मान्यवर, मैंने अपने पुराने मित्र, सोशलिस्ट नेता शास्त्री जी की बात सुनी। सुन कर के आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह हुआ कि दूसरे की बुराई करने में तो सोशलिस्ट पार्टी के हमारे नेता इतने आगे हैं। गाली देने में और शिष्टता तो शायद उनकी डिक्शनरी में ह ही नहीं, मानो अशिष्टता का ही पाठ पढ़ा है। मैं सुन कर आश्चर्यचकित रह गया कि हमारे सोशलिस्ट लीडर को अपनी हार की फिकर तो नहीं हुई, किन्तु बंगाल में ज्योति बसु की हार की बड़ी भारी वेदना हुई। इतनी संवेदना हुई कि उसके पीछे अपनी हार भी भूल गये और ज्योति बसु की गीत गाने लगे। मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि यह शेर याद कर लें—

"अगर चाक हो दामन तो बैठ करके सीलें,
पीकिंग के दरजी स सिलाना नहीं अच्छा।"

मैं समझता हूं कि आज देश ऐसे आततायी लोगों को पसंद नहीं करता। यह मुल्क चाहता है कि शान्ति मय तरीके से देश से गरीबी जाय। वास्तविकता तो यह है मान्यवर, कि आज इन्दिरा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस देश में गरीबी और अमीरी की असमानता कैसे दूर हो इस ओर प्रयत्नशील है। वह किसी व्यक्ति के शरीर से दुश्मनी नहीं रखती है, बल्कि उसके सिद्धान्तों और आचरणों से दुश्मनी रखती है। यही कारण है कि आज समूचे देश के लोग इंदिरा जी की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। जितने आज चुनाव हुए मान्यवर, समूचे देश में आज चाहे एम0 पी0 के हुए, साल भर के बाद 11-12 प्रदेशों के चुनाव हुए उनके आंकड़े यह साबित कर रहे हैं कि यह देश न तो उग्रवादी चायना समर्थकों को चाहता है, न तो ढोंग रचने वाले कथित समाजवाद का नारा देने वालों को पसन्द करता है। वह तो रिअलिस्टस को पसन्द करता है जो अपनी कथनी और करनी एक रखें। यही कारण है कि समूचे देश में आज इंदिरा जी की नेतृत्व वाली पार्टी की विजय हो रही है।

मान्यवर, मैं इससे अधिक तो नहीं कहूंगा। मैं तो अभी नया नया आया हूं। आपकी असीम कृपा हुई कि हमको आपने यह शुभ अवसर दिया। मैं तो ज्यादा जानता नहीं। यह तो पहला मौका है कुछ कहने का। अगर मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को कुछ तकलीफ हुई होगी तो वह क्षमा करेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो हमारे विरोध में दोस्त बैठे हुए हैं उनका यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रदेश की भलाई के लिये, जो आवेश और आक्रोश में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन पेश किये हैं वह वापस लें और सर्व-सम्मति से कृतज्ञता प्रकट करके समुचित प्रदेश की भलाई मानें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, हाउस में कोरम नहीं है। 37-38 आदमी हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बैठे हुए नहीं हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, क्योंकि कोरम नहीं है, यह बात सही है।

(घंटा बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री इन्द्रमणि —

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा और सुना है। यह सही है जैसा कि हमारे साथी कहते हैं कि जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन जनता के सामने शासक दल ने जो वायदे किये हैं, उनको देखना चाहिये था कि उनको पूरा करने की बात उसमें है या नहीं। हम इसको शुरू से आखिर तक देखते हैं तो गरीबी हटाओ, समाजवाद लाने की बात या समान वेतन की बात या कीमतें कम करने की बात कहीं नहीं दिखाई देती है। इस अभिभाषण के आरम्भ में कहा गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे चीनी, वनस्पति, मिट्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि]
का तेल आदि का वितरण उचित मूल्य पर किया जा रहा है। मैं पर्वतीय इलाके की तरफ से कह रहा हूं कि वहां का जीवन इतना दुर्लभ कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। इस साल वहां पर मिट्टी का तेल 3 रुपये प्रति लिटर तथा चीनी 6 रुपये किलो तक बिकी है।

इसके अलावा हमारी सरकार ने कहा है कि हमने यह नीति अपनाई है कि किसानों को उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले। फर्रुखाबाद आलू के किसानों की मीटिंग हुई और उसमें शासक दल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने जो कहा है उससे मालूम होता है कि सरकार किसानों की कितनी इम्दाद करती है। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने इस साल दुगना किराया बढ़ा दिया है और किसानों को केवल आलू बेचने से दो करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। किसानों के लिये आपकी क्या मदद है। इसमें कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसी तरह से आपने कह दिया कि इसके लिये निगम बनायेंगे। बिजली का निगम बना हुआ है। क्या सारे प्रदेश में उसने बिजली फैला दी है। इसमें कितना भ्रष्टाचार है यह सब लोग जानते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिये निगम बनाने का बहाना करती है और इसके अलावा सरकार के पास और काम नहीं रह गया है। तो इसमें भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बिलकुल भागी है।

शिक्षा के विषय में सरकार ने कहा है कि जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा को हम लेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा में असमानता, बड़े आदमियों के लड़कों के लिये दून स्कूल और पब्लिक स्कूल है और छोटे आदमियों के लिये जिला परिषद् और नगरपालिका के स्कूल हैं, तो इस समाजवादी सरकार को निश्चित घोषणा कर देनी चाहिये कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के बच्चे के लिये एक तरह के अध्यापक होंगे, एक तरह का विद्यालय होगा और एक तरह की किताब होगी। समाजवाद की जो यह पहली सीढ़ी है इसका भी इसमें नहीं जिक्र हुआ है।

इसके अलावा समान काम के लिये समान वेतन की जो बहुत पुरानी बात है इसका भी इस में कहीं जिक्र तक नहीं है। सरकार कहती है कि हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को बराबर करना चाहते हैं। लेकिन सरकार पहले यह तो तय करे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम तनख्वाह कितनी होगी। जो आपके नीचे काम करता है उसके बीच में आप कितना अन्तर रखना चाहते हैं। पहले यह तय कीजिये फिर और बात कीजिये। इन चीजों का सारे अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

जहां तक पर्वतीय जिलों के विकास परिषद् और विकास निगम की बात कही गयी है, विकास परिषद् एक ऐसा परिषद् बन गया है जिसका कानूनन कोई स्वरूप नहीं ही है। जब गुप्ता जी आये तो उसके सदस्य कोई और होते हैं, जब चरण सिंह जी आते हैं तो उसका दूसरा स्वरूप होता है और जब माननीय कमलापति जी मुख्य मंत्री होते है तो उसका दूसरा स्वरूप होता है। तो जिस परिषद का जन्म किसी कानून से न हुआ हो उसका ढिंढोरा पीटना बिलकुल गलत बात है। इसी तरह से एक विकास निगम बनाया गया है पर्वतीय क्षेत्र वालों की सुविधा हेतु। अगर उससे 'नि' हटा दिया जाय तो गम ही गम रह जायगा। दस साल बाद इन निगमों का "नि" हट जायगा और गम ही गम रह जायगा। पर्वतीय विकास निगम ने गत वर्ष एक पैकेज प्रोग्राम बनाया जिसमें करीब ढाई, तीन लाख का घाटा एक-एक काम में हुआ।

इसके अलावा स्वच्छ प्रशासन की बात कही गयी। एक पर्चा है जो कि यहां पर वितरित कर दिया गया है। इसमें लिखा है पुलिस अत्याचार से पीड़ित पत्रकार की ओर से प्रदेश के मुख्य मंत्री व विधान सभा अध्यक्ष को यू0 पी0 जर्नलिस्ट असोसियेशन का खुला पत्र। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस ढंग से पत्रकार लोगों पर भी यह सरकार जुल्म कर रही ह। इतना ही नहीं, अब तो लोगों को यह यकीन हो गया है कि पत्रकार लोग या अन्य लोग इनके

भय के मारे अखबारों में कुछ छापते नहीं है, इसलिये जब हम गेट पर आते हैं तो हर रोज कुछ न कुछ मिलता है। जर्नलिस्ट लोगों ने खुला पत्र मुख्य मंत्री को दिया है कि किस ढंग से यहां पर कार्य हो रहा है। इसी तरह से पर्वतीय जिलों में जहां पुलिस और जनता का आपस में बड़ा सहयोग रहता था—यह सौभाग्य है कि हमारे पर्वतीय जिले के मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं—वहां श्री जोतसिंह पुलिस की मारपीट से बेहोश, अनेक गिरफ्तारियां, जनता में आतंक, यह उस जिले की बात है जो सीमान्त जिला है—उत्तरकाशी। 19 मार्च को पुलिस के सिपाहियों ने जोतसिंह राणा को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। इतना ही नहीं टेहरी गढ़वाल में मातबर सिंह ठेकेदार को भी मारा गया। और जब लोगों ने उसकी गवाही दी तो उनको भी मारा गया। कहने का मतलब यह है कि एक साल में एक ही खास पट्टी में 17 खून हुये हैं, जब कि पहाड़ों में कभी कोई खून होता नहीं था। इसका कारण यह कि शासक दल ने अपने कर्मचारियों को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि वे जिलों में कोई काम ही नहीं करते हैं। मुझसे स्वयं एक जिलाधीश कह रहा था कि शासक दल के लोग 12 बजे भी खून कर देते हैं और कहते हैं कि कहां है जिलाधीश उसको बुलाओ यहां। अगर उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं किया जाता है तो मिनिस्टर साहब से कह देते हैं कि इसकी यहां से बदली कर दो। कौन लोग हैं वे ? वे जनता का प्रतिनिधित्व तो करते नहीं हैं। म्युनिसिपैल्टी के इलेक्शन में तो हार गये और शासक दल के जनरल सेक्रेटरी बना दिये गये। जो उनको रुपया नहीं देता है उसको वहां से बदलवा देते हैं। यही कारण है कि पहाड़ों में जहां कोई खून का नाम भी नहीं जानता था, 17 खून हुए हैं और वे भी एक ही पट्टी में। पहाड़ों की इस दशा से मैं यह अन्दाजा लगाता हूं कि प्रांत के दूसरे भागों में क्या अवस्था होगी। मंत्री लोग जो समाजवाद की बातें करते हैं, यह तो खाली बोलने की बात है, सारे मंत्री अपनी पार्टी के लिये खाली पैसा इकट्ठा करते हैं। सारे प्रांत में अपनी पार्टी के लिये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

(इस समय 2 बजकर 49 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके अलावा एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी त्वरित योजना से हमारे यहां जरूर कुछ फायदा हुआ है। लेकिन जो योजना हमने बना कर दी थी उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि विरोधीदल के लोगों की यह सड़क नहीं बननी चाहिये और वह सड़क रुक गयी। दिसम्बर तक वह रुकी रही और कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ लेकिन बाद में यह हुआ कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाय। अब काम हो रहा है। इस प्रकार से इस त्वरित योजना में कुछ काम अवश्य हुआ है।

राज्यपाल के अभिभाषण में हम सरकार की भावी एक वर्ष की नीति को देखना चाहते थे। 24 पेज का तो वित्त मंत्री जी का ही भाषण था उसको इतना लंबा होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसमें केवल दो लाइनें खास मिलीं। उसमें कहा गया है कि शहरी सपत्ति की सीलिंग और जोतबन्दी का कानून बनायेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं लोगों ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास किया था। बाम्बे में जो प्रस्ताव पास किये थे उनमें चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का भी एक प्रस्ताव था। और इसी राष्ट्रीयकरण के नाम पर आपने प्रदेश में संसद का चुनाव जीता। इस समय भी आप ने यहां चुनाव जीत लिये लेकिन राष्ट्रीयकरण अभी तक हुआ ही नहीं। इस तरह से यह खाली श्री राज्यपाल के अभिभाषण में आ गया है बाकी इस पर कानून बनने वाला नहीं है। कारण इसका यह है कि आप के साथ वह सभी लोग हैं कि जिनके पास 1500 एकड़ जमीन है, मुख्य मंत्री जी का मिर्जापुर में फार्म है और इसी तरह के अन्य लोग आप के साथ हैं जिनके पास हजार 1500 एकड़ के फार्म हैं। मैंने तो अपने कितने ही साथियों से कहा कि अब तो शासक दल का बहुमत है अब आप क्यों उधर जा रहे हैं इससे पहले ही आप चले जाते अब आप क्यों उस दल में जा रहे हैं। उन्होंन साफ कहा कि हम अपनी जायदाद बचाने के लिये जा रहे हैं।

[श्री इन्द्र मणि]

ऋषिकेश के सब से बड़े पूंजीपति हमारे शांति भाई हैं, जो आज भी भरत जी के नाम का खाते हैं, वह इसीलिये उधर गये हैं कि अपनी जायदाद को किस तरह से बचा कर ठीक रखें। इसलिए यह कहना कि हम जल्दी ही जोतबन्दी और सीलिंग का कानून लायेंगे एक असम्भव बात है। आप ने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा है लायेंगे तो हम उस का स्वागत करेंगे लेकिन जो शासक दल के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा ऐसा कानून लाने देना कठिन ही लगता है।

समाजवाद की बात और गरीबों को नौकरी देने की बात कही जाती है। आपने पूंजीपतियों का विरोध करने के नाम पर चुनाव में वोट भी गरीबों के हासिल किये और हमारे पहाड़ में भी इस नारे का स्वागत किया गया लेकिन हालत यह है कि आज भी हमारे पढ़े लिखे लड़के बेकार घूमते हैं। आप ने तमाम स्कूल कालेज खोले लेकिन जो लड़के वहां से निकले उनकी बेकारी दूर नहीं हुई, आपने बेकारों के लिये कोई योजना बनायी ? आप की कौन सी वह योजना है जिसके द्वारा आप इतने करोड़ रुपया बेकारी दूर करने के लिये व्यय करेंगे। पहली योजना के बाद दूसरी योजना में बेकारी बढ़ गई, दूसरी प्लान के बाद तीसरी में और बेकारी बढ़ गई और इस से आज पढ़े-लिखे नौजवानों में बड़ी अशांति है।

जिस दल ने समाजवाद का नारा लगाया है आज उसी दल के टिकट पर श्री वी0आर0 मोहन करोड़पति खड़ा किया जा रहा है। आज प्रजातंत्र की इज्जत खरीदी जा रही है, अगर एक विधायक भी बिका तो प्रजातंत्र की हत्या हुई। इस तरह से उस दल से समाजवाद लाने की आशा करना बेकार है। वी० आर० मोहन जैसे करोड़पतियों को साथ लेकर आप अपना काम दो चार साल भले ही चला लें लेकिन वह गलतफहमी है। आप को ज्यादा वोट मिले यह भी कहना गलत है, आज आप उस आसन पर विरोधियों की गलतियों के कारण से बैठे हैं। इलाहाबाद के चुनाव में ही आप को 15 हजार वी०के०डी० को 13 हजार हजार और संगठन कांग्रेस को 11 हजार वोट मिले हैं। यह कहना गलत है कि जनता आप के साथ है। आज वह सब लोग आप के साथ इकट्ठा हैं कि जिन्होंने जनता का हर तरह से शोषण किया है। आज आप की हालत सन् 52 की कांग्रेस की सी है। जनता ने 20 साल तक इन्तजार किया लेकिन अब आप का जनता केवल एक दो साल तक ही इन्तजार करेगी और अगर आप ने अपने वादे पूरे न किये तो आपको लोग बाजार में जिन्दा न रखेंग।

*श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद देने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय रियासत हुसेन साहब द्वारा प्रस्तुत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसी संबंध में मुझे कुछ बातें भी कहनी हैं। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कुछ बातों का संकेत किया है, उनसे आशा बलवती हो उठी है कि वास्तव में इस प्रदेश में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और गरीबों की समस्याओं का हल अवश्य ही निकलेगा। यह बड़ा शुभ लक्षण है। माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इशारा किया है कि यहां पर खाद्यान्नों का बफर स्टाक कायम किया गया है ताकि जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके और किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और उनको शोषण से बचाया जा सके। इसके लिये एक ओर तो गेहूं तथा खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी सरकारी अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षण मूल्य पर की जाती रही है और उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कुछ कदम भी उठाये जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे कोल्ड स्टोरेज के भाड़े की दरों का जो सरकारी नियंत्रण किया जा रहा है वह भी एक शुभ लक्षण है क्योंकि अभी तक होता यह था कि कोल्ड स्टोरेज वाले जिस समय किसान ज्यादा परेशान होते थे, मनमानी करके उससे उसके मूल्य लेते थे और अगर वह मूल्य नहीं दे सकता था, उनकी मरजी के मुताबिक तो नतीजा यह होता था कि उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता था और वह नष्ट हो जाता था ।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि राज्य में सिंचाई योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जायगी, यह भी एक शुभ लक्षण है और मैं आशा करता हूं कि सिंचाई का मामला जो है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, पूरा न्याय नहीं कर पाते हैं, वे इससे लाभान्वित होंगे । किसान मेहनत तो करता था लेकिन सिंचाई न करने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती थी । उससे उसका तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ अधिक अन्न उपजाओं में भी किसान सहायक हो सकेगा ।

उद्योगों के लगाने की ओर भी माननीय राज्यपाल जी ने जो अपने अभिभाषण में संकेत किया है, वह बहुत ही शुभ लक्षण हैं क्योंकि 25 वर्षों में जो हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों से कम उन्नत रहा है और यहां पर निरन्तर उद्योग की उपेक्षा की गयी है, उनको पनपाने के लिये बड़े उद्योग या छोटे उद्योग लगवाने के लिये कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और अगर मैं यह कहूं कि उद्योग विभाग रिश्वत विभाग है तो कोई अतिशयोक्ति या अनुचित बात न होगी । अगर कोई आज 10–5 हजार रुपया लगाकर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसे 25 प्रतिशत अपने पास रिश्वत के लिये अलग रखकर कार्य आरम्भ करना चाहिये तब जाकर उसके कागज आगे बढ़ सकते हैं । उद्योगों के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि आने वाले वर्ष में जो पहली अप्रैल से आरम्भ होगा, यहां पर काफी उद्योग लगेंगे ।

राज्यपाल जी ने यह कहा है कि कृषि प्रधान इस प्रदेश में यह आवश्यक है कि उद्योगों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर भूमि पर भार को हल्का किया जाये । हाल ही में एक ओर केंद्रीय पब्लिक सैक्टर में कुछ बड़े उद्योग प्रदेश को प्राप्त हुये हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों तथा उसके द्वारा दी गयी विशेष सुविधाओं के कारण प्रदेश को प्राप्त होने वाले औद्योगिक लाइसेंसों में प्रगति हुई है । यू0पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ज्वाइन्ट सेक्टर में आठ नये कारखाने लगाने के लिये लेटर्स आफ इन्टेंट प्राप्त कर चुका है । इनमें से अल्मोड़ा मैंकनेसाइट का कार्य प्रारम्भ हो गया है और आगामी अगस्त तक कारखाना चालू होने की आशा है । चीनी निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और पांच चीनी मिलें निगम द्वारा चलायी जा रही हैं व कुछ अन्य मिलों का जिनका अर्जन पिछली जुलाई में किया गया था मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । किच्छा चीनी फैक्टरी भी इसी निगम के माध्यम से चलाई जायेगी और उसमें अगले वर्ष उत्पादन प्रारम्भ हो सके इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं । सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें लगाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं तथा चीनी मिलों के निजी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये सरकार का प्रयास बराबर जारी है । इसी तरह से सीमेंट निगम की जो बात कही गई है वह भी इस दिशा में एक आशावादी कदम है और उससे हमारा प्रदेश काफी समुन्नत होगा । कानपुर तथा आगरा में इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रियल ऐस्टेट जो बनाई जारही है उसमें हमें आशा है कि वह भी एक बहुत शुभ लक्षण है । औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की गति तेज करने की दृष्टि से सरकार ने इस राज्य में प्रदेशीय इंडस्ट्रियल ऐंड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० (पिकअप) जो एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में काम करेगा, की स्थापना करने जा रही है । यह निगम क्रैडिट संस्थाओं को जो ऋण वह मध्यम उद्योगों को देगी उसकी गारन्टी देगा । चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश फाइनन्शियल कारपोरेशन ने पांच अन्य जिलों में अपनी शाखायें भी खोली हैं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये पिछड़े हुए जिलों में सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु उदार वित्तीय सहायता तथा भूमि आदि की व्यवस्था

[श्री मदन मोहन मिश्र]

की जा रही है । बलिया, बस्ती, फतेहपुर तथा गाजीपुर जिलों में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलकर उद्योग लगाये जायेंगे जो प्रत्येक साढ़े सात लाख रुपये तक की लागत का होगा ।

मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहता हू कि मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि इस प्रदेश में दो तीन स्थान तो ऐसे हैं जहां पर कि बड़े उद्योग स्थापित हैं एक गाजियाबाद और कानपुर और थोड़ा बहुत इधर नैनी इलाहाबाद में, बनारस, मुगलसराय की तरफ । इसके अलावा गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर का भी कारखाना है । लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब विकेंद्रीकरण हो रहा है तो क्या कारण है कि जितने यह बड़े उद्योगों को लगाने के स्थान चुने जाते हैं उनमें ये चार पांच स्थान ही क्यों चुने जाते हैं । आखिर कौन सी खास बात है । जब मीन्स आफ काम्युनिकेशन्स आवागमन के रास्ते हर जगह सुलभ कर दिये गये हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो सामान को ले जाने या ले आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ती है । तो क्यों नहीं इन उद्योगों को दूसरे और जिलों में लगाया जाता और खास तौर से छोटे जिलों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो छोटे जिले में जिनकी आबादी दस लाख से 12 लाख या 16 लाख तक है आखिर इन जिलों को इसके लिये क्यों नहीं चुना जाता है । उनकी उन्नति करने का मार्ग कब प्रशस्त किया जायेगा । चाहे सैन्टर उसको चुने या यू0पी0 सरकार की ओर से चुनाव हो उसके लिये वही मेरठ और गाजियाबाद, वही कानपुर, वही आगरा । तो मतलब क्या है । तो क्या मोनोपोली है इन थोड़े से जिलों की । यह क्या है । जैसे गरीबों का बड़े आदमी शोषण करते हैं तो क्या मैं यह कहूं कि ये कुछ जिले 54 जिलों में इन थोड़े जिलों द्वारा बाकी जिलों का शोषण होता है । क्या वे जिले बाकी जिलों का शोषण करने पर उतारू है । यह उनसे शोषण कराया जा रहा है । मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं । विशेष तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं जैसे रायबरेली, प्रतापगढ़ फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव और फिर फतेहपुर बांदा और बुन्देलखंड आदि ये जो जिलों का वैस्ट है, जिनका खून चूसा करते थे पहले जमींदार ताल्लुकेदार और उसके बाद 25 वर्षों तक ब्यूरोक्रेसी ने चूसा है । क्या इनकी तरफ कभी ध्यान दिया जायेगा । मैं यह चाहता हूं कि ऐसा न हो कि यू०पी० के बंटवारे वाली बात पर जोर देना पड़े और यू०पी० का विघटन हो । आपके सामने पंजाब की मिसाल मौजूद है । जितनी चीजें थीं सब पहले पंजाब में लगती थीं । जितनी सड़कें थीं वे पंजाब में लगीं जितने कारखाने थे वे सब पंजाब में लगे ।

हरियाणा वाले परेशान हो गये उन्होंने कहा कि हम बंटवारा चाहते हैं । मुझे वही शंका यहां है । अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन हमको यह आवाज बलवती करनी पड़ेगी कि हम मध्यवर्ती जिलों का बंटवारा चाहते हैं जिसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, न फौज, न बन्दूक और न राइफलें । अगर मध्यवर्ती जिलों को समुन्नत बनाने या विकास करने में उपेक्षा की गई तो यह बटवारा अवश्य होगा । यहां पर पहाड़ों की बात कही गई, मैं भी कहता हूं कि पहाड़ों का विकास हो, पहाड़ों की गरीबी दूर हो । मैं यह नहीं कहता कि न हो, लेकिन पहाड़ों से भी अधिक दयनीय स्थिति इन छोटे-छोटे जिलों की है । मैं कम्पेरीजन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि अगर इन जिलों का आप दौरा करें और वहां के गांवों की स्थिति देखें, तो आपको बहुत दुख होगा उनकी दयनीय दशा देखकर कि जो वहां स्थिति गरीबों की है । न उनके पास जमीन है, न रोजगार है और न नौकरी । उनके पास कपड़े भी नहीं है । फटे कपड़ों से वह गुजारा करते हैं तथा सड़ा गल्ला खाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन फिर भी वह यह आशा लगाय हुये हैं कि शायद हमारे दिन भी फिर आयें और मुझे आशा है कि राज्यपाल के भाषण से कि इन मध्यवर्तियों का भी भाग्य सुधरगा ।

एक बात मैं और टेस्ट वर्क के संबंध में कह देना चाहता था । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जो टेस्ट वर्क रायबरेली जिले में चल रहे हैं वह बन्द न किये जायं क्योंकि हमारे यहां की फसल को बहुत भारी क्षति पहुंची है और अगर ये टेस्ट वर्क बन्द कर दिये गये तो वहां पर गरीबों को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी । मैं यह भी आशा करता हूं कि राज्यपाल के भाषण में यह भी होगा कि चकबन्दी के नियम बनाये जायं कि किसी भी आदमी को दो चक से ज्यादा न दिया जाय और उनको हवाई चक न दिये जायं । जहां पर उनकी जमीन है वहीं चक दिये जायं । होता यह है कि जमीन कहीं पर है और चक उससे काफी दूर दिया जाता है । जिनको दूसरी जगह चक दिया जाता है उसका मूल कारण है रिश्वत। अगर किसी आदमी ने चकबन्दी के किसी अहलकार की जेब में पैसा डाल दिया वह मनमाना और मनचाहा चक पा जाता है और नतीजा यह होगा कि जो आदमी गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, जो साधनहीन है, उसको न मालूम कितनी दूर चक दे दिया जाता है । इससे न तो वह अपनी खेती कर पाता है और न देख ही पाता है और न उसकी हिफाजत ही कर पाता है । नतीजा यह होता है कि उसको चक मिलना अथवा न मिलना दोनों बराबर है ।

लैन्ड डेवलपमेंट बैंक पर मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं । लैन्ड डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जा दिया जाता है पंपिंग सेट खरीदने के लिये इसमें 25 प्रतिशत रिश्वत ली जाती है अक्सर किसी आदमी को 5,000 रु० सैंक्शन किया जाता है तो वह चक दूकानदार के नाम बनाया जाता है । नतीजा यह होता है कि बी०एल०डब्लू० से लेकर बी०डी०ओ० तक फी मशीन ो तथा लैन्ड डेवलपमेंट बैंक का मैनेजर, आदि-आदि मिलकर सांठगांठ करके कम से 500 और ज्यादा से ज्यादा जितना मिल जाय, रिश्वत लेते हैं । नतीजा यह होता है कि ग ोबों को बहुत ही परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है और न वह पंपिंग सट ही ल पाता हैं और न अपना काम ही कर पाता है ।

जो भूमिहीन और छोटे कृषक हैं जिनको भैंस और गाय खरीदने के लिये पैसा दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं और यह आशा करता हूं कि यह पैसा उनको डाइरेक्ट गरीबों को दिया जाय क्योंकि आप उनकी जमीन और उनकी सम्पत्ति तो गिरवी कर ही लेते हैं तो उन पर विश्वास भी किया जाना चाहिये । मैं आपके माध्यम से यह भी कह देना चाहता हूं कि यहां कि जो ब्यूरोक्रेसी है, खास तौर से जो आई०ए०एस० तबका है, वह यह मानकर चलता है कि हर आदमी बेईमान है । यह ईमानदार मानने के लिये तैयार नहीं हैं । अगर यह ईमानदार मान कर चलें तो बहुत सी समस्यायों का निराकरण अपने आप हो जाय । क्या गारन्टी इस बात की है कि सभी आफिसर्स ईमानदार हैं । आज किसका बहुमत है, जो इस देश का रक्षक है जो समाजवाद को असली रूप देने वाला है, किसान वह तो ईमानदार है नहीं और वे आफिसर्स ईमानदार हैं । ये आफिसर्स किस प्रकार स ईमानदार हो सकते हैं । किसी केस में एक दिन में आर्डर होना चाहिये परन्तु ये आफिसर्स उसको एक साल तक लटकाये रहते हैं । अगर हम किसान को ईमानदार मान कर चलें तो उसका मनोबल ऊंचा हो और वह अपने को ज्यादा से ज्यादा सम्नुन्नत बनाले और समाजवाद को अपली जामा पहनाने में सहायक हो सके ।

आय और वेतन की सीमा निर्धारित होनी चाहिये । मैं तो यह कह सकता हूं कि आय कम से कम 250 रु० और अधिक से अधिक 500 रु० ही रखी जानी चाहिये । 100 रु० महंगाई भत्ते का दोनों ही वर्गों को समान मिलना चाहिये क्योंकि उनके परिवार के आश्रितों की संख्या तो उतनी ही होती है । 250 रु० पाने वाले को सब मिलाकर 350 रु० मिले और 500 रु० पाने वाले को 600 रु० सब मिलाकर मिले । यह समाजवाद का सही असली रूप हो सकता है । हमको इस दिशा में सोचना होगा । केवल एक ही स्कल रखें । आज छोट आदमी विक्टीमाइज हो रहे हैं इससे वह नहीं हो पायेगा । मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको करने क लिय आपको कोई न कोई प्राविधान

[श्री मदन मोहन मिश्र]

करना ही होगा । इसी के साथ ही साथ यहां पर असेम्बली हाउस के गार्ड हैं, उनके वेतन में भी बढोत्तरी करें । यहां का चपरासी है, आज सारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है लेकिन वह चपरासी वहीं का वहीं पड़ा है बल्कि वह नीचे गिरता जा रहा है । साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि पुलिस कान्सटेबुल्स की तनख्वाह की भी बढोत्तरी कीजिये और जो राजकीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में भी बढोत्तरी की जानी चाहिये । साथ ही उनको उचित स्तर पर लाने की चेष्टा की जानी चाहिये । जो पत्रकार हैं उनको भी जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिये । मैं इसको इसलिये कह रहा हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है पाकिस्तान के युद्ध को जीत कर और बंगला देश का निर्माण करके कि यहां की जनता में जोश है । यह कहा भी गया है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट दें । अभी हमारे दिलों में इस प्रकार का उत्साह है और अगर हम परिवर्तन की दिशा में बढते हैं तो इसका हमको अच्छा लाभ मिल सकता है । यह जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है उसको हमको असली जामा पहनाना है, उसको सार्थक करना है । इन शब्दों के साथ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यबाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, प्रदेश के अन्दर जिन कारणों से यहां का प्रशासन बड़ी बुरी तरह से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और साधारण जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है उसकी ओर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है । सदन में किन्ही भी दल की सरकार बन जाने पर, उसका अपार बहुमत हो जाने पर उप चुनाव में जीत हो जाने पर यह समझ लेना कि प्रशासन में ईमानदारी आ गई है, यह एक भ्रांति है । केवल ऐसा हो जाने पर यह समझ लेना प्रशासन दक्ष हो गया है, यह एक भ्रम है।

यह शंका तभी मिट सकती है जब शासन का यह संकल्प होता कि हम प्रदेश में ईमानदारी लायेंगे और प्रशासन में दक्षता लायेंगे। परन्तु सरकार और दल शासक दल ने इस ओर चिन्ता नहीं की। राज्यपाल महोदय के पूरे भाषण में इस ओर कोई इशारा नहीं किया गया है, जबकि विभिन्न सदस्यों ने कहा है कि अगर लोन लें तो 25 प्रतिशत देना होता है। भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर पहुंचा हुआ है। इससे कोई चीज अछूती नहीं है। जहां हम न्याय लेने जाते हैं उसकी भी शंका की निगाह से देखा जाता है। मुंसिफ है न्याय करेगा, अब एसी धारणा नहीं रही है परन्तु सरकार इस ओर चिन्तित नहीं है और न ही सरकार ने इस बारे में कोई संकल्प प्रकट किया है। प्रशासन से नतिकता का ह्रास हो गया है। इतना ही नहीं प्रदेश में जो उप मन्त्री है, मन्त्री है, वह शंका से बरी नहीं हैं। आज हम कह नहीं सकते हैं कि शासन को इस दृष्टि से देखते हैं कि ईमानदारी लाना चाहता है। आज इन मन्त्रियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जा रहे हैं। इस तरह की सरकार के मन्त्री अपने कर्मचारियों और अधिकारियों में कैसे ईमानदारी ला सकत हैं। वह इसमें ईमानदारी की भावना जगा नहीं सकते हैं। इसी सदन में मन्त्रियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप आये हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदेश में ईमानदारी आवे और काम में दक्षता आवे, तो मन्त्रियों को शंका से बरी होना पड़ेगा। अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिये। जब संविद सरकार थी तो सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध जांच का अधिनियम बना था जिसमें कोई आदमी मन्त्री, उप मन्त्री या किसी बड़े व्यक्ति के विरुद्धयदि भ्रष्टाचार का आरोप है तो एक हजार रुपया जमा करके जांच करवा सकता था लकिन नई सरकार ने उसको वापस ले लिया। आप इस प्रकार के जो विधायक हैं, मन्त्री हैं या ऊंचे पदों पर हैं उनके विरुद्ध जांच नहीं करा सकत हैं। श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्राशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था। उनका लोकपाल नियुक्त करने का सुझाव

था जो बड़े-बड़े मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कर सके। लेकिन सरकार ने उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है । इसके कारण शासन में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है।

15 अगस्त, 1947 के बाद आज तक जितनी सरकारें आई हैं उनमें यह सरकार सबसे ज्यादा निकृष्ट और गिरी हुई है । यह सरकार भ्रष्टाचार दूर नहीं करना चाहती है। इसका कारण राजनतिक है। सरकार के काम करने का तरीका ही अलग है । इसकी कार्य पद्धति के कारण लोगों का मन शंकित रहता है ।

आज मैं दो उदाहरण आपके समक्ष देना चाहता हूं। बदायूं जिले के अन्दर एक उप जिला निरीक्षक का स्थानान्तरण तीन महीने के अन्दर 6 बार किया गया और 6 बार रोका गया। शासन ने कई आदेश जारी किये और फिर उन्हें रद्द कर दिये। परिणाम यह हुआ कि एक ही जिले में दो डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल नियुक्त रहे। यदि एक स्कूलों में दौरे पर था तो दूसरा दफ्तर सम्भाले था। एक डाक से और दूसरा टेलीग्राम से आर्डर पहुंचा । दो दो महीने के अन्दर 6 बार ट्रांसफर हुये। जो प्रशासन एक डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल का ट्रान्सफर मेरिट और नीति के आधार पर नहीं कर सकता--4 एम० एल० ए० का दबाव पड़ा, ट्रांसफर कर दिया, 4 एम०एल० ए० ने उसे फिर रोकवा दिया--यह प्रशासन आज समाज कल्याण की बात कर रहा है। सरकार का पहला काम है कि अच्छा प्रशासन दे। यदि आप बेकारी और गरीबी नहीं दूर कर सकते तो कम से कम जो विनिमय बात हो सकती है कि आपका अच्छा प्रशासन हो। लेकिन जो सरकार एक डिप्टी इन्सपेक्टर का तबादला 6 बार बार करती और रोकती है, वह अच्छा प्रशासन क्या देगी।

दूसरा उदाहरण है एक पुलिस अधीक्षक का जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से किया। परन्तु उनका स्थानान्तरण 24 घंटे के अन्दर हुआ। उन्हें कहा गया कि 24 घंटे के अन्दर बदायूं जिला छोड़ दो। क्यों? कोई कारण नहीं है। साल के अन्त में आमतौर से ट्रांसफर होना चाहिये। परन्तु क्योंकि उस एस० पी० ने अमुक एम० एल० ए० की बात नहीं मानी इसलिये उसका 24 घंटे के अन्दर तबादला करा दिया गया। जहां छोटे से छोटे अधिकारी से शासन उसका कर्त्तव्य पालन नहीं करने देना चाहती है, यदि शासन के एम० एल० ए० के विचार के मुताबिक काम नहीं वे करते हैं, तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है, तो नतीजा वही होता है जैसा कि सदन म कहा जाता है कि आज नौकरशाही बढ़ रही है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। हमारे राजमंगल पाण्डेयजी कह रहे थे कि नौकरशाह से निपटने के लिये सभी दलों का सहयोग चाहिये। प्रदेश की सभी पार्टियां मिलकर इस नौकरशाही से लड़ें। तो हम कैसे लड़ें ? क्या हम लाठी चलायें ? उनसे लड़ सकते हैं अच्छी सरकार के अच्छ निश्चय और अच्छ संकल्प द्वारा मगर जब हमारा निश्चय अच्छा नहीं है, हमारा संकल्प ईमानदारी लाने का नहीं है, तो आप नौकरशाही से कभी नहीं लड़ सकते हैं। सबसे पहली खामी इस कमलापति की सरकार में यह है कि इसमें नौकरशाही बढ़ रही है और जन प्रतिनिधियों के ऊपर हावी हो रही है। इसका यह परिणाम है जिसे कि मैं मान्यवर आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों से हमारे अधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस सबके लिये दोषी सरकार है जिसकी अच्छी नियत नहीं है कि अच्छा काम हो। मैं कह देना चाहता हूं कि अगले जबसे यह सरकार शासन में आई, चाहे उसकी संख्या भले बढ़ी हो, लेकिन उसका प्रशासन भ्रष्ट होता गया है। जब से वह सरकार आई है, भ्रष्टाचार, सिफारिशवाद और नाना प्रकार की अनियमिततायें पहले से कहीं अधिक बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं। यह सबसे पहली निकृष्ट बेईमान और भ्रष्ट सरकार है जिसके अन्दर ये सब बातें भयंकर रूप से बढ़ रही हैं।

अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में ईमानदारी आये तो उसके लिये आपको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। इसके लिय आवश्यक है कि लोकपाल या लोक आयुक्त जैसे

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

व्यक्ति की नियुक्ति की जाय या उच्च स्तरीय कमीशन बिठाया जाय जो सत्ता में उच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों के बारे में भी जांच कर सके ।

दूसरी समस्या बेकारी की है। राज्यपाल महोदय के इतने बड़े अभिभाषण में कहीं कोई चीज ऐसी नहीं देखने को मिली कि जिसके द्वारा शहरों और देहात की बेकारी दूर करने की कोई योजना रखी गई हो। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आदमी का मौलिक अधिकार है काम। काम का मिलना उसका मौलिक अधिकार होना चाहिये। काम मिलने की गारेन्टी संविधान में होना चाहिये। जिस प्रकार राइट टु वोट है उसी प्रकार राईट टु वर्क होना चाहिये। अगर सरकार काम न दे सके तो बेकारी भत्ता बेकार लोगों को मिलना चाहिये। सरकार ने एक त्वरित योजना बेकारी दूर करने के लिये बनाई है। मगर उसमें जो धन रखा है उससे कितन लोगों को रोजगार मिलगा? फिर जो धन रखा गया है उसका 80 फीसदी पैसा तो वेतन में जायेगा और 20 फीसदी मैटीरियल में जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत आपने सड़क बनाने का कार्य लिया है। आज देखने में यह आ रहा है कि 50–60 फीसदी पैसा मैटीरियल में और केवल 50 फीसदी पैसा वेतन में जा रहा है। हमारे यहां जिले में साढ़े 12 लाख रुपया दिया है जिसमें से 6 लाख मैटीरियल में चला जायगा 6 लाख में आप लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इस योजना में आप चाह लंगे को ही रोजगार दे सकेंगे और वह भी अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से बेकारी की समस्या को हल करने के लिये यह जरूरी है कि गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाये जायं। छोटे साधन और छोटे पूंजी वाल उद्योग जब लगाये जायेंगे तभी बेरोजगारी की समस्या को आप हल कर पायेंगे। जब तक कुटीर उद्योगों का आप जाल नहीं बिछायेंगे आप बेकार हाथ को काम नहीं दें पायेंगे। जिस प्रकार से पंजाब और जापान में इनका जाल बिछा है, उसी प्रकार से आपको भी इन कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहिये। भारतीय जनसंघ शुरू से ही इसकी मांग करता आ रहा है। परन्तु सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर लोगों को उद्योगों के बारे में परामर्श देने के लिये उद्योग विभाग में एक टेक्नीकल विभाग है, मगर वह लोगों की सहायता नहीं कर रहा है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश म 37 जिले औद्योगीकरण के लिये छांटे गये थे। केन्द्र से इन 37 जिलों के लिये कोई योजना भेजने के लिये कहा गया था। मगर यह उद्योग विभाग उन 37 जिलों के लिय कोई योजना तक नहीं भज सका। इनके पास उनके लिये कोई योजना तक नहीं है। हमन 200 सार्वजनिक क्षत्र में और 60 सहकारी क्षेत्र में उद्योगों के प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को भेजे हैं उद्योग विभाग द्वारा। किन्तु उसमें जो आवश्यक जानकारी है वह आजतक सरकार न नहीं भेजी है। इस प्रकार से इस तरह की उपेक्षापूर्ण नीति से उद्योग विभाग प्रदेश के पिछड़पन को दूर करन में सहयोग देने के बजाय उसमें बाधा पहुंचा रहा है।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, गरीबी फैली हुई है और एकमात्र इसका उत्तरदायित्व यदि किसी पर है तो वह कांग्रेस पर है। 1947 से 67 तक लगातार आपका एक क्षत्र राज्य रहा है। प्रदेश में और दिल्ली में भी आपका शासन रहा है और आज भी वही स्थिति है। किन्तु उत्तर प्रदेश की केन्द्र द्वारा सदैव उपेक्षा ही हुई है। उत्तर प्रदेश की जन संख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जो सहायता, अनुदान, फंडस केन्द्र से मिलने चाहिये थे, वे उसे आज तक कभी नहीं मिले हैं। एक स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बना था, उसके अध्यक्ष श्री पणिकर साहब थे और जब उन्होंने सबसे पहले संकेत किया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। लेकिन तब से हम आजतक एक दूसरे पर दोषारोपण ही करते आये हैं और उत्तर प्रदेश को उसका उचित भाग नहीं दिला सके हैं। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार के मन्त्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल न हमारी सरकार पर यह आरोप

लगाया है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जितना रुपया प्रदेश सरकार को दिया गया उसका दो तिहाई हिस्सा भी हम इन योजनाओं में खर्च नहीं कर सके हैं। आज यही कारण है कि इस कांग्रेस के कारण उत्तर प्रदेश डिछड़ा हुआ है और गरीब है। सारे भारत में 37 जिले पिछड़े हुए और उनमें से 28 जिले अपने ही प्रदेश में हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश को उचित अनुदान और बड़े-बड़े उद्योग मिलने ही चाहिए। यह सरकार केन्द्र से उचित अनुदान और बड़े-बड़े उद्योग स्थापनार्थ मांग करे। उससे आग्रह करे—अपना अधिकार समझकर, भीख समझकर नहीं और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से लड़ने के लिए सारे दल इस कार्य में सरकार को सहयोग देंगे। लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। किसानों में हरित क्रांति आई है । लेकिन जो सरकार बन्दोबस्त के नाम पर, भूमि विकास के नाम पर उनका लगान बढ़ने जा रहा है, पब्लिसिटी आदि पर कर लगाया है, इससे इस आन्दोलन को हानि पहुंचेगी। किसानों के उपयोग की चीजें महंगी हो रही हैं और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुयें सस्ती हो रही हैं। बिजली आदि महंगी है, किन्तु बिड़ला को यह सस्ती मिल सकती है। इससे प्रदेश का पिछड़ापन और गरीबी दूर नहीं होगी। उसको जबतक सिंचाई और बिजली सस्ते दामों पर आप नहीं देंगे, तबतक हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा ।

अब मैं कुछ निवेदन अपने जिले के बारे में भी कर देना चाहूंगा । हमारा जिला—बदायूं शिक्षा, सड़क और उद्योगों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 54 वें नम्बर पर आता है। आज जो तालिका उत्तर प्रदेश सरकार की निकली है, शिक्षा की दृष्टि से, सड़कों और उद्योगों की दृष्टि से यदि हम बदायूं को देखें तो पायेंगे कि वह 54वें नम्बर पर आता है । मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, वहां की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां किसी अच्छे और बड़े उद्योग की स्थापना की जाय। हमारे आसपास कासगंज और चन्दौसी में हमने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की योजना लागू की है, लेकिन जो उन दोनों की तुलना में एक बड़ा शहर है वहां पर इस परिषद् की योजना को शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि परिषद् की जो योजना है उसमें हमारे जिले बदायूं को भी शामिल किया जाय और उसको जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जो उसका उचित भाग है, उसे मिलना चाहिए। बड़े-बड़े उद्योग खोले जायं, जो वहां की गरीबी, भुखमरी और बेकारी को दूर कर सकें ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . .

श्री जगदम्बा प्रसाद—

उस लिस्ट में मेरा नाम भी था।

श्री उपाध्यक्ष—

आठवें नम्बर पर आप का था।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

नम्बर लगाने में किसी को आठवें पर डाल दिया, किसी को दसवें पर डाल दिया।

श्री इन्द्रलाल—

आज सदन में जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और जिस क्षेत्र से मैं आया उस क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय ने जहां पर प्रदेश के प्रत्येक कोन-कोन से, वहां की समस्याओं की ओर संकेत किया है, जिनके हल के लिय और इस प्रदेश के उत्थान के लिए संकेत किया है, उसके

[श्री इन्द्रलाल]

लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, किन्तु आज भी प्रदेश के अन्दर अनेकों समस्यायें ऐसी हैं, जिस प्रगतिशील समाजवाद की आस्था को लेकर हमें यह आशा थी कि सचमुच उन पिछड़े हुये क्षेत्रों और पिछड़े लोगों का प्रगतिशील समाजवाद की नीति के अनुसार सुधार होगा, परन्तु उनमें अब भी बहुत कुछ कमियां पाई गई हैं। यों तो पर्वतीय क्षेत्र में आलू और फल उत्पादकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए वहां पर कोल्ड स्टोरेज और निगम के द्वारा कुछ हल निकालने को कहा गया है। लेकिन कोई निगम बन रहा है, या कोई योजना बन रही है, साल भर के अध्याय में जो समाजवादी शासन की व्यवस्था है, इस प्रदेश में, उससे पर्वतीय क्षेत्र की कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। पर्वतीय क्षेत्र के लाखों फल उत्पादक और आलू उत्पादक हैं। रोडवेज की बसों की कमी के कारण, जो वहां पर यातायात के साधन है, उनकी इतनी कमी है कि लाखों रुपये का माल उनका सड़ कर बरबाद हो गया है। इस बात पर आश्चर्य होता है कि जहां हमारी सरकारी ने योजनाएं बनाई हैं तो मैं समझ नहीं पाया कि परिवहन विभाग इन मामलों में क्यों चुप्पी साधे रहता है जब कि फल और आलू जैसे उत्पादन पर वहां के लोगों का जीवन निर्वाह निर्भर करता है। अगर उनको समय पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा न हो तो कैसे वहां के जन जीवन में सुधार हो सकेगा? जब से पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना हुई है, पर्वतीय विकास परिषद् का लेखा-जोखा केवल सफेद कागज के पन्ने रंगने में रहा है। जनता को विशेष लाभ नहीं हो पाया है। यों तो विकास परिषद् में बिजली के विस्तार के लिये, वहां की शिक्षा और चिकित्सा के उत्पादन के लिए अनेकों योजनायें रखी गयीं हैं लेकिन योजनायें या तो यह कहिए कि इसके जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी जो हैं उनकी शिथिलता का यह परिणाम है या यह कहा जाय कि प्रदेशीय सरकार की कुछ ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं जो इस ओर उन्होंने विशेष ध्यान न दिया हो। अभी हाल में बेरोजगारी को मिटाने के लिए समाजवादी नीतियों के अन्तर्गत शासन ने जो परियोजनायें चलायी हैं, उनके अन्तर्गत आज जिस उत्साह से कार्य हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अकर्मण्य विभाग हैं जिनमें खास कर वन तथा पी० डब्ल्यु० डी० द्वारा बड़ी लापरवाही तथा शिथिलता बरती जाती है। अगर सचमुच सरकार समाजवादी नीतियों को चलाना चाहती है तो जहां उसने बेरोजगारी को दूर करने की स्कीम को टाप प्रायरिटी पर आवाहन किया है वहां यह भी देखना होगा कि वन विभाग अथवा कोई विभाग मनमाने ढंग से काम कर रहा है उसके विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्यवाही भी करनी होगी, ताकि ऐसे महान कार्य में कोई गफलत अथवा बाधा उत्पन्न न हो।

जहां तक अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की उन्नति का प्रश्न है अभिभाषण में उस तरफ भी संकेत किया गया है और उसके लिये सरकार ने कई योजनायें बनाई हैं। लेकिन अगर हम बारीकी से उस पर विचार करते हैं तो जिस दफ्तार से उनके उत्थान के लिये कार्य किया जा रहा है उसमें कई वर्ष लग जायेंगे। उसके लिये असली जामा इस सरकार को अपनी योजनाओं को कार्यवन्वित करने हेतु पहनाना चाहिये।

जहां तक धर्म निरपेक्षता की बात है साम्प्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के लिये सरकार ने यह नारा दिया है। लेकिन साम्प्रदायिक भावनायें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं और स्थानीय माहौल कुमायूं में, कम से कम नैनीताल जिले में यह कहने में मुझे संकोच नहीं होगा, बहुत तनावपूर्ण रहता है, शान्ति व्यवस्था नाम की वहां कोई चीज नहीं रह गयी है। बड़े संगीन जुर्म वहां हो रहे हैं। यह सब शासन की शिथिलता के कारण ही है। आज जो माननीय सदस्य, मन्त्रियों को आदेश करते हैं उनकी कोई कम्पलायन्स नहीं होती है, यह शासन की कमजोरी का परिचायक ही है। समाजवादी व्यवस्था कायम रखने के लिये यह देखना होगा कि जनहित में जो आदेश होते हैं उनका अविलम्ब पालन हो।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में, श्वेत क्रांति की बात है पशुपालकों के लिये वहां गम्भीर समस्यायें बनी हुई हैं। जो नियम वहां जंगलात विभाग के ब्रिटिश शासन काल से बने हैं वह आज वन विभाग की धांधली से नहीं हैं और दुग्ध उत्पादकों के प्रति वन विभाग अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है और वह व्यवहार किसी भी जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में मानव जाति के लिये सह्य नहीं होगा। कई वर्ष पूर्व पर्वतीय क्षेत्र के लिये वन तथ्य निरूपण समिति की स्थापना हुई थी, उसने अपनी संस्तुति भी शासन को दी थी और उस पर शासन के आदेश भी हो गये थे लेकिन उस का पालन नहीं हुआ और आज भी दुग्ध उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। कई निगम बन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि दुग्ध उत्पादकों के लिए भी एक निगम बना दिया जाय या जांच कमेटी बैठा दी जाय। पशुपालन विभाग में लाखों रुपये का बजट रखा जाता है और राज्यपाल महोदय ने अपन अभिभाषण में घोषणा की है कि प्रदेश में वह हरित क्रांति लाना चाहते हैं तो फिर पर्वतीय क्षेत्र के गोठ खत्ते वालों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों होता है ?

मान्यवर, जहांतक पिछड़े लोगों, भूतपूर्व सैनिकों, हरिजनों और दूसरे भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न है उनके संबंध में कहा यह जाता है कि हम सीलिंग में जमीन ले रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि ग्राम समाज के अन्तर्गत जो ऊसर बंजर भूमि होगी, वह उन भूमिहीनों को दे दी जायेगी, किन्तु देखने को यह मिला है कि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां आज भी इस सरकार से वहां की पीड़ित जनता भारी आशा लगाये हुये है किन्तु उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। जो जनप्रतिनिधि जिला स्तर पर और इस सरकार पर सुझाव पहुंचाते रहते हैं उनको भी कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे एक माननीय मित्र ने बताया कि ग्राम स्तर पर जो लेखपाल, पटवारी या दूसरे रेवेन्यू के कर्मचारी वहां पर हैं वे इस प्रकार भूमि के बंटवारे की पत्रावली तैयार करते हैं कि जिससे सम्पन्न व्यक्ति को ही भूमि मिले और पिछड़े हुये लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस जनप्रिय और लोकप्रिय सरकार से कि वह तुरन्त एक ऐसी कमेटी का निर्माण करे और यह आदेश दे कि इस कार्य के लिये एक आयोग का गठन होना चाहिये ताकि जो सचमुच बाधायें वहां पर उत्पन्न हो रही हैं और रेवेन्यू के कर्मचारियों के रिकार्ड की गल्ती से जो परिणाम हो रहे हैं उसकी जांच की जा सके। साथ ही गरीब, भूमिहीन, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को भूमि दी जाय। आज भी हमारे कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी लोग हैं जो कि नाजायज तरीके से भूमि हथियाये हुये हैं। यदि कुछ अन्डरग्राउन्ड तरीके से उनके ऊपर निगरानी रखकर मामले की छानबीन की जायेगी तो किसी सीमा तक काफी भूमिहीनों का भला हो सकता है। सरकार का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि भूमिहीनों को भूमि दी जाय।

जहांतक उद्योगों का प्रश्न है इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन पर्वतीय और तराई भावर के इलाके में छोटे-छोटे उद्योग चलाये जायं तो वहां के काफी लोगों को रोजगार मिल जायेगा। इस पर्वतीय क्षेत्र के लिये और इसके विकास के लिये सरकार प्रयत्नशील तो है ही किन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज लाखों और करोड़ों रुपये का रा-मैटीरियल इस हिमालय की तलहटी से मिल-मालिकों के पास पहुंच रहा है, वहीं पर कई किस्म के उद्योगों की स्थापना की जा सकती है जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या हल होने के साथ-साथ वहां के लोगों में प्रोत्साहन भी पैदा होगा।

जहांतक चिकित्सा का प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र के कम से कम जितने भी स्थान हैं वहां के लोग आज भी चिल्लाते रहते हैं किन्तु उनके साथ इस सरकार की इस मामले में ऐसी ही व्यवस्था रही है। मैं समझता हूं कि बारबार सुझाव देने पर भी इस ओर दृष्टि नहीं डाली गई है जो कि सरकार का परम कर्त्तव्य है कि इन योजनाओं में करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है किन्तु फिर भी अभी वहां पर 8 मील के अन्दर अस्पतालों का प्रबन्ध नहीं हुआ है।

[श्री इन्द्रलाल]

आज हमारे देश और प्रदेश के अन्दर हर साल विद्यार्थी डाक्टरी पास करके निकल रहे हैं, किन्तु अभी भी किन्हीं अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। उनकी नियुक्ति की एक विषम परिस्थिति हो जाती है। मैं अपने एक बेलपड़ाव नामक स्थान के बाबत आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां के संबंध में एस०वी०डी० के माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि वहां के लिये एक डाक्टर भेज दिया है किन्तु बड़े दुख की बात है कि आज दो-ढाई साल का समय हो गया है वहां पर अभीतक किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है और मुख्य मंत्री जी का आदेश कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ है । पर्वतीय विकास परिषद की कार्यकारिणी की एक बैठक में यह तय किया गया था कि जिन-जिन स्थानों पर अस्पताल खोले जायेंगे उन-उन स्थानों पर डाक्टर भेज दिये जायेंगे । आवश्यकता इस बात की है कि यदि यह सरकार कागजी कार्यवाही करने के बजाय वास्तविक रूप से कार्यवाही करे तो उससे जनता को राहत मिल जायेगी वरना कोई राहत नहीं मिल पायेगी । हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पी०डब्लु०डी० विभागों ने भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस डिपार्टमेंट को भी डिफीट दे दी है । ऐसी योजनाओं के लिये रुपया दिया जाना चाहिये जो कि कामयाब भी हो जावें अन्यथा योजना बनाने से कोई लाभ नहीं ह ।

मान्यवर, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर हमें सचमुच में समाजवाद की व्यवस्था कायम करनी है तो हमको यह देखना होगा कि जो आज असामाजिक तत्वों की बन आयी है और नागरिक जन-जीवन जो आज खतरे में है, जो अराजकता पैदा हो रही है, जिन क्षेत्रों में इस किस्म का गलत माहौल बन रहा है उनको देखने की आवश्यकता है और हम सही रूप में तभी भलाई कर सकते हैं जब यह सरकार उन तत्वों के विरुद्ध कुछ सख्ती से काम ले । इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव धन्यबाद का आया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, श्री रियासत हुसैन जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में गवर्नर साहब के भाषण पर पेश किया है उसपर जो अमेंडमेंट हुए हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्यपाल ने अपने भाषण के अन्दर जो डिक्टेशंस उनको मिले उसमें समाजवाद की रूपरेखा जिस अन्दाज से बयान की है उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है । मान्यवर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसी हालत हो गयी है कि अब से एक साल पहले जिस वक्त कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने जा रहे थे तो उस वक्त एक ऐसी हवा पैदा की गयी कि हरिजन अपने घर में बैठा सोचता है कि अब तू दरांती बनवा ले । "दरांती हमारी लैंगुएज में उसको कहते हैं जिससे गेहूं काटते हैं । उसको आशा लगी रही कि मैं फसल भी काट लूंगा । यही नहीं, हर एक रिक्शा वाला प्रधान मंत्री का नारा लगाते हुए महसूस करता था कि मुझे बैंकों के नैशनलाइजेशन के बाद कर्जा मिल जायगा और मैं अपने को सेटिल कर लूंगा और यह रिक्शा मोटर की शक्ल बना लेगा । जहां तक देहली का नक्शा खास तौर से हमने देखा है वहां ऐसी फिजा बन गयी थी कि हर बेरोजगार को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री बन जाने के बाद दफ्तरों में नौकरियां मिल जायेंगी, ऐसा हर बेरोजगार का मत बन गया था । लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिनका सहारा वह लिये हुये है, वह तमाम ताकतें उनके हाथ में हैं जिन्होंने पिछले 23 साल से हिन्दुस्तान की जनता को लूटा खसोटा है, अपनी खुद की पूंजी को बढ़ाया है । मैं एक शेर कहना चाहता हूं । उसमें एक लफ्ज आया है "जुल देना" । "जुल देने" के माने यह है कि किसी की आंख में धूल झोंकना और "साहरी" माने "जगलरी ।" तो वह शेर है—

"जुल दे गयी हमें भी सियासत की साहरी,
रहबर समझ के हो लिये हम राहजन के साथ ।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ठीक इसी तरह से देश का अवाम श्रीमती इंदिरा गांधी के इस नारे के पीछे लगकर खड़ा हो गया और हमें नजर आने लगा कि यह आशायें हमारी बहुत जरूरी जल्दी पूरी होने वाली हैं । लेकिन वह लोग जो समाजवाद का ढोल पीट रहे हैं और समाजवाद के मैनिफेस्टो की दुहाई दे रहे हैं जरा अपने दिल को टटोल कर देखें कि उन्होंने किस तरह से लोगों को गुमराह किया है और उनसे वोट हासिल करने के बाद आज उनको गफलत में डाले हुए हैं और यह पता नहीं दे रहे हैं कि यह कागज की नाव कबतक चलती रहेगी, आखिर को उसको डूब जाना है । आज हालत यह है कि हरिजन लोग कितने हैं जिनको जमीन दी गयी है । जितनी जमीनें थी वह सारी की सारी उन्हीं लोगों के पास हैं जिन लोनों ने अब से डेढ़ साल पहल जब 30 एकड़ की सीलिंग एक्स-मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने की थी तो उस वक्त उधर के और इधर के लोगों ने जो उन बेंचों पर आज बैठे हैं वोट आन अकाउन्ट के वक्त चरण सिंह जी से जाकर कहा था कि हम आपकी गवर्नमेंट को आज ही गिरा देंगे । आज तुम उम्मीद करते हो कि ये सीलिंग कर देंगे और सीलिंग कर भी दी तो लैन्ड हासिल कर लेंगें और लैंड हासिल कर भी ली तो गरीबों को दे देंगे ? मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कि यह भी एक भ्रम है जो ये पैदा करना चाहते हैं ।

आज अनएम्पलायमेंट की क्या हालत है ? आज किस तरह तालीमयाफ्ता और ग्रेजुएट फिरते हैं । आज उसकी कीमत सौ रुपये की भी नहीं है जबकि किसी मजदूर की कीमत डेढ सौ रुपया है । तो किस तरह से बेरोजगारी इन हालात में दूर कर सकते हैं ?

मान्यवर, इस प्रकार इन लोगों ने जहां ये काश्तकार की भलाई का ढिंढोरा पीट रहे हैं, समाजवाद का ढिंढोरा पीट रहे हैं वहां हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं । वे कहते हैं कि हम काश्तकार की भलाई चाहते हैं, उसके लिये पानी का, खाद का तथा अच्छे बीज का इंतजाम करना चाहते हैं और उसकी तरक्की करना चाहते हैं । लेकिन दूसरे माने में काश्तकार इन सरकारी नुमायंदों को बिल्कुल नहीं भाते हैं । दिल्ली में आप चर्चा नहीं सुनते हैं । वह यह कि अब सिर्फ काश्तकार के पास दौलत है, उसकी बड़ी भारी आमदनी है, बड़े-बड़े फार्म वालों ने जिनके पास ब्लैक मारकेट का रुपया था उसको धवल मारकेट का बना लिया है । उन्होंने अपनी आमदनी को बढाकर उसका रिटर्न नहीं किया है । उनमें सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े-बड़े फिल्मी ऐक्टर्स हैं, जिनकी लाखों की आमदनी हैं, वे एग्रीकल्चरिस्टस बन रहे हैं । उन्होंन काल धन को धवल धन दिखाया है । समाजवादी सरकार के कार्यकर्ता सोचे बैठे हैं कि काश्तकार को एक हजार बीघे की आमदनी होती है । इसलिये उस पर टैक्स लगना चाहिये ।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि इस समाजवादी सरकार ने काश्तकारों के ऊपर 10 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया है और फिर भी कहते हैं कि हम उनकी भलाई करेंगे । एक तरफ कहते हैं कि हमने मिनीमम गारंटी हटा दी है। लेकिन इसी तरह से कि पुरानी शराब को नई बोतल में रख दिया है । अगर कोई आदमी ज्यादा पैदा देता था तो ज्यादा से ज्यादा पानी लेने की कोशिश करता था । तीन रुपये सरचार्ज लगा दिया गया है । 17 पैसे के स्थान पर 20 पसे कर दिया है । इसके अलावा जो लाइन खींची जाती थी कनेक्शन लेने के लिये तो 80 मीटर की लाइन परी मिलती थी उसको 60-60 मीटर कर दिया गया है । यह समाजवादी सरकार का करिश्मा है और काश्तकार को बताया जा रहा है कि हम तुम्हारी तरक्की करेंगे ।

पंपिंग सेट्स पर टैक्स लगाने के क्या मानी हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम तुम्हारी तरक्की करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिन चीजों का उपयोग वह उत्पादन बढ़ाने के लिये काम में आता है उनको महंगा करते जा रहे हैं । आप सेंट्रल बजट में देखिये कि फर्टिलाइजर्स पर कितना दाम बढ़ा दिया है । अगर फर्टिलाइजर नहीं डालता है तो कम उत्पादन होता है और अगर फर्टिलाइजर डालता है तो उसका बोझा छोट काश्तकार पर

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

पड़ता है । बड़े काश्तकार के पास तो बहुत बड़ी जमीन होती है । वह 100 बीघे में हरी खाद पैदा कर सकता है । लेकिन जिसके पास 10–5 बीघे जमीन है वह कैसे अपनी जमीन खाली छोड़ सकता है । इसलिये फर्टिलाइजर का बोझा छोटे काश्तकार के ऊपर ही पड़ेगा । हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने बड़े काश्तकारों को भी ले लिया है । लेकिन दरअसल यह सब छोटे काश्तकारों की कमर तोड़ने के लिये हैं । यह कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं । काश्तकार के पास चार चीजें हैं जिनसे वह उत्पादन बढ़ाता है और उत्पादन बढ़ाकर देश की इकोनोमी को ठीक करता है । काश्तकार की अगर खुशहाल हालत होती है तो देश भी खुशहाल होता है । उसके पास खाद, सिंचाई और ट्रैक्टर्स के साधन हैं और इसके अलावा जमीन है । आप देख लीजिये कि श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने पिछला इलेक्शन जीत लेने के बाद अगर किसी को हिट किया है तो वह काश्तकार है । ट्रैक्टर की कीमत पहले 6 हजार बढ़ गई, इसके बाद दो हजार और बढ़ाकर पूंजीपतियों को एक ट्रैक्टर पर दस हजार का मुनाफा करा दिया और दो करोड़ का चन्दा इलेक्शन में ले लिया । यह है काश्तकार को फायदा पहुंचाने का इनका तरीका । पंपिंग सेट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है । सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में यह आ गया है । खाद पर टैक्स लगा दिया गया है । पानी का रेट बढ़ा दिया गया है । बिजली मंहगी कर दी गयी है । यही तमाम चीजें हैं जो उसकी खेती में काम आती हैं । इनको महंगा कर दिया गया है । और आखिर में उसके ताबूत में एक और कील गाड़ दी गयी है कि उसकी जमीन पर जो लगान छोड़ दिया गया था उस पर डेवलपमेंट टैक्स लगाया जा रहा है । और एक और कमर तोड़ टैक्स है ऐग्रीकल्चरल इंन्कमटैक्स । क्योंकि इनके यहां बड़े-बड़े सरमायेदारों के सबमिट किये हुये रिटर्न मौजूद है उनकी बेसिस पर ये 6 हजार, 5 हजार रुपया प्रति एकड़ की बचत के हिसाब से टैक्स लगायेंगे । इन लोगों को तो पता नहीं है क्योंकि ये तो दिल्ली और लखनऊ के दफ्तरों में बैठे हैं, जिन लोगों ने कभी काश्तकारी देखी नहीं, जिन लोगों ने धूप नहीं देखी, पाला नहीं देखा, ओला नहीं देखा, जिनके बाल बच्चे इंगलैन्ड में कन्वेंट में पढे हैं वे काश्तकारी के बारे में राय कायम करें और फिल्म ऐक्टरों के द्वारा सबमिट किये हुये रिटर्नों के बेसिस पर टैक्स लगायें यह कहांतक मुनासिब है ? लेकिन एक पुरानी मसल है कि अन्धी पीस रही है और कुत्ता चाट रहा है । इसी तरह से यह समाजवादी सरकार सब को नोच-खसोट रही है और कहती है कि यह मजदूरों के लिये है ।

रहा मजदूर का सवाल, तो मजदूर के लिये तो कोई गुंजायश नहीं है । नेगी जी हंस रहे हैं, लेकिन मजदूर के लिये आप अपने पहाड़ में रोते हैं, पूर्व में रोते हैं, जहां 8–8और 10–10 आने एक मजदूर को मजदूरी देने पर एहतिजात करते हैं । इनमें बहुत से राजा है, ताल्लुकेदार हैं, पूंजीपति हैं । यहां भी है, वहां भी है । इनको क्या निस्बत है किसी मजदूर की हमदर्दी से । अगर ये अपने दिल को टटोल कर देखें तो इनको खुद शर्म आती होगी कि हम क्या कर रहे हैं । लेकिन इनको एक लालसा है जिसकी वजह से ये ऐसा करने पर मजबूर हैं वरना इनकी तबियत इसको गवारा नहीं करती । यह नक्शा तो समाजवादी बजट, समाजवादी वक्तव्य और समाजवादी सरकार का है । एक इससे ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है । जो काश्तकार के नुमाइन्दे उस तरफ बैठे हुये हैं मैं उनको आपके द्वारा ऐड्रेस करना चाहता हूं कि वे अपने मनों को टटोलें । दिल्ली की सरकार एक टैक्स काश्तकारों पर और प्रोपोज करने जा रही है और अगर वह टैक्स आ गया तो जो छोटे काश्तकारों के नुमाइन्दे हैं उनके लिये एक मुसीबत पैदा हो जायगी । वह है वेल्थ टैक्स । उस वेल्थ टैक्स का असेसमेंट कौन करेगा, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से उसको तजवीज कर दिया जायगा और जब वह सरकारी अफसरों के सामने आयेगा तो उनकी वह दुर्दशा होगी जो आज इंन्कमटैक्स देने वाले दूसरे लोगों की होती है । लेकिन वह लोग तो इतने होशियार हैं कि दो खाते रख कर अपनी जान बचा लेते हैं लेकिन काश्तकार तो यह भी हिसाब न रख सकगा कि उसका कितना खर्च हुआ, कितनी

मेहनत लगी । आखिर वह लोग लूट लिये जायेंगे उन असेस करने वाली अथारिटीज के द्वारा । उस वक्त ये इंकार नहीं कर सकते । इनमें यह जुर्रत नहीं है कि यह कहें कि हम टैक्स को नहीं लगने देंगे । ये मजबूरी में "हां" करेंगे अपने स्वार्थ के लिये ।

आप गांधी जी की दुहाई देते हैं और उनके अनुसार काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करते हैं । लेकिन जरा यह देखिये कि किस तरह से थूक करके चाटना ये लोग जानते हैं । पिछले दिनों इन्होंने यह ऐलान किया था कि जो छोटी इंडस्ट्रीज गांवों में लगेंगी उनको सेल्स टैक्स से दो साल तक माफी देंगे ताकि वह डेवलप हो सकें । लेकिन इन्होंने यह भी वापस ले लिया । लखनऊ में 16 केसेज ऐसे पड़े हुये हैं जिनमें से एक टायर रबर इंडस्ट्री, मुजफ्फरनगर की है । उन्होंने छोटी इंडस्ट्री लगा ली लेकिन ये उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सुविधा देने की कोई बात नहीं है ।

मान्यवर, मुझे दूसरों के मुकाबले में आधा ही टाइम दिया गया । जब आपका आदेश ही हो गया तो मैं उसको मानता हूं । अगर उन्हीं हालात की रफ्तार में बहते रहे और प्रदेश के साथ हमारा यही सलूक रहा तो प्रदेश की हालत बहुत खराब हो जायगी । आज हालत यह हो रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को भी कहने की जुर्रत नहीं होती सिवाय इन्दुलाल जी ने थोड़ा सा कहा । कोई भी कदम भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं उठाया जा रहा है । भला उस के खिलाफ आप कहेंगे कैसे, जब आप स्वयं ही भ्रष्टाचार कराते हैं । खुद उसके हिस्सेदार बनते हैं । इस तरह से भला इस प्रदेश का किस तरह से भला होगा? इन बातों के साथ मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मेरा ध्यान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जाता है और धन्यवाद के प्रस्ताव पर जाता है तो मैं सोचता हूं कि अभिभाषण बहुत ही अच्छा है उस पर धन्यवाद देना ही चाहिये ।

लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे इस बात के कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल उच्छृंखलता और उद्दंडता बहुत फैली हुई है । शिक्षा के बारे में बहुत विचार हो चुका है लेकिन इस बारे में कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया । ऐसा कोई पग भी नहीं उठाया गया है जिससे यह समझा जाय कि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली लार्ड मैकाले के जमाने से चली आ रही है, जो वर्तमान काल के लिये उपयुक्त नहीं है । इस पर पहले भी विचार हुआ और यह पाया गया कि यह शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने दासता के लिये बनायी थी । इसका विरोध किया गया लेकिन फिर भी उसको बदला नहीं गया । श्रीमान् जी, आप तो स्वयं ही विद्वान हैं और इस क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्दंडता और स्वच्छंदता बढ़ रही है, उसको दूर करने की जरूरत है । इसके सुधार के लिये योजनायें बनती हैं, आयोग स्थापित होते हैं, विचार होता है लेकिन जो सिफारिश होती है उस पर अमल नहीं होता । धार्मिक शिक्षा के लिये ग्रंथ पढायें जाने चाहिये । वह साम्प्रदायिक नहीं होगा लेकिन उससे बच्चों के चरित्र ठीक होंगे । उन को महापुरुषों के जीवन चरित्रों को विशेष रूप से समझाया जाना चाहिये । हमारे स्कूल कालेजों में सर्वत्र शिक्षा की प्रणाली में सुधार होना चाहिये और साथ ही साथ इस बात का विशेष ख्याल रखा जाय कि जो सुधार किया जाय वह ठोस हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा रणंजय सिंह]

आज चरित्रबल का जो ह्रास हो रहा है और जो गड़बड़ियां हो रही हैं वह तभी दूर हो सकती हैं जब शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय । आज तरह-तरह की घातक चीजें चल रही हैं । ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देने की आवश्यकता है और आज जो बहुत अश्लील और गन्दे चित्र दिखाये जाते हैं कुछ स्थानों पर और सिनेमा आदि में ऐसी-ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जिससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । अगर किसी धार्मिक पुरुष के जीवन पर सिनेमा चलता है तो उसमें भी शृंगार रस इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसका बहुत बुरा प्रभाव चरित्र पर पड़ता है । कुछ आधुनिक शिक्षा वाले यह चाहते हैं कि शृंगार की कोई सीमा ही न रखी जाय और अश्लीलता के संबंध में मैं क्या कहूं ऐसी बातें हो रही हैं कि जिनको कहा भी नहीं जा सकता । आज सिनेमा को देखकर नौजवानों के जो ठाटबाट हो रहे हैं उनसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । हम आज देखते हैं कि हमारे अध्यापक और विद्यार्थी ऐसी-ऐसी बातों में पकड़े जाते हैं जिनकी चर्चा यहां करते हुये भी हमें लज्जा आती है और हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है । इसलिये हम चाहते हैं और हमारा सरकार से अनुरोध है और विनम्र निवेदन है कि वह ऐसा कोई उपाय करे कि जिस से बच्चों के चरित्र के सुधार की ओर हमारा पग बढ़े । बाल्य अवस्था से ही ऐसा पाठ्यक्रम और शिक्षा-दीक्षा हो कि उनका चरित्र ऊपर उठता चला जाय । जहां भाषण आदि होते हैं या कवि सम्मेलन आदि होते हैं वहां पर भी हास्य रस की बात तो एक हद तक ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसी अश्लील भाषा प्रयुक्त की जाती है कि उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । जो प्रभाव पड़ रहा है 'प्रत्यक्षं किं प्रमाणं' जो है वह आपके सामने है । मैं स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य करता हूं और जो सेवा तन, मन, धन से हो सकती है वह मैं स्वयं करता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे हम मानव को मानव बना सकें, जिससे हम इंसान में इन्सानियत ला सकें तो वही हमारी सफलता और सुधार की दिशा में एक सुन्दर कदम होगा । पिछले दशकों में हमारे यहां बड़े-बड़े समाज सुधारक, आचार्य और विज्ञान के क्षेत्र में लोग उत्पन्न हुये लेकिन दुख की बात है कि आज अधिकतर ऐसे ही लोग निकल रहे हैं जो फैशन में ही रहते हैं और उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि ऐसा ठोस काम होना चाहिये जिससे सुधार शिक्षा में हो, चरित्र में हो ।

मेरा सुझाव है कि ऐसे कार्यक्रम बनाये जायं जिससे बच्चों में सादा जीवन की भावना आये जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्लेन लिविंग ऐन्ड हाई थिंकिंग, उसके अनुसार सरल जीवन और उच्च विचार बने हमारे विद्यार्थियों के। भारतीय संस्कृति हमें बतलाती है कि हमारा जीवन सत्यं, शिवं, और सुन्दरम के समान है । अब अधिक समय न लगाकर इस बात के लिये सरकार को जल्दी करना चाहिये कि कालेजों में जो अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता बढ़ रही है वह समाप्त हो। मुझे दुख है कि इस विषय पर हमारे विश्वविद्यालयों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। आज भी लम्बी-लम्बी हड़तालें होती हैं और तरह-तरह के उपद्रव होते हैं, जो नकलें की जाती है और पढ़ाई में जितना ध्यान दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जाता, इन सब बातों का उपाय किया जाना चाहिये। और परीक्षा के समय छूरा निकाला जाता है जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है । मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि देहाती क्षेत्र में शिक्षा के सुधार का विशेष प्रबन्ध किया जाय क्योंकि देहात के लड़के शहर में आ जाते हैं और शहरों की बू उन्हें लग जाती है। वे वेश बनाकर उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को वे दिन प्रति दिन भूलते जा रहे हैं। भाषण देते हुए कहते ह कि भारत से प्रेम हो लेकिन ढंग में वे विदेशी हो जाते हैं और अंग्रेजी के गुलाम बने हैं। म समझता हूं कि श्रीमान जी ने बड़ी कृपया की मुझे अपने विचार रखने की आज्ञा दी लकिन मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करे और कोई सुन्दर सा उपाय निकालें जिससे शिक्षा

की पद्धति में हमारे प्रदेश में सुधार हो और हमारे बच्चे भारतीय हों और अच्छे नागरिक बनें। उनमें देश प्रेम ओत-प्रोत हो। आज आप चाहें जितना भी समाजवाद का ढिंढोरा पीटें कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये देश प्रेम से ओत-प्रोत नहीं होते हैं।

इन शब्दों के साथ में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

पूर्व इसके कि मैं माननीय तिवारी जी को बोलने की अनुमति दूं नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं लूं ।

माननीय राम गोपाल सन्ड जी ने जिला शिक्षा निदेशक द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को निकालने के बारे में जो प्रश्न किया है, इसके बारे में वे अल्प सूचित प्रश्न करें।

दूसरा माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का है जो बाबूपुखां क्षेत्र कानपुर के विजय बहादुर सिंह व रवीन्द्र तिवारी आदि के प्रति पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार से सम्बन्धित है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

एक माननीय लक्ष्मण स्वरूप व माननीय मोहन लाल कपूर का हापुड़ नगर में अक्सर बिजली बन्द रहने से कोल्ड स्टोरेज में करोड़ों रुपये के लागत का आलू खराब होने के बारे में है। इसके बारे में आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

यदि इसको आप उचित कार्यवाही के लिए भेज दें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

में तो चाहता था कि इस पर आपको सरकार का उत्तर मिल जाय लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

एक माननीय त्रिवेणी सहाय जी का गोंडा जिले के कृषि देय वसूली करने वाले कर्मचारियों को निकाले जाने के बारे में है। यह मैंने अस्वीकार कर दिया है।

माननीय डी० पी० बोरा और माननीय प्रियदर्शी जेतली का लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल के बारे में है, यह मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

एक माननीय कल्पनाथ सिंह जी का शाहजहांपुर के ग्राम बादपुर, थाना बन्डा के प्रधान द्वारा डकैती की मदद से हरिजनों पर अत्याचार एवं बेगार से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

एक माननीय कृष्ण सिंह जी और माननीय गोविन्द सिंह नेगी जी का जिला उत्तर काशी में श्री जीत सिंह पर ट्राफिक पुलिस द्वारा मारपीट के बारे में है। इस बारे में आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

माननीय चन्द्रभान शर्मा जी का खांडसारी के लिये प्रदेश निर्यात के लिये परमिट की व्यवस्था के अभाव से सम्बन्धित है। चूंकि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, इसलिये इसको स्वीकार करने में कठिनाई है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

एक माननीय शम्भूनाथ चौधरी का बलिया नगर के जल आपूर्ति व्यवस्था ठप होने से नागरिकों में असन्तोष के बारे में है। इसमें भी अल्पसूचित प्रश्न हो सकता है और वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं किया है। माननीय इन्द्रमणि बड़ोनी और माननीय हरीसिंह विष्ट ने जिला नैनीताल में अध्यापकों को वेतन न मिलना एवं अध्यापकों पर परिषद् द्वारा अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। यह भी अल्पसूचित प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाय। इस तरह से ये 11 सूचनायें हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, 60 कर्मचारियों को निकाला गया है ए० डी० ई० की आज्ञा से। इसमें पन्द्रह-पन्द्रह साल की सर्विस के लोग हैं। श्रीमन्, इसमें वक्तव्य से समस्या का हल हो जायेगा। सब ओवरएज हो गये हैं। साठ लोग अकारण निकाले जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं उस वक्तव्य के अन्तर्गत सवाल नहीं पूछूंगा। आप इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक और सूचना है। जो श्री सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय, महातम तिवारी और राम लखन सिंह ने उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० (आई०बी०) टेक्नीकल असोसियेशन के हड़ताल के सम्बन्ध में है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैंने जो सूचना दी है वह 19 सौ अध्यापकों का सवाल है। इनको सात महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। जो वेतन में वृद्धि हुई है वह भी नहीं मिली है। इन्होंने हड़ताल की धमकी दी है। यदि आप इसको 49 में दिला दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

49 में इसको दिला देंगे।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, आप मामूली से मामूली चीजों को वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं। मेरे सवाल में लाखों आदमी खंडसारी उद्योग से सम्बन्धित हैं। वे बिलकुल बेकार हो रहे हैं। मंडियां ठप्प हो गई हैं। सौ रुपया क्विंटल का फर्क है कीमत में।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सरकार का इस विषय से सम्बन्ध हो, तो आप चौधरी साहब को दिखा दीजिये। अगर इस सरकार के लायक यह सवाल है और इसका यह सरकार उपचार दे सकती है और केन्द्र से खंडसारी का जो प्रतिबन्ध है...

श्री चन्द्र भान शर्मा—

आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन स्वीकार कर लें।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। माननीय नेता दल तो नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कह रहा था कि जो मैं कह रहा हूं उससे वे भी सहमत होंगे कि यह केन्द्र का विषय है। सरकार को कहा भी जाय तो सरकार क्या जवाब देगी?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मुझे चेयरमैन की एक चिट्ठी प्राप्त हुई है उसमें शासन से अपेक्षा करते हुये यह लिखा है कि समस्या ज्यों की त्यों है। जनता में पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। पानी नहीं मिल रहा है। चेयरमैन मांग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

हमको सब दिखा दीजिये। फिर पानी के लिये बन्दोबस्त करना चाहिये यह वक्तव्य के लिये कैसे। अल्पसूचित प्रश्न कर लें इसके बारे में। पानी का सवाल है तो उसी दिन उसका जवाब दिलवा देंगे। अगर आप कहें तो इसको कार्यवाही के लिये भेज दें।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

श्रीमन्, 69 में 70 में भी इसकी चर्चा चलाई गई था। अब 72 आ गया है। सरकार तो पानी भी देने के लिये तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अविलम्बनीयता का अभाव है इसमें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिस नगरपालिका में पानी न मिले, 72 तक नहीं मिला, क्या स्थिति है ? समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वक्तव्य के लिये दिया जाय तो 10–15 रोज वक्तव्य में लग जायेंगे लेकिन अल्पसूचित प्रश्न अगर आप करेंगे तो जल्दी उत्तर मिल जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नियम 52 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी कि कानपुर में 13,000 मजदूरों की हड़ताल हो रही है। झगड़ा केवल इतना है कि खाडिलकर फार्मूला के हिसाब से उनको अधिक बोनस मिलना चाहिए, लेकिन मिल मालिक चालबाजी कर रहे हैं। वहां पी० ए० सी० तैनात हो चुकी है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे मिला नहीं है। देख लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, आज सुबह आपने जिस वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, उसमें आपका नाम भी जोड़ लीजिये। मान्यवर, सुबह आपने एक वायदा किया था मेरे औचित्य के प्रश्न पर। मुझे यह कहना है कि विधान सभा परिशर कहीं पर डिफाइन नहीं है। कुछ लोग हमारे पास विधायक निवास में लोग कुछ कहने के लिये आते हैं तो रोक लगा दी जाती है, इससे हमारे कर्त्तव्य को भी निभाने में रुकावट आती है। भूख हड़ताल पर कुछ लोग बैठे हुये हैं। उनको रातों रात पुलिस पकड़ कर ले गई। वह किस लिये यहां बैठे हैं ? इसलिये बैठे हैं ताकि वह अपनी बात हमसे कह सकें और हम उनकी बात कह सकें। यह जनता का न्यायालय है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपने जनता का न्यायालय बना दिया तो जो आपके अधिकार हैं और जो संरक्षण है उस पर आघात लगगा। आखिर किसी मर्यादा के अन्तर्गत विधान सभा का कार्य चलता है। आप सदस्य हैं वह सदस्य नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय, बहुत शार्प प्वाइंट है, आप उस पर विचार करें। कोई दोहाई करने आता है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपनी बात याचिका के द्वारा कहें, या माननीय सदस्य उनकी बात यहां कहें। लेकिन जो तीसरा रास्ता आप निकाल रहे हैं, तो उसके लिये नियम बनाने होंगे, संविधान में परिवर्तन करना होगा। अगर आपने इसको जनता की अदालत बना दिया तो आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि वह कहेंगे कि ऐसा कीजिये, ऐसा मत कीजिये। मुझे जनता की अदालत बनाने में कोई संकोच नहीं है, आप सोच लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने क्या फैसला दिया?

श्री उपाध्यक्ष—

फैसला कुछ नहीं है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय, नियम 51 के अन्तर्गत आपने वक्तव्य के लिये मंजूर किया था, उसमें आप शीघ्रता करवा दें क्योंकि न जाने तब तक कितने छात्र गिरफ्तार हो जायेंगे..

श्री उपाध्यक्ष—

उसको सम्बन्धित मन्त्री जी को भेज दिया गया है। जिस तरह से आपके अधिकार हैं, वैसे ही माननीय मन्त्री जी के अधिकार हैं, वह भी समय ले सकते हैं नियम के अनुसार।

श्री डी० पी० बोरा—

आप स्वयं सोच सकते हैं। 5 साल पढ़ने के बाद उन्हें न तो डिग्री मिलती है और न डिप्लोमा और वे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। अगर वह सत्याग्रह या भूख हड़ताल करते हैं तो वह अपनी कष्ट सहने की क्षमता को जागृत करके समाज के उत्कर्ष के लिये रत हैं और आपका उनके बीच में आना ठीक नहीं है क्योंकि आपका सेवा करने का माध्यम दूसरा है, और नैतिकता की दृष्टि से आपके माध्यम से उनका माध्यम ऊंचा है...

श्री डी० पी० बोरा—

दो विधायकों ने भी दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार को यह वक्तव्य के लिये गया है। अब आप बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय, इस प्रदेश में गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे भाई रियासत हुसैन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर समर्थन का प्रस्ताव पेश किया है मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या हर एक व्यक्ति को भर पेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भोजन मिल रहा है, क्या हर एक आदमी को कपड़ा मिल रहा है और क्या हर व्यक्ति को रहने के लिये मकान सुलभ है, क्या बच्चों के पढ़ने के लिये व दवा इत्यादि के लिये हर व्यक्ति को ये सुविधायें मिल रही हैं। मैं रियासत भाई से इन प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहता हूं। क्या इस प्रदेश में अपंग और विकलांग लोग नहीं रह गये हैं। यदि इस प्रदेश में लोगों को आवश्यक वस्तुयें जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान और दवा आदि नहीं मिल पा रही है तो किस प्रकार से उनका अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव वह रखते हैं। वह राज्यपाल पांवड़ों पर चलकर यहां आये, वह राज्यपाल गरीबी को मिटाने की बात करें तो वह नहीं मिट सकती है। केवल इन्दिरा की जय बोलने से हमारे प्रदेश की गरीबी नहीं मिट सकती है बल्कि ऐशो आराम और बढ़ेगा। इन्दिरा जी की जय बोलने से कार्य क्षमता नहीं बढ़ सकती है। इस प्रकार की चापलूसी करने से हमारी दक्षता नष्ट होती है और लोगों में ऐशों आराम की जिन्दगी बिताने की भावना आती है। आज आप फैक्ट्रीज में चले जायं, दफ्तरों में चले जायं, आपको मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से गरीबी नहीं मिट सकती है, बेकारी और बेरोजगारी नहीं मिट सकती है, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हो सकता है। आज इन्दिरा जी की जय बोलकर लोग चाहते हैं कि गरीबी को मिटा दें, यह नहीं होने वाला है। आज आप पैसे के बल पर लोगों का वोट ले सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं परन्तु गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं।

यहां पर बहुत से लोग इन्दिरा की जय बोलने वाले हैं मैं उनसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को इतिहास कभी नहीं माफ करेगा। वे कुर्सी की लालच में ही ऐसा करते हैं इससे क्या उत्थान सम्भव है। दुनिया के पिछड़े हुये लोग हिन्दुस्तान की ओर देख रहे थे कि जब वह आजाद होगा तो उनकी रहनुमाई करेगा। अमरीका और रूस से हमको मुक्ति दिलायेगा। जिस तरह से अमरीका पिछड़े हुये लोगों का, देशों का शोषण करता है उसी प्रकार से रूस भी शोषण करता है। परन्तु आज उनकी आशायें निराशा में बदल गई हैं। वे विचार करते थे कि हिन्दुस्तान संसार के सामने एक ऐसा नक्शा पेश करेगा जिससे दूसरों को मार्ग मिल सके, रास्ता मिल सके, जिससे दुनिया के पिछड़े हुये देश मार्ग दर्शन ग्रहण करेंगे परन्तु आज सभी आशायें धूमिल हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। आज हमारे भाई रियासत हुसैन इन्दिरा जी की जय बोलते हैं, मैं उनको पहले कभी समाजवादी मानता था परन्तु वह आज समाजवादी नहीं हैं। अगर केवल इन्दिरा की जय बोलने से ही समाजवाद आ सकता है तो मैं इसको मृग मरीचिका ही मानता हूं। रेगिस्तान में मृग पानी की तलाश में इधर से उधर घूमता है। उसको हर स्थान पर पानी नजर आता है लेकिन जब वह वहां पर भटक कर पहुंचा तो फिर वहां पर भी उसको पानी नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से वह दोड़-दौड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है परन्तु उसको पानी कहीं भी नहीं मिलता। उस तरीके से मैं भाई रियासत हुसैन से कहना चाहता हूं कि वह गफलत में हैं। इन्दिरा गांधी का समाजवाद, समाजवाद नहीं है। वह मृग मरीचिका है। समाजवाद आयेगा गरीबों से, समाजवाद आयेगा मजदूरों से, समाजवाद आयेगा किसानों से। जब गरीबों के फायदे के लिये कानून बनेगा तभी समाजवाद आयेगा। मैं आज पूछना चाहता हूं कि भाई रियासत हुसैन से कि वह प्रगति कहां आई है। इन्दिरा जी के यहां प्रगति हो सकती है। उनके लड़के का कारखाना खुल गया है। कमलापति त्रिपाठी का मकान बन गया है, इंडस्ट्री खुल गई है, लेकिन क्या वह प्रगति किसानों के घर में, मजदूरों के घर में आई है, छोटे-छोटे दुकानदारों के घर में आई है, खेतिहर मजदूरों के घर में आई है।

मैंने विधान सभा में कई बार प्रश्न उठाया कि इस प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहां पर खेतीहर मजदूरों को और हरिजनों को मकान बनाने के लिये मिट्टी तक नहीं मिलती है। उनके मकान गिर गये हैं और बनाने के लिये मिट्टी चाहते हैं लेकिन वह भी नहीं मिलती है। सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया है कि वह उन गिरे हुये मकानों के बनाने के लिये मिट्टी की व्यवस्था कर सके और आज आप समाजवाद की बातें कर रहे

[श्री शिव दास]

हैं। समाजवाद ऐसे नहीं आने वाला है। अगर समाजवाद लाना चाहते हो तो उसके लिए नियम बनाओ कि एक लाख से अधिक की सम्पत्ति किसी की नहीं हो सकती है। जब तक ऐसा नियम नहीं बनता है तब तक गरीबी मिटाने की बात करना व्यर्थ है। आप उधर बैठकर भले ही मुस्करा लें और लम्बे चौड़े भाषण दें और कह दें कि जय इन्दिरा, लेकिन समाजवाद नहीं आ सकता है। भाई रियासत हुसैन अगर आप चाहते हैं कि समाजवाद आवे तो मुनाफाखोरी खतम करने का नियम बनवा दीजिये। किसी वस्तु को बनाने में जितनी लागत आती है उसके डेढ़ गुने से अधिक कोई दाम न ले सके। आप नियम बनावायें कि 1500 रुपये से अधिक आमदनी किसी की न हो और 150 रुपये से कम आमदनी किसी की न हो। आज आप लच्छेदार भाषण देकर और इन्दिरा की जय बोलकर गरीबी मिटाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

मिर्जापुर में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन सा कुकर्म नहीं किया गया है मैं पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो नियम बनाये गये हैं क्या उतना रुपया ही खर्चा हुआ है। यदि उससे अधिक खर्च हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं कि श्री लोकपति त्रिपाठी को इस सदन में बैठने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। जो आदमी गैर-कानूनी तरीके से चुनकर विधान सभा में आवे उसको आप जय इन्दिरा कह कर ठीक कह दें यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी इस तरीके से मिट नहीं सकती है। आज आपको चुनाव में पैसा देने वाला कौन है। वह बिरला से मिलता है। इसीलिये आप उनको सस्ते दर पर बिजली देते हैं और किसानों को नहीं देते हैं। बिरला को 2, 3 पैसे यूनिट बिजली दी जाती है लेकिन किसानों को वही बिजली 15, 16 पैसा से लेकर 36 पैसे तक दी जाती है। तो गरीबी कैसे मिट सकती है। यदि आप वास्तव में गरीबी मिटाना चाहते हैं तो बिरला को 36 पैसे यूनिट बिजली दीजिये और किसानों को 2 पैसे यूनिट बिजली दीजिये।

आप बिड़ला साहब को सस्ती बिजली इसलिये देते हैं कि वे कमलापति जी को सरकार को उद्योग के कारखानों के लिये एल्म्यूनियम देते हैं वह एल्म्यूनियम ब्लैक में बेंचा जाता है। जहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां हम केवल जय इन्दिरा के नारे से सामाजवाद आ जायेगा और इस देश और प्रदेश की जनता का हित हो सकेगा, यह नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो तो प्रशासन को ठीक करना पड़ेगा। नीचे के जितने कर्मचारी हैं, आज आप आफिसों में चले जायें तो, देखेंगे कि सभी जगह घूस चल रही है। बिना घूस लिये न्यायालयों में पेशकार पेशी नहीं लेता। जहां न्यायालय अन्यायालय बने हुये हैं, तो आप इन्दिरा जी की जय का ढिंढोरा पीटकर और राज्यपाल का समर्थन करके गरीबी मिटाना चाहें तो वह नहीं मिट सकती। हमारे यहां जो खेतिहर में बहौर जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मिर्जापुर और वाराणसी जिले में किसी भी जाति की उतनी दयनीय स्थिति नहीं होगी। ऐसी स्थिति होते हुये भी उन्हें न अनुसूचित जाति की और न पिछड़ी जाति की सुविधा मिलती है। लोग उनका छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं। फिर इतना होने पर भी उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं हुआ कि जिससे उनकी दशा में सुधार हो और उन्हें अनुसूचित और पिछड़ी जाति की सुविधायें प्राप्त हों।

यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो गांवों की ओर जायं। महात्मा गांधी कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। गांवों की तरक्की होगी तो इस देश की तरक्की होगी। लेकिन आज हो क्या रहा है? लखनऊ को नयी दुल्हन की तरह सजाने की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी सजाया जा रहा है। लेकिन गांवों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। गांवों की दयनीय स्थिति के बारे में डा० लोहिया की बात याद आ गयी। व कहत थ कि एक-चौथाई हिस्सा गांवों के ऊपर खर्च हो। लकिन गांवों की ओर नहीं नये-नये शहरों को सजाने की व्यवस्था की जाती है और इसमे गांवों की दशा में कभी सुधार नहीं

आ सकता। तो मैं माननीय रियासत हुसैन जी से यह बतला देना चाहता हूं कि यदि वास्तव में वे इन्दिरा जी की जय बोलना चाहते हैं, तो बोलें, उसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन गरीबी अब नहीं हटेगी। वे साफ-साफ कह दें कि अब हम आजाद नहीं हैं, अब कमलापति जी की शरण में जा चुके हैं, इन्दिरा जी की शरण में जा चुके हैं, इसलिये अब हमसे समाजवाद की आशा न करें, गरीबी मिटाने की आशा न करें। तो इस तरह से गरीबी नहीं हट सकती है। केवल जय इन्दिरा बोलने से गरीबी नहीं मिटेगी। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि श्री रियासत हुसैन जी ने जो राज्यपाल के धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको वापस ले लें और जो हमने सुझाव रखे हैं, उनका समर्थन करें।

*श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। मैं माननीय रियासत हुसैन द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस प्रदेश में उन्नति के लिये कई निगमों की स्थापना का जिक्र किया है जिसमें विशेषत: कुछ ऐसे निगम हैं जिनसे हमारे प्रदेश का बड़ा हित होने वाला है। जो सड़कों के निर्माण की योजना है, उससे हमारे प्रदेश की बड़ी प्रगति होगी।

हमारे देश ने प्रधान मन्त्री महोदया के नेतृत्व में जो ख्याति प्राप्त की है वह बे मिसाल है। महाभारत में केवल द्रौपदी का ही चीर खींचा गया था, परन्तु बंगला देश में लाखों महिलाओं का और बालिकाओं का शील भंग हुआ। हमारे प्रधान मन्त्री महोदया के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने जो अपना पराक्रम दिखाया और जो सफलता प्राप्त की वह बेमिसाल है और अनुकरणीय है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातों का जिक्र है, परन्तु लखनऊ और फैजाबाद के बीच के जो जिले हैं उनकी उन्नति के लिये कोई योजना नहीं है। इन जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई योजना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप 10 मिनट कल बोलेंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
29 मार्च, 1972।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 392 पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में, उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् —

"(1) छः सदस्य, जिनमें से कम से कम एक राज्य विधान परिषद् का सदस्य होगा, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मन्डल के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे ।"

(ख) खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, वोर्थात्—

"(2) दो सदस्य जिनका निर्वाचन उत्तर प्रदेश के सुन्नी एडवोकेट्स अपने में से करेंगे;"

(ग) खण्ड (5) में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह' रख दिया जाय;

(घ) खण्ड (6) में शब्द 'ग्यारह' के स्थान पर शब्द 'बारह' रख दिया जाय ।

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(1) उपधारा (1) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा में शब्द "आमेलित किये जायेंगे" के पश्चात् शब्द "या नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे या पदेन होंगे" रख दिये जायें;

(ख) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(1) राज्य विधान मन्डल के समस्त शिया सदस्य;"

(ग) खण्ड (4) में, शब्द "उपर्युक्त सात सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (2) निकाल दी जाय ।

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (3)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3)" रख दिये जायें —

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, 1972 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

पिछले सुन्नी और शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों की मियाद सन् 1969 में समाप्त हो जाने पर नये बोर्डों का संघटन किया जा रहा था किन्तु बोर्डों का संगठन उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा स्थगित कर दिया गया। स्थगित की अवधि तक काम चलाने के लिये कन्ट्रोलर नियुक्त किये गये। कन्ट्रोलर की वर्तमान व्यवस्था को शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से, नये बोर्डों को उनके संघटन में कुछ परिवर्तन करके संघटित करने के लिये उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गयी :—

(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) के अनुसार विधान मण्डल के सुन्नी सदस्य सुन्नी सेन्ट्रल वक्फबोड क पांच सदस्य चुनेंग जिनमें बाहर के लोग भी हो सकते हैं। संशोधन द्वारा पांच सदस्यों के स्थान पर छः सदस्यों की व्यवस्था की गयी है और बाहर के लोगों को रखने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है।

(2) उक्त धारा 11 की उप धारा (2) के अनुसार उक्त वक्फ बोर्ड के दो सदस्य हाईकोर्ट बार एसोशियेशन, इलाहाबाद और अवध बार एसोशियेशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य अपने में से चुनते हैं। इसके स्थान पर अब प्रदेश के समस्त सुन्नी एडवोकेट्स द्वारा अपने में से दो सदस्य के निर्वाचन का प्राविधान किया गया है।

(3) इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में विधान मण्डल के शिया सदस्य सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पांच सदस्य के चुनाव की व्यवस्था थी चाहे वह उन्हीं में से हों अथवा बाहर के लोगों में से। इसके बजाय संशोधन द्वारा विधान मण्डल के समस्त शिया सदस्यों को उक्त वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

महमूदअली खां,
मन्त्री वक्फ।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 293 पर)

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७२

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, तथा प्रसार ।

1—(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

1939 के ऐक्ट, 4 में नयी धारा 43-ए का बढ़ाया जाना

2—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

परिवहन प्राधिकरणों को निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"43-ए (1) राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक-हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि सभी पात्र प्रार्थियों को यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र (ऐसे मार्गों या क्षेत्रों के सिवाय जिनके लिये धारा 68-सी के अधीन योजनायें प्रकाशित की गयी हों) या ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र देना लोक-हित में है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा तदनुसार निदेश जारी कर सकती है, और तदुपरान्त सभी परिवहन प्राधिकरण और धारा 64 के अधीन संघटित राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण भी तदर्थ सभी आवेदन-पत्रों, अपीलों और पुनरीक्षणों पर (जिसके अन्तर्गत विचारधीन कोई आवेदन-पत्र, अपील तथा पुनरीक्षण भी हैं) इस प्रकार विचार तथा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो कि—

(क) धारा 47 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिये किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित;

(बी) सेवा से, जिसकी व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों जिसके अन्तर्गत उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना और ऐसी सुविधा भी है जो व्यवधान-रहित यात्रा से मिले,

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसा लाभ जिसकी सेवा से प्राप्त होने की संभावना हो;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा ।";

(2) उपधारा (3) निकाल दी गयी हो;

(ख) धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"50—कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ठेका गाड़ी अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन-पत्र पर विचार करते समय, इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लोकहित में किस सीमा तक अतिरिक्त ठेका-गाड़ियां आवश्यक या वांछनीय हो सकती हैं, और किसी ऐसे अभ्यावेदन पर भी विचार करेगा जो उस सम्भाग में किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस आशय से तत्समय दिया जाय या पहिले ही दिया गया हो कि उन ठेका-गाड़ियों की संख्या, जिनके लिये अनुज्ञा-पत्र पहले दिये जा चुके हैं, सम्भाग या संभाग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं या आवश्यकता से अधिक हैं ।";

(ग) धारा 55 में,--

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्--

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिये किसी आवेदन- पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित,

(बी) सेवा से, जिस की व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों और ऐसी सेवा की व्यवस्था से जनता को मिलने वाली सुविधा और उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना,

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी सेवा से मिलने वाले लाभ की सम्भावना,

(डी) ले जाये जाने वाले माल का प्रकार विशेष रूप से किसी भंगुर या शीघ्र नष्ट होने योग्य किसी माल के सन्दर्भ में;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा ।";

(2) उपधारा (2) निकाल दी गयी हो;

(घ) धारा 57 में--

(1) उपधारा (3) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया हो,

(2) उपधारा (3), (4) और (5) में अभ्यावेदन देने वाले व्यक्तियों के अभिदेश अभ्यावेदन देने वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण का अभिदेश हो,

(ङ) धारा 64 में,

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा गया हो:--

"(एफ) जो ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण हो जिसन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का विरोध किया हो, उसके दिये जाने अथवा तत्सम्बन्धी किसी शर्त से क्षुब्ध हो, या";

(2) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा गया हो:--

"स्पष्टीकरण--सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जब धारा 43-ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा धारा 63-ए की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अधीन कमीशन द्वारा जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया जाय और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से इस कारण क्षुब्ध हो कि वह ऐसे निदेशों के अनुरूप नहीं है, तो वह उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश के विरुद्ध, किन्तु इस प्रकार जारी किये गये निदेश के विरुद्ध नहीं, अपील कर सकता है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 9, 1972 का निरसन

3--मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री बसों के अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिये आपरेटरों में प्रतिद्वन्दता रहती है। परमिटों के सीमित संख्या में होने के कारण यह व्यवसाय कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में है। इस ओर आये दिन शिकायतें भी आती रहती हैं। अतः अराष्ट्रीकृत मार्गों पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में सुविधा, सरलता, अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये तथा इनमें समान वितरण करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा, 47, 50, 55, 57 तथा 64 में आवश्यक संशोधन किया जाए। अतः जनहित में उपरोक्त उद्देश्य की दृष्टि से मोटर वेहिकिल्स एक्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पुनः स्थापित किया जा रहा है।

बलराम सिंह यादव,
परिवहन मन्त्री।

संसद टीवी

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 393 पर)

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1972

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 में नयी धारा का बढ़ाया जाना

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

"11—यदि धारा 30 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का तात्पर्यित प्रयोग करके किसी बोर्ड का अतिक्रमण करने का आदेश दिया जाय, और बाद में ऐसा आदेश शून्य घोषित किया जाय या हो जाय, अथवा उसका प्रवर्तन किसी विधि न्यायालय के आदेश या निर्णय से अथवा उसके परिणामस्वरूप या राज्य सरकार के किसी ऐसे पश्चातवर्ती आदेश से अथवा उसके परिणामस्वरूप जिसमें ऐसे बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाना तात्पर्यित हो, निलम्बित कर दिया जाय, और इसी बीच बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाय, तो जब तक कि नया बोर्ड सम्यक् रूप से संघटित न हो जाय:—

(ए) बोर्ड, उसके प्रसीडेन्ट और समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा प्रयोग संपादित तथा निर्वहन किये जायेंगे, और विधि में प्रशासक को, अवसर की अपेक्षानुसार, बोर्ड, प्रेसीडेन्ट या समिति समझा जायगा ,

(बी) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, म्यूनिसिपल निधि से दिया जायगा ।

(सी) राज्य सरकार समय-समय पर, गजट में अधिसूचना द्वारा मूल उपबन्ध पर प्रभाव डाले बिना ऐसे आनुसंगिक तथा प्रासंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करन क लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, कर सकती है ।

उद्देश्य और कारण

यदि किसी नगरपालिका बोर्ड के अवक्रमण सम्बन्धी शासन का आदेश रद्द कर दिया गया हो अथवा उसका निष्पादन स्थगित कर दिया गया हो तथा उसी बीच उस बोर्ड का कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो ऐसे किसी बोर्ड के प्रशासन के लिये यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं था। ऐसी अवस्था में न तो अवक्रमित बोर्ड कार्य करना जारी रख सकता था या फिर से संभाल सकता था, और न ही कोई प्रशासक अथवा शासन उसका प्रशासन संभाल सकता था। ऐसी कठिनाई नगरपालिका, कन्नौज (जिला फर्रुखाबाद) के सम्बन्ध में शासन के सम्मुख आई क्योंकि उक्त बोर्ड के अवक्रमण सम्बन्धी शासानादेश को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था और साथ ही साथ बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिये शासन ने याचिकाएं प्रस्तुत कीं परन्तु उन पर कोई आदेश न हो सका और निर्णय होने में कुछ और समय लगने की सम्भावना थी। उधर बोर्ड के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बोर्ड के कार्यों में गम्भीर अवरोध पैदा हो गया। अतः ऐसी परिस्थिति का निवारण करने के लिये उक्त ऐक्ट में तुरन्त प्राविधान करना आवश्यक हो गया और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

धर्म दत्त वैद्य,
मन्त्री,
स्वायत्त शासन,

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) यदि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल मूल अधिनियम की धारा 11 में, जैसी कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, उल्लिखित परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो जाय तो उक्त धारा 11 के खण्ड (ए), (बी) तथा (सी) में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिसका कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो चुका हो, प्रेसीडेन्ट तथा सदस्यों द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायेगा मानों बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका हो:

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा 11 में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसे तात्पर्यित शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किये गये किसी कार्य या लिये गये किसी निर्णय जिसके अन्तर्गत विशेषतया, कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेवक की, की गयी नियुक्ति, पदोन्नति या सेवोन्मुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का आदेश भी है, का पुनर्विलोकन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 6 निरसन

4—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नत्थी 'घ'

(देखिय पीछे पृष्ठ 393 पर)

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (54) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(54) 'भू-गृहादि' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है ।"

धारा 129 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 129 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जाएं, अर्थात्—

"(5) उपधारा (5-क) और (5-ख) में यथाव्यवस्थित के सिवाय महापालिका की कोई अचल संपत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर, न तो बेची जायगी, न पट्टे पर दी जायगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा—

(क) कोई परिनियत निकाय;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य-पालन तथा कुक्कुट-पालन भी है, से संबद्ध प्रयोजनों के लिये द्यूत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण, निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो; या

(ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1861 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर लाभार्थियों के सम्बन्ध में विभेद नहीं है):

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने ,पटटे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गयी किसी रियायत का मूल्य----

(1) पटटे की दशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के सम्बन्ध में अथवा इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(5-क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से महापालिका द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार महापालिका द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(5-ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, महापालिका का कोई गृह या गृह-स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण-पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष मे जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर जैसा कि महापालिका उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

धारा 348 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 348 में—

(1) उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिये समय सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।";

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "कोई भी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "धारा 373 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर" रख दिय जायं;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्:—

"(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिये निष्पादन की समय-सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर महापालिका को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ले । तदुपरान्त महापालिका तदनुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी, और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।"

धारा 349 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 349 में, शब्द "तो वह मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है" के स्थान पर शब्द "तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगर अधिकारी से अपेक्षा कर सकती है", रख दिये जायें।

धारा 350 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 350 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "तो वह मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है" के स्थान पर शब्द "तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(1-क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिये समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी;"

(3) उपधारा (4) में, शब्द "धारा 363 के अधीन किसी योजना के विज्ञापित होने के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर" रख दिये जायं।

धारा 365 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 365 में; उपधारा (4) में--

(1) शब्द "इस अध्याय के अधीन" तथा शब्द "अधिकृत विकास योजना" के बीच में शब्द "किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न" बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें ; और

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जाय; अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि--

यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1919
यू० पी० ऐक्ट संख्या 6, 1945

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में, जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द तथा अंक "धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञप्ति किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व" रखे गये हों;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे गये हों :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या जैसी भी दशा हो, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है।"

धारा 373 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 373 में:--

(1) उपधारा (1) में शब्द "एक सभापति तथा दो असेसरों से मिल कर बनेगा" के स्थान पर शब्द "एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायगा" रख दिये जायें ;

(2) उपधारा (2) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "उक्त सदस्य" रख दिये जायें, और उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय;

(3) उपधारा (3) में शब्द "न्यायाधिकरण के सभापति तथा असेसर" के स्थान पर शब्द "उक्त सदस्य" और शब्द "किय जायेंगे" के स्थान पर शब्द "किया जायगा" रख दिये जायं;

(4) उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्न उपधारायें रख दी जायें; अर्थात् ---

"(4) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिये इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिल कर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।"

धारा 374 का संशोधन

9---मूल अधिनियम की धारा 374 में शब्द "सभापति तथा प्रत्येक असेसर" के स्थान पर शब्द "पीठासीन अधिकारी" रख दिये जायं।

धारा 375 का संशोधन

10---मूल अधिनियम की धारा 375 में---

(1) उपधारा (1) में शब्द "न्यायाधिकरण का सभापति" के स्थान पर शब्द "न्यायाधिकरण" रख दिया जाय;

(2) उपधारा (2) में शब्द "सभापति द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा" रख दिये जायें।

धारा 378 का निकाला जाना

11---मूल अधिनियम की धारा 378 निकाल दी जाय।

धारा 381 का संशोधन

12---मूल अधिनियम की धारा 381 म---

(क) उपधारा (1) म शब्द "न्यायाधिकरण का सभापति" के स्थान पर शब्द "न्यायाधिकरण" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात:---

"(5) (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील के लिये विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट को प्रार्थना-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5-क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

वैधीकरण

13--किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 365 या धारा 577 के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट विकास योजना के लिये भूमि या उसमें स्वत्व का अर्जन करने के सम्बन्ध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत जारी की गयी कोई अधिसूचना, की गयी कार्यवाही, दी गयी आज्ञा या दिया गया अभिनिर्णय अथवा लिया गया कब्जा भी है, वैध समझी जायगी और सदैव से इस प्रकार वैध होगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्ति थे, और ऐसी अग्रेतर कार्यवाहियां, यदि कोई हों जो अपेक्षित हो, तदनुसार की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी भूमि या भूमि में स्वत्व की दशा में जो ऐसी विकास योजना का विषय हो, मूल अधिनियम (एतद्द्वारा यथा संशोधित) के, अध्याय 14 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण, उक्त अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए--

(क) यह समाधान हो जाने पर, कि भूमि, मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व था, की धारा 365 की उपधारा (4) में या उसक अधीन, यथास्थिति, निर्दिष्ट अवधि या बढ़ायी गयी अवधि, की समाप्ति के पश्चात्, सद्भावना से और प्रतिफल के लिये, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति से अर्जित की गयी है, सभी सारवान परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हस्तान्तरिती को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ;

(ख) यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूमि पर उसम हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत खण्ड (क) में अभिदिष्ट कोई हस्तान्तरिती भी है, कोई सुधार किये गये हैं, उसे अतिरिक्त प्रतिकर देगा, जो ऐसे सुधारों की लागत के बराबर होगा।

1894 का ऐक्ट संख्या 1

स्पष्टीकरण---पद "हितबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1972 का निरसन

14---उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

नगरमहापालिकाओं की सुधार योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से और न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाले तत्स-सम्बन्धी मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

2--इस अवसर का उपयोग करके उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 129 में भी इस उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है जिससे कि नगरमहापालिका, विभिन्न योज-नाओं के अन्तर्गत अनिवार्य अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को और सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों के आश्रितों को जो वीरगति को प्राप्त हुए हों अथवा ऐसे सदस्यों को जो शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुए हों, अचल संपत्ति बाजार-मूल्य से कम मूल्य पर बेच सके, पट्टे पर दे सके अथवा अन्यथा उसका हस्तान्तरण कर सके अथवा सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत अलाभ-हानि आधार पर प्लाटों तथा गृहों को बेच सकें।

3--तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

धर्मदत्त वैद्य,

स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २१ एल० ए०--१९७२--८४५ (मैग०)।